लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड VIII में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 51 to 62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची / CONTENTS

अंक 57 सोमवार, 7 अगस्त, 1967/ 16 श्रावण, 1889 (शक)

No 57 Monday, August 7, 1967/Sravana, 16 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1617	सी. डी नम्बर वाली प्लेटें जारी करने पर प्रतिबन्ध	Restriction on Issue of C. D. Number Plates ... –	955–959
1618	उत्तरी वियतनाम को माल ले जाने वाले जहाज	Ships Carrying Cargon to North Vietnam –	959–962
1619	नेफा की सीमा पर चीन के लाल रक्षक	Chinese Red Guards on NEFA Border –	962–966
1620	मिस्टर जैड.ए. भुट्टो	Mr. Z. A. Bhutto	966–972

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:

तारांकित प्रश्न संख्या / S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
728	नवीनतम हथियारों के बारे में जानकारी	Information regarding latest Weapons ...	972
1621	अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा भाग लिया जाना	Indian Mountaineers' participation in International Meet -- ...	972–973
1622	भारत में दक्षिण कोरिया का महावाणिज्य दूतावास	South Korean Consultate-General in India...	973
1623	नेपाल में बांटे गये भारत-विरोधी पर्चे	Anti-Indian leaflets distributed in Nepal ...	974

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him,

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1624	कछार–सिलहट आंचल की भूमि पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा	Land in Cachar-Sylhet Sector under Illegal Possession of Pakistan	974
1625	वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रक आयोग के बारे में पोलेंड के राजदूत के साथ बिचार-विनिमय	Discussion with Polish Ambassador on International Control Commission in Vietnam	974–975
1626	पाकिस्तान की जेलों में भारतीय राजनैतिक बन्दी	Indian Political Prisioners in Pak Jails ...	975
1627	पाकिस्तान में पेशावर के निकट अमरीकी सैनिक अड्डा	U. S. Military Base near Peshawar in Pakistan	975-976
1628	विद्रोही मिजो नेता लाल-डेंगा की ब्रिटेन यात्रा	Rebel Mizo Leader Laldenga's visit to Britain	976–977
1629	मिनीकोय द्वीप में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्ध मिथ्या प्रचार	Pakistan Anti-Indian Propaganda in Minicoy Island	977
1630	दूर संचार व्यवस्था पुनः चालू करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत	Indo-Pak Talks on resumption of Telecommunications	978
1631	फिजो की पेकिंग जाने की योजना	Phizo's plan to proceed to Peking ..	978–979
1631क	राष्ट्रपति अयूबखां की आत्मकथा	President Ayub Khan's Auto-Biograply ..	979
1632	पूर्वी पाकिस्तान में सामा स्तम्भों का गिराया जाना	Demolition of border pillar posts in East Pakistan — —	979–980
1633	बर्मा में नजर-बन्द भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals detained in Burma ...	980
1634	आकाशवाणी से व्यापार सम्बन्धी प्रसारण	Commercial Broadcasts on A. I. R. ... —	980-981

1636	राजस्थान सोमा पर पाकिस्तानी सेन का जमाव	Concentration of Pakistan troops on Rajasthan border	981
1637	ईरान के एक जनरल द्वारा पश्चिम जर्मनी में विमान खरीदने के लिए पाकिस्तान के एजेन्ट के रूप में काम किये जाने के समाचारों के बारे में जांच	Inquiry about the Report of an Iranian General acting as Pak. Agent for buying Jets in West Germany	981-982
1638	वायुसेना मुख्यालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Air Headquarters	982
1639	अन्तरिक्ष सन्धि	Outer Space Treaty	982-983
1640	मास्को रेडियो से प्रसारण	Broadcasts from Moscow Radio	984
1641	पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बौद्धों पर अत्याचार	Atrocities on Budhist Minorities in East Pakistan	984
1642	पाकिस्तान में नजर बन्द भारतीय युद्ध बन्दियों की मृत्यु	Deaths of Indian P. O. Ws. Under Detention in Pakistan	985
1643	लन्दन के एक न्यायालय द्वारा दिल्ली के एक व्यापारी को दण्ड दिया जाना	Delhi Businessman sentenced by a London Court — ...	985-986
1643-क	पाकिस्तान के बैंकों तथा अन्य संस्थानों द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों को धन का भुगतान न किया जाना	Stoppage of payments by Banks and other Establishments in pakistan to Indian Nationals	986-987
1645	स्वेज नहर में जहाज रोके जाना	Blockade of Ships in Suez Canal	987

अता. प्र. सं./U. S.Q. Nos.

8092	घाटाकोपर (बम्बई) का नोसैनिक डिपो	Naval Depot, Ghatkopar (Bombay)	987-988

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

8093	योजना आयोग का पुनर्गठन	Re-organisation of Planning Commission ...	988
8094	सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़कें	Roads constructed by Border Roads Organisation	988-990
8095	ट्रांबे में वातानुकूलन संयंत्र	Air-conditioning Plant at Trombay	990
8096	स्थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षित अधिकारी	S. C. & S. T. Officers Trained in Army, Navy and Air Forces	990
8097	कच्छ दीव, रामेश्वर में गिरजाघर	Church in Kutch Dive, Rameswaram ..	990-991
8098	कच्छातिवू द्वीप में नौसैनिक अड्डा	Naval base in Kachchativu Island	991
8099	आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारी	Technical Staff in A. I. R.	992
8100	आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारी	Technical Staff in A. I. R.	992
8101	नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास में 'अताशे' (भूगोल)	Attache (Geography) in U. S. Embassy, New Delhi	992-993
8102	सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिये पाकिस्तान का नाम	Pak. Candidature for Security Council ...	993
8103	विदेशों से सस्ता अखबारी कागज और मशीन खरीदना	Purchase of Cheap News print Machinery from Abroad – ...	993
8104	भारत तथा पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का इरान के शाह का प्रस्ताव	Shah of Iran's offer to mediate between India and Pakistan	993-994

8105	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर	Bharat Electronics Ltd., Bangalore	994 995
8106	आकाशवाणी से कवि गोष्ठियां	Seminars of Poets on A. I. R.	995
8107	किद्दरपुर क्षेत्र में आग्नेयास्त्रों के पार्सलों की चोरी	Theft of Parcels of Firearms in Kiddrepore Area	995
8108	सीमा क्षेत्रों में प्रचार कार्य	Field Publicity in Border Areas ...	996
8109	आक्जिलरी केडट कोर कोर्स को बन्द करना	Discontinuance of Auxiliary Cadet Corps Course	996-997
8110	सैनिक भूमि तथा छावनी विभाग	Military Lands and Cantonments Departments ...	997
8111	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के मुद्राणालय से प्रकाशित पुस्तक'नई चेतना'	Book entitled 'Nai Chetana' Published by N. C. D. C. Press ...	997
8112	ब्लिट्ज के सम्पादक के साथ हुई भेंट के संबंध में आकाशवाणी का रिकार्ड	AIR's Record of Interview with the Editor of Blitz	998-999
8113	एच. एफ.-24 विमान	H. F.–24 Planes	999
8114	गन कैरेज फैक्टरी एस्टेट, जबलपुर में गैर-सरकारी मकानों का अर्जन	Acquisition of Private Houses in Gun Carriage Factory Estate, Jabalpur	999
8115	सैनिक स्कूल	Sainik Schools	1000
8116	संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत का वित्तीय अंशदान	Contributions to U.N.O.	1000-1001
8117	इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	Electronics Corporation o India Ltd.	1001
8118	पश्चिम एशिया में हुए युद्ध से शिक्षा	Lessons from West Asian War – ...	1002

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

U.S.Q. No.	विषय	Subject	Pages
8119	क्रालर ट्रेक्टर	Crawler Tractors	1002
8120	एवरो–748 विमान	Avro–748 ..	1002-1003
8121	प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया	Press Institute of India	1003-1004
8122	प्रेस इंस्टीट्यूट प्राफ इंडिया	Press Institute of India	1004
8123	कार निकोबार द्वीप में ब्रिटेन की सरकार के एक संस्थान द्वारा सामान का आयात	Import o Stores by a U.K. Government Establishment in Car-Nicobar Island	1004–1005
8124	प्रधान मंत्री का सचिवालय	Prime Minister's Secretariat	1005
8125	भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पकड़ा गया पाकितानी सैनिक समान	Pak. Defence Equipment Seized during Indo–Pak Conflict	1006
8126	शार्ट-सर्विस कमीशन प्राप्त सैनिक अफसरों का पर्मानेन्ट कमीशन	Permanent Commissions to Short Service Commissioned Officers	1006
8127	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी की पाठ्य-चर्या	Syllabus for National Defence Academy ...	1006–1007
8128	फिल्म सैंसर बोर्ड के अध्यक्ष के लिये अर्हताएं	Qualifications for Chairman of Board of Film Censors	1007
8129	सैनिक यूनिट लाइनों में नेताजी का फोटो लगाये जाने पर प्रतिबन्ध	Ban on display of Netaji's Photograph in Unit Lines ..	1007–1008
8130	मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल	Sainik School in Madhya Pradesh	1008
8131	कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी के अधिग्रहण के बारे में भारत स्थित ब्रिटिश उच्च आयुक्त द्वारा विरोध पत्र का दिया जाना	Protest by the U. K. High Commissioner in India over the takeover of Calcutta-Tramways Co.	1008

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

8132	ब्रिटेन के उप-उच्चायुक्त द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को दिया गया ज्ञापन	Memorandum handed over by the British Dy. High Commissioner to West Bengal Chief Minister	1009
8133	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा पुरस्कार	National Defence Awards	1009
8134	मध्य प्रदेश के दैनिक समाचार पत्रों के लिये विज्ञापन	Advertisements for Madhya Pradesh Dailies	1009
8135	मध्य प्रदेश के कालेज में राष्ट्रीय छात्रसेना दल के अधिकारी	N. C. C. Officers in M. P. College	1009-1010
8136	सीमा सड़क परिवहन दल	Border Road Transport Force	1010-1011
8137	गोआनी कम्पनी की आस्तियां	Assets of Goani Company ..	1011
8138	भारत में नेपाल के राजनैतिक शरणार्थी	Nepali Political Refugees in India	1011-1012
8139	परमाणु अनुसंधान कार्य पर खर्च	Expenditure on Atomic Research work ...	1012-1013
8140	संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के कार्यकलाप	India's Role in U. N. O. ...	1013
8141	सीमा सड़क कार्यक्रम	Border Road Programme	1013-1014
8142	इमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	1014-1015
8143	स्थल सेना में अधिकारियों की नियुक्ति	Recruitment of Officers in Army	1015-1016
8144	मद्रास परमाणु बिजली घर में कर्मचारियों की संख्या	Strength of Staff in Atomic Power Station, Madras	1016
8145	मद्रास परमाणु बिजली घर	Madras Atomic Power Station	1016

8146 मद्रास परमाणु बिजली घर में कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Staff at Madras Atomic Power Station	1016-1017
8147 मद्रास परमाणु बिजली घर की स्टाफ कारें	Staff Cars in Madras Atomic Power Station	1017
8148 मद्रास परमाणु बिजली घर में फोटोग्राफरों पर खर्च	Expenditure on Photographs in Madras Atomic Power Project	1017
8149 आकाशवाणी के चीफ प्रोडयूसर के साथ करार	Contract with Chief Producer in A. I. R. Delhi	1018
8150 हैदराबाद में यूरेनियम संयंत्र	Uranium Plant at Hyderabad	1018
8151 सरकारी विज्ञापनों पर खर्च	Expenditure on Government Adver-tisements ..	1018-1019
8152 अफ्रीकी देशों के साथ मित्रता के बारे में वृत-चित्र	Documentary on Friendship with African Countries	1019
8153 भारतीय दूतावास द्वारा भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए निःशुल्क कक्षाओं का चलाया जाना	Free Classes for Teaching of Indian Languages by Indian Embassies	1019-1020
8154 पूर्वी यूरोप के देशों में भारतीय दूतावासों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाएं	Journals published by Indian Embassies in East Europe	1020
8155 डा. अम्बेदकर के भाषणों का संग्रह	Collection of Dr. Ambedkar's Speeches	1020
8156 आरोपित वायु सीमा उल्लंघनों के बारे में चीन का विरोध पत्र	Chiense Protest against alleged Air Violations	1021
8157 परमाणु अनुसंधान के प्रशिक्षार्थी	Trainees in Atomic Research	1021

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Contd.

U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
8158	गाजा में हताहत भारतीय सैनिकों को मुआवजा	Compensation for Indian Personnel killed and wounded in Gaza	1021–1022
8159	गैर-तकनीकी अधिकारियों के सेवाकाल का बढ़ाया जाना	Extension of Services to Non-Technical Officers ...	1022
8160	कलकत्ता के लिए शक्तिशाली ट्रांसमीटर	High Power Transmitter for Calcutta ..	1023
8161	राष्ट्रीय छात्र सेना दल और प्रादेशिक सेना की वर्दियां	Uniforms for N. C. C. and Territorial Army	1023
8162	नेपाल में नक्सलबाड़ी के साम्यवादियों का मुख्य कार्यालय	Headquarters of Naxalbari Communists in Nepal ... –	1023
8163	विविध-भारती के हिन्दी पोषक कार्यक्रम	Hindi Oriented Programmes of Vividh Bharati	1023–1024
8164	साम्यवादी नेताओं द्वारा कानपुर में आयोजित जुलूस	Procession Organised by Communist Leaders in Kanpur	1024–1025
8165	सैनिक इंजीनियरी सेवा (एम. ई. एस.) के अधिकारी	M. E. S. Officers	1025
8166	हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	Hindustan Construction Company	1025–1026
8167	संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में नागालैंड का प्रश्न उठाया जाना	Raising of Question of Nagaland in the U. N. General Assembly	1026
8169	उत्तर प्रदेश में चोर बाजार में अखबारी कागज की बिक्री	Sale of Newsprint in Blackmarket in U. P.	1026–1027
8170	पाकिस्तान जाने वाले तीर्थ यात्रियों को पासपोर्ट देने सम्बन्धी नियम	Rules regarding issue of Passport to Pilgrims to Pakistan	1027–1028

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

8171	सैनिक स्कूल	Sainik Schools	1028
8172	भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाने और उन्हें फिर से बसाने के लिए विशेष कोष	Special Fund for Reconstrction and Rehabilitation of Ex-Servicemen	1028-1029
8173	प्रदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के बच्चों की शिक्षा	Education of Children of Indian Nationals Living Abroad	1029
8174	विदेशों में भारत का स्वरूप	Image of India in Foreign Countries ..	1029-1030
8175	स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मचारियों के वेतनमान	Pay scales of Army, Navy and Air Forces Personnel	1030
8176	बम्बई स्थित सीरिया के महा-वाणिज्य दूत के कार्यालय में चोरी	Theft in Office of Consul-General of Syria in Bombay ...	1030-1031
8178	पट्टे पर दी गई प्रतिरक्षा मन्त्रालय की भूमि	Land belonging to Defence Ministry given on lease ..	1031-1032
8179	परमाणु वैज्ञानिक तथा नाभिकीय इन्जीनियर	Atomic scientists and Nuclear Engineers	1032
8180	भारतीय वायुसेना का लापता विमान	Missing I. A. F. Plane	1033
8181	स्वतन्त्रता की बीसवीं वर्षगांठ मनाने का कार्यक्रम	Programme for celebration of the 20th Anniversary of Independence	1033-1034
8182	प्रतिरक्षा सम्बन्धी कामों के लिए बेहाला कलकत्ता) में भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Defence purpose in Behala (Calcutta) .. —	1035
8183	अनुसधान तथा विकास संस्थान	Research and Development Organisation ..	1035-1036
8184	आकाशवाणी से राजनैतिक प्रसारणों सम्बन्धी संहिता	Code for Political Broadcasts on A. I. R. ...	1036-1037

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

8185	आकाशवाणी के समाचार वाचक (न्यूजरीडर)	Newsreader in A. I. R. ...	1037
8186	प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान	Institute of Defence studies and Analysis ...	1038-1039
8187	प्रेस परिषद् में सेवा निवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति	Re-Employment of Retired Officials in Press Council	1039
8188	प्रेस परिषद्	Press Council	1039-1040
8189	अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन	A. I. N E. C. ..	1040
8190	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में बेतार के पारेषण-यंत्र (वायर-लैस ट्रांसमिटर) तथा भारतीय नेताओं के चित्र लगाना	Wireless Transmitters and display of Photo of Indian Leaders in Indian Missions Abroad	1040-1041
8191	पश्चिम बंगाल में प्रति-रक्षा मंत्रालय के कब्जे में भूमि	Land under occupation of Defence Ministry in West Bengal ...	1041
8192	फिल्में बनाने वाली यूनिटें	Film Producing Units	1041-1042
8193	डैजर्ट (मरुस्थल) डिवीजन	Desert Division	1042
8194	भारतीय नौसेना अध्यक्ष की रुस यात्रा	Visit by Indian Chief of Naval Staff in Soviet Union	1043
8195	अन्तरिक्ष खोज	Space Research ...	1043
8196	एशियाई समाचार ऐजेंसी	Asian News Agency	1043-1044
8197	चीन के 'पीपल्ज डैली' नामक समाचार पत्र में लेख	Article in the Poople's Daily of China ..	1044
8199	पाकिस्तान में छपा भारत विरोधी साहित्य	Anti-Indian Literature Published in Pakistan	1044-1045

अता.प्र. संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

8200	भारत में अमरीकी सैनिक सप्लाई मिशन	U. S. Military Supply Mission in India	1045
8201	पालम हवाई अड्डे पर पकड़ा गया चीनी साहित्य	Chinese Literature Seized at Palam Airport	1045–1046
8102	नेपाल में लगी हुई भारतीय पूंजी	Indian Investiments in Nepal	1064

नियम संख्या 40 के अन्तर्गत / Under Rule-40

5. तीसरी लोक सभा की प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन	Reports of the Estimate Committee of Third Lok-Sabha	1046–1'48
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1048–1050
प्रधान मंत्री के निवास-स्थान पर पुलिस द्वारा संसद्-सदस्यों के साथ कथित दुर्व्यहार	Alleged man-handling of some Members of Parliament by the Police at the Prime Ministrie's residence ...	1048
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1051
लोक लेखा समिति	Public Account Committee	1051
दूसरा तथा तीसरा प्रतिवेदन	Second and Third Reports	1051
स्थगन प्रस्ताव तथा विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)	Re.Motion for Adjournment and Question of Privilege (Query)	1051
वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 के लिये अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति आयुक्त के चौदहवें व पन्द्रहवें प्रतिवेदनों सम्बन्धी प्रस्ताव (जारी–चर्चा समाप्त नहीं हुई)	Motion re. Fourteenth and Fifteenth Reports of Commissioner for Scheduled Casts and Seheduled Tribes for 1964–65 and 1965–66 (Contd.-not concluded)	1052
श्री जे. एच. पटेल	Shri J. H. Petal	1052

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री क. हाल्दर	Shri K. Haldar ..	1053
श्री गणेश	Shri K. R. Ganesh ...	1054
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	1055
श्री एँस. एम जोशी	Shri S. M. Joshi	1062
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti ..	1063
श्री लषण लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor	1064
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	1064
श्री जेवियर	Shri S. Xavier	1065
श्री सुब्रावेलू	Shri Subravelu ..	1065
श्री अदिचन	Shri Adichan ...	1067
श्री स्वैल	Shri Swell	1067
श्री रा. स्व. विद्यार्थी	Shri R. S. Vidiyarthi	1068
श्री भालजी भाई परमार	Shri Bhaljibhai Parmar — ..	1068
श्री शंकरानन्द	Shri Shankara Nand	1070
श्री कार्तिक ओराओं	Shri Kartik Oraon — ...	1070
देश की खाद्य स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव	Motion re. Food Sitiuation in the Country ...	1071
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Anna Sahib Shinde — ..	1072
श्री नी. श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sree Kantan Nair	1073
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	1074
श्री कृ. मा. कौशिक	Shri K. M. Kaushik	1075
श्रीमती जयाबेन शाह	Shrimati Jayaben Shah	1076
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma — ..	1077
श्री शिवाजी राव देशमुख	Shri Shivaji Rao Deshmukh	1077
श्री सम्बन्धन	Shri Sambandhan	1078

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Pram Chand Varma ..	1079
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ...	1080
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu ...	1081
श्री विश्वम्भरन	Shri Viswambharan	1082
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri Panna lal Barupal	1083
श्री ज्योतिर्मय बसु	otirmoy Basu	1084
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	1085
श्री समर गुह	Shri Smar Guha	1086
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Choudhary	1086
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Muhammad Ismail	1086
श्री राम किशन	Shri Ram Kishan —	1087
श्री लखण लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor	1087
श्री शिकरे	Shri Shinkre	1088
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	1088

लोक-सभा वाद-विवाद का अनुदित संस्करण

7 अगस्त, 1967 । 16 श्रावण , 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
978	तारांकित प्रश्न संख्या 1631 के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित अंग्रेजी रूपान्तर पढ़िये :

' Phizo's plan to proceed to Peking

+* 1631 ShriRam Avtar Sharma :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Raghuvir Singh Shastri
Shri Shiv Kumar Shastri
Shri Atam Das
Shri Y.S. Kuswah
Shri Prakash Vir Shastri

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Naga Leader, Phizo who is in London at present is contemplating to proceed to Peking in the near future;

(b) whether he is visiting China in pursuance of the appeal made by the hostile Nagas military mission to China for their help ;

(c) whether Government have urged upon the U.K. Government not to provide him the passport and visa facilities ; and

(d) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri M.C. Chagla)

(a) The Government of India do not have any information regarding Shri Phizo's visit to Peking. It is a matter for consideration that Shri Phizo is a British citizen.

(b) to (d) Do not arise . '

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 7 अगस्त, 1967/ 16 श्रावण, 1889 (शक)

Monday, August 7, 1967/Sravana 16, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker ***in the Chair***

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सी० डी० नम्बर वाली प्लेटें जारी करने पर प्रतिबन्ध

+
***1617. श्री विभूति मिश्र :**
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली में राजनयिक मिशनों के कर्मचारियों की गाड़ियों के लिये सी० डी० नम्बर वाली प्लेटें जारी किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के लिये उनके मंत्रालय से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) : जी नहीं। लेकिन दिल्ली के ले० गवर्नर ने सुझाव दिया है कि राजनयिक अधिकारों को जो उन्मुक्ति पाने का हक है, वह उनकी व्यक्तिगत कारों पर ही लागू होती है, न कि मिशन की गाड़ियों पर ।

(ख) : कुछ सड़क दुर्घटनाएं हो जाने के बाद ले० गवर्नर का यह सुझाव आया क्योंकि गाड़ियों पर सी० डी० नंबर प्लेट लगी हुई थी।

(ग) : विदेश मंत्रालय कन्वेंशन आन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, 1961 की व्यवस्थाओं के अनुरूप यह सुनिश्चत करने के लिए समुचित कार्यवाई करता है कि जिन लोगों को राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त है, वे देश का कानून भंग न करने पाएं।

Shri Bibhuti Mishra : How many C. D. Plates have been removed in accordance with the orders of the Lt. Governer and the extent to which the number of accidents has declined due to the same ?

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं समझता कि कोई सी० डी० नम्बर वाली प्लेट हटाई गई है क्योंकि राजनयिकों के अधिकारों, उन्मुक्तियों एवं विशेषाधिकारों का विनियमन जनेवा अभिसमय द्वारा होता है और राजनयिकों और उनके कर्मचारियों को हमें कुछ उन्मुक्ति देनी पड़ती है। हम केवल यह कर सकते हैं कि यदि किसी दूतावास ने भारतीय ड्राइवर को सेवा में रखा हो तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाये परन्तु राजनयिकों और उनके वैयक्तिक कर्मचारियों को उन्मुक्ति हमें देनी ही पड़ती है।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know the extent to which the number of accidents has declined after removal of C. D. Plates from the vehicles of non diplomates ?

श्री मु० क० चागला : सी० डी० नम्बर वाली प्लेटों को हटाया नहीं जा सकता। इस आशय का सुझाव ले० गवर्नर ने दिया था परन्तु जनेवा अभिसमय के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते। अतः हम उनका सुझाव स्वीकार नहीं कर सके।

Shri Molhu Prasad : How far has the restriction reduced or increased accidents ?

श्री मु० क० चागला : मैंने बताया है कि कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया।

Shri Maharaj Singh Bharati : Have the Government received any complaints to the effect that those people will fully accidents because they cannot be challaned, according to Geneva Convention?

श्री मु० क० चागला : ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐक मामले में एक दूतावास वालों ने फायल हुए व्यक्ति के सम्बन्धियों को 20,000 रुपये देकर फैसला किया। हमने सी० डी० नम्बरों की प्लेटों वाली सभी कारों के लिए तीसरी पार्टी से बीमा करवाना अनिवार्य कर दिया है ताकि यदि कोई दूतावास फायल व्यक्ति को अथवा उसके सम्बन्धियों को मुआवजा न दे तो वे बीमा कम्पनी से वसूल कर सकें।

Shri Maharaj Singh Bharati : My question remains unanswered. I wanted to know whether any complaints have been received to the effect that since they cannot be challaned so they wilfully do accidents?

श्री मु० क० चागला : जानबूझ कर दुर्घटना करने की शिकायत हमें कोई प्राप्त नहीं हुई।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had written to you a letter mentioning a case in which no compensation was given to the family of the person who was killed by accident with an Embassy Vehicle. No body is there to support his family now. Is there no rule by which some compensation could be given in such cases ?

श्री मु० क० चागला : मुझे ऐसे दो, तीन मामलों की जानकारी है। एक मामले में जोर्डन के दूतावास वालों ने 20,000 रुपये दिये थे । दूसरा मामला पाकिस्तान उच्चायुक्त का है। उन्होंने कहा कि प्रथम सचिव दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं है और उन्होंने घायल व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने से इन्कार कर दिया। एक अन्य दूतावास का मामला था जो ज्यादा गम्भीर नहीं था । इनके अतिरिक्त यदि कोई अन्य मामला हो तो मैं निश्चित ही उस की जांच-पड़ताल करूंगा। यदि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के ध्यान में कोई अन्य मामला आया हो तो मैं उन्हें बताऊंगा।

Shri Hukam Chad Kachwai : I have written a letter to you. Rs.500 have been given by the Prime Minister . He has three children who are without any support at present I have received your reply but nothing has so far been given to them.

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र यह समझें कि हम उन्हें मुआवजा देने पर मजबूर नहीं कर सकते। यह अदायगी अनुग्रह पूर्वक होती है। दया भाव रखने वाला अथवा मानव दुख को कम करने में विश्वास रखने वाला दूतावास तो मुआवजा देदेगा परन्तु ऐसे भी दूतावास हैं जो राजनयिक अधिकारों का नाम लेकर कह देते हैं कि "हमें उन्मुक्ति प्राप्त है" हम न्यायालय में उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते। राजनयिक प्रथाओं का पालन हमें करना पड़ता है।

श्री अ० न० सिन्हा : क्या हमने भी पारस्परिकता के आधार पर उन देशों के राजनयिकों पर, जिन्होंने हमारे राजनयिकों पर प्रतिबन्ध लगाया है, जैसे चीन में, कोई प्रतिबन्ध लगाया है?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न सी० डी० कारों के बारे में है।

श्री नाथ पाई : क्या मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि सी० डी० नम्बर की प्लेटों वाली कारों को चलाने वालों में, विशेषकर उन्हें चलाने वाले भारतीयों में अन्य लोगों से ऊंचा होने की भावना आ जाती है ? क्या मैं जान सकता हूं कि इन कारों के लिए सी० डी० नम्बर वाली प्लेटें देने का औचित्य क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सी० डी० प्लेटों वाली कारों के बारे में है। आप समूचे विदेश नीति के प्रश्न में जा रहे हैं।

श्री नाथ पाई : दूतावासों के ट्रकों और बसों के लिये भी सी० डी० नम्बर वाली प्लेटें देने का क्या औचित्य है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि उनके ट्रकों और बसों के लिये भी सी० डी० नम्बर वाली प्लेटें दी जाती हैं। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। परन्तु

मैं बता चुका हूँ कि उनकी कारें चलाने वाले भारतीय ड्राइवरों को उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। यदि वह बेपरवाह होकर गाड़ी चलाता है और निर्धारित गति से अधिक गति से चलाता है तो उस पर मुकद्दमा चलाया जा सकता है। उन्मुक्ति केवल ऐसे गाड़ी चलाने वाले के लिये है जो किसी दूतावास का राष्ट्रिक हो।

श्री नाथ पाई : उन्मुक्ति तो दूतावास के कुछ कर्मचारियों तक ही सीमित होती है। सी० डी० नम्बर की प्लेट वाली गाड़ी चलाने वाले हर व्यक्ति को उन्मुक्ति कैसे प्राप्त हो जाती है ?

श्री मु० क० चागला : जनेवा अभिसमय के अनुसार उन्मुक्ति केवल राजनयिकों और उनके वैयक्तिक कर्मचारियों को प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने बताया गाड़ी चलाने वाले भारतीय अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति पर मुकद्दमा चलाया जा सकता है। उन्मुक्ति राजनयिक मिशन के सदस्यों और उनके वैयक्तिक कर्मचारियों को प्राप्त होती है। यदि गाड़ी कोई अन्य व्यक्ति चलाता है तो कानून के अनुसार उस पर मुकद्दमा चल सकता है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : दिल्ली में कितनी सी० डी० कारें चल रही हैं और पिछले तीन वर्षों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ?

श्री मु० क० चागला : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

Shri George Fernandes : The matter of C. D. Plates is not confined to accidents only. This has become a means of smuggling to a very large extent. Does the Geneva Convention apply to those who carry on smuggling with C. D. Plates on vehicles ? If so, will the hon. Minister make efforts to keep in within limits at least in Delhi and if not, the number of persons apprehended for carrying on smuggling by displaying C. D. Plates ?

श्री मु० क० चागला : मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि उन्मुक्ति किसी मिशन के गैर-राजनयिक सदस्य पर, यदि वह गैर-सरकारी काम के लिए कार चला रहा हो तो लागू नहीं होती। उन्मुक्ति के लिए अनिवार्य व्यवस्था इस प्रकार है कि गाड़ी चलाने वाला राजनयिक का वैयक्तिक कर्मचारी हो और दूसरे वह सरकारी कार्य के लिये कार चला रहा हो। यदि वह शराब का तस्कर व्यापार करने का प्रयत्न कर रहा है अथवा तस्कर व्यापारियों को शराब बेचने का प्रयत्न कर रहा है तो उस पर मुकद्दमा अवश्य चलाया जा सकता है। उस स्थिति में उसे उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। राजनयिक मिशन का काम इस देश में शराब बेचना नहीं है।

Shri George Fernandes : My question has not been answered. It is quite clear that smuggling is carried on in Delhi. On a large scale by putting on C. D. Plates. Will the hon. Minister adopt some measure not to give such ummunity to anybody except the highest and responsible officials of all the Embassies ?

श्री मु० क० चागला : मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि उन्मुक्ति का सी० डी० नम्बर की प्लेट के साथ सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध व्यक्ति के साथ है। ऐसी गाड़ी चलाने वाला राजनयिक का वैयक्तिक कर्मचारी होना चाहिये और वह सरकारी कार्य के लिए गाड़ी चला

रहा होना चाहिये। अब हम ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं जिससे राजनयिक मिशनों द्वार बड़ी मात्रा के शराब एवं सिगरेट आयात करने पर नियंत्रण रखा जा सके।

Shri Prem Chand Verma : I want to till the hon. Minister that this matter of C. D. Plates is very serious. In a number of vehicles, with C. D. Plates, plying in Delhi, not Ambassadors and High Commissioners but other persons more about aimlessly causing harm and even death to people. Will you allow such people to kill us under the wheels or make some provision so that proper punishment could be awarded to the offenders ?

श्री मु० क० चागला : मैं बता चुका हूँ कि उन्मुक्ति जनेवा अभिसमय के अनुसार है।

उत्तरी वियतनाम को माल ले जाने वाले जहाज

+
***1618. श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री चित्तरंजन राय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है जो जहाज 25 जनवरी 1966 के बाद उत्तरी वियतनाम को माल ले गये थे और जिन्हें माल ढोने के लिये अपात्र घोषित कर दिया गया, उन्हें ऐसा माल ले जाने की अनुमति नहीं होगी जिसके लिये वित्त की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेन्सी द्वारा की जाएगी;

(ख) क्या सरकार ने कोई विरोध किये बिना इन प्रतिबन्धों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारत सरकार ने क्यूबा और उत्तरी वियतनाम के साथ सामान्य व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कोई प्रयास किए हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) जैसा कि 2 सितम्बर 1965 को लोकसभा में प्रश्न संख्या 1293 के उत्तर में बताया गया है, 'विदेशी सहायता' से सम्बद्ध अमरीकी कानून के मुताबिक संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के साथ हमारे करारों में यह व्यवस्था है कि उसके अन्तर्गत किसी ऐसे माल पर धन न दिया जाय जो किसी ऐसे समुद्री जहाज पर भेजा जाता हो जिसे उक्त एजेन्सी ने वह माल ले जाने के अयोग्य ठहरा दिया हो जिस पर उसने धन लगाया है। अमरीकी विनियमों के अनुसार, यह अयोग्यता अन्य बातों के साथ साथ उन जहाजों पर लागू होती है जो 1 जनवरी 1963 के पास क्यूबा की बन्दरगाहों पर अथवा 25 जनवरी 1965 के बाद उत्तर वियतनाम की बन्दरगाहों पर जाकर रुके हों।

कोई भी सहायता—दाता राज्य ऐसे कदम उठाता है जिन्हें वह अपने राष्ट्रीय हित में आवश्यक समझता है और किन्हीं खास श्रेणी के जहाजों को सहायता सम्बन्धी माल ले जाने से दूर रखना एक ऐसा कदम हो सकता है। लेकिन यह किसी सूरत में भारत सरकार पर

प्रतिबन्ध नहीं है और इसे स्वीकार करने अथवा इसके खिलाफ विरोध प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाजरानी पर अमरीकी प्रतिबन्धों से क्यूबा तथा उत्तर वियतनाम के साथ हमारे व्यापार सम्बन्धों पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप किया जाता है। यह बात इस सदन में कई बार बताई जा चुकी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस वर्ष के स्टाक में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया था कि 25-1-1966 के बाद उत्तरी वियतनाम को माल ले जाने वाले जहाजों को इस देश में अमरीकी माल लाने की अनुमति नही दी जाएगी। क्या अमरीकी सरकार के प्रतिबन्ध के अनुसार, भारत सरकार ने अपने मन्त्रालयों, विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, जो इस प्रकार माल ले जाने से सम्बद्ध हैं, अमरीका के वाणिज्य विभाग, समुद्रीय प्रशासन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की प्रतियां उनकी जानकारी के लिये और आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दी थीं।

श्री मु० क० चागला : संयुक्त राज्य अमरीका से विदेशी सहायता सम्बद्ध रखने वाले सभी इस प्रतिबन्ध के बारे में जानकारी रखते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या हमारे मंत्रालयों एवं विभागों को परिपत्र जारी किया गया है ?

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं जानता कि विशेष तौर पर इस की सूचना दी गई थी या नहीं। परन्तु मुझे विश्वास है कि इसकी जानकारी सबको है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: भारत नियंत्रण आयोग का सदस्य है, इसके बावजूद वे माल व सामग्री बराबर भेज रहा है, जिसे युद्ध की सामग्री कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में क्या सरकार उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, दोनों से व्यापार करने अथवा व्यापार पूर्णतः समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है; और क्या वर्तमान संकट पर काबू पाने के लिए अपने तैयार माल के लिए मण्डी ढूंढने के लिये सरकार व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल क्यूबा और उत्तरी वियतनाम भेजने के बारे में विचार करेगी ?

श्री मु० क० चागला : इन देशों के साथ व्यापार के बारे में स्थिति का ब्यौरा इस सभा में कई बार दिया जा चुका।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मन्त्री महोदय कहते रहे हैं कि यदि हम उत्तरी वियतनाम को माल बेचते हैं तो वह माल चीन पहुंच जाएगा। इन परिस्थितयों में क्या वे नेपाल के साथ व्यापार समाप्त करने के बारे में विचार करेंगे जिसके चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध हैं ?

श्री मु० क० चागला : इस समय हम उत्तरी वियतनाम और क्यूबा की बात कर रहे हैं। क्यूबा को हम पटसन भेजते हैं और इस विषय में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। प्रतिबन्ध केवल घातक हथियारों के लिये है और इस देश को हम घातक हथियार नहीं भेज रहे हैं। उत्तरी

वियतनाम के साथ व्यापार न करने का कारण यह है कि वहां माल भेजने पर वह चीन को पहुँच जाता है। यहां नेपाल के बारे में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि यह बात है तो आपको नेपाल के साथ व्यापार करना भी बन्द कर देना चाहिये।

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : उत्तरी वियतनाम के साथ व्यापार हमने 1962 में बन्द किया था। इसका वर्तमान प्रतिबन्ध से कोई सम्बन्ध नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उस समय व्यापार क्यों बन्द किया गया था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वैदेशिक कार्य मंत्री इसका कारण बता चुके हैं। प्रश्न यह है कि क्या संयुक्त राज्य अमरीका में विशेष विधि के पास होने के कारण ऐसा किया गया था। इसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको उत्तरी वियतनाम के साथ व्यापार सम्बन्ध न रखने के लिए बाध्य किया गया गया है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपको नेपाल के साथ भी ऐसा बर्ताव करना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध को उचित ठहराने का प्रयत्न न करें। आप अमरीका गईं और आपने वहां पर कहा कि जानसन शांति चाहते हैं। अतः हम आप से क्या आशा कर सकते हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या भारत सरकार ने जनवरी, 1966 के बाद उत्तरी वियतनाम को कोई माल भेजा है और क्या इसका विचार उत्तरी वियतनाम के साथ व्यापार सम्बन्ध न कायम करने का है, क्योंकि सरकार का कहना है कि उत्तरी वियतनाम को भेजा जाने वाला माल चीन को चला जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा, 1962 के बाद से उत्तरी वियत नाम के साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध नहीं हैं और वही स्थिति अब तक बनी हुई है। यह कोई नई बात नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार उत्तरी वियतनाम के साथ अपने व्यापार सम्बन्धों के बारे में पुनर्विचार करने पर विचार कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : सरकार किसी भी समय ऐसा कर सकती है, परन्तु इस समय इसकी कोई आवश्यता नहीं है। इसका कारण यह है कि उत्तरी वियतनाम के साथ हमारे व्यापार का लाभ चीन को न पहुंचे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार में इतना साहस नहीं कि अमरीका के साथ अड़ सकें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह बात हमारे राष्ट्र के हित में है कि यदि हम दक्षिणी वियतनाम के साथ व्यापार सम्बन्ध बनाये रखते हैं तो उसका लाभ अमरीकी फौजों को हो सकता है जो वहां लड़ रही हैं ? यह कैसी असम्बद्धता है ?

श्री मु० क० चागला ; हम कोई घातक शस्त्र वहां नहीं भेज रहे । हम कोई भी ऐसा माल वहां नहीं भेज रहे जिससे किसी देश को युद्ध में सहायता मिलती हो ।

श्री लो० बो० प्रभु : क्या हमें अमरीका के प्रति, जिसने उदारता पूर्वक हमारी सहायता की है,अपना कर्तव्य निभाने के लिये चीन और उत्तरी वियतनाम के साथ व्यापार पर पूरी रोक लगाना हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

नेफा की सीमा पर चीन के लाल रक्षक

+
*1619. **श्री राम किशन :** **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा : **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री हेम बरुआ :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री बलराज मधोक :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री गिरराज शरण सिंह **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री श्रीनिवास मिश्र : **श्री रामसिंह अयरवाल :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1967 के "इन्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नेफा की सीमा पर चीन के लाल रक्षक सक्रिय हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि चीन के लाल रक्षक नेफा के कामेंग जिले में अपने शिविर लगाकर वहां सांस्कृतिक क्रांति के लिये कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सरकार स्थिति के प्रति जागरुक है ।

श्री राम किशन : क्या चीनी लाल रक्षक नेफा क्षेत्र के अन्दर भी अपना घृणित प्रचार कर रहे हैं, यदि हां, तो उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह प्रचार हमारी सेनाओं में तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों में भी किया जा रहा है ? यदि हां तो उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मु० क० चागला : वास्तव में मुख्य प्रश्न चीनी लाल रक्षकों द्वारा सांस्कृतिक क्रान्ति के लिये नेफा के कामेंग जिले में अपनी गतिविधियां जारी रखने का है । चीन इस क्रान्ति के पक्ष में प्रचार करता है और हम इसका प्रभाव समाप्त करने के लिये हर सम्भव

कार्यवाही करते हैं। मुझे विश्वास है कि भारतवासी जो यह प्रसारण सुनते हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री राम किशन : स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रचार का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता।

Shri Yajna Dutt Sharma : The manner in which this propaganda is countered and whether it is not a fact that the Chinese have infilterated into the neutral zone and if so, the steps being taken by Government to evict them?

श्री मु० क० चागला : चीनियों ने हमारे क्षेत्र में कोई केन्द्र स्थापित नहीं किये हैं। वे अपने क्षेत्र से प्रचार करते हैं जिसका उत्तर हमारी ओर से रेडियो द्वारा जवाबी प्रचार से दिया जाता है, साहित्य बांटा जाता है, लोगों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है।

Shri Jaggannath Rao Joshi : Is it not a fact that Englishmen have also made efforts to separate N. E.F. A. from India. The activities of white guards like Michal Scott are equally dangerous like these of Red guards. After getting proof thereof some of the missionaries have been externed. Whether any efforts have been made to restrict missionaries activities and if so, what ? The Bhartiya Vidyarathi Parishad had invited students from Nefa to Bombay and made arrangements for their stay at Bombay. Has any such programme been chalked out ? Why administration of Nefa is not transferred from foreign affairs ministry to Home Affairs ministry ?

श्री मु० क० चागला : चीन न केवल नेफा में अपितु मिजो पहाड़ियों तथा नागालैंड में भी, ऐसा प्रचार करके भारत की अखण्डता को नष्ट करना चाहता है। नेफा के लोग अपने आपको भारत का अभिन्न अंग मानते हैं और हम देश की अखण्डता नष्ट नहीं होने देंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether any arrests have been made for distributing propaganda literature or whether anysuch literature has been siezed and if so, the details in this regard ?

श्री मु० क० चागला : यदि नेफा में कोई साहित्य सामग्री बांटी जाती है तो उसे जब्त कर लिया जाता है। नेफा में किसी चीनी का घुसने का प्रश्न ही नहीं है। हम उनके प्रचार का खण्डन कर रहे हैं। यदि कोई अराष्ट्रीय व्यक्ति वहां जाता है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।

श्री का० प्र० सिंह देव : क्या सरकार को हमारी सीमाओं पर चीनी खतरे की जानकारी है जो चीन में सांस्कृतिक क्रान्ति के फलस्वरूप वहां उत्पन्न हो सकता है? यदि हां, तो सरकार ने क्या आवश्यक कार्यवाही की है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां। हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

श्री गिरराज शरण सिंह : क्या भारत का कोई विशेष राजनीतिक दल देश में लाल रक्षक जैसा आंदोलन चलाना चाहता है ?

श्री मु० क० चागला: हमारी जानकारी में तो देश में कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया जा रहा ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : जब मंत्री महोदय ने कहा कि भारत के किसी भी भाग में चीनियों ने लाल रक्षकों के शिविर स्थापित नहीं किये तो क्या उसमें वह क्षेत्र भी शामिल है जो भारत का है परन्तु जिसपर चीनियो ने नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा है ?

श्री मु० क० चागला : मेरा अभिप्राय भारत के उस भाग से है जो हमारे कब्जे में है न कि उस भाग से जो चीन के कब्जे में है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : पीकिंग रेडियो के अनुसार माऊ विचारधारा कि चिंगारी भारतीय भूमि पर भी सुलग रही है तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय लाल रक्षक नेफा, केरल अथवा नक्सलबाड़ी में सक्रिय हैं और यदि हां, तो सरकार इस आंदोलन का दमन करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री मु० क० चागला : पीकिंग रेडियो जो कुछ भी कहता है उसे देव वाणी नहीं समझना चाहिये । चीन तो अतिशयोक्ति के लिये कुख्यात है । जहां तक हमें पता है भारत में ऐसा कोई आंदोलन नहीं चल रहा । हां, हमें जागरुक रहना है । **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री समर गुह : वैदेशिक कार्य मन्त्री प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दे सकते ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : चूंकि चीनी सांस्कृतिक क्रान्ति के फलस्वरूप न केवल चीन में परन्तु बर्मा आदि देशों में भी हलचल मची हुई है, तो क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि भारत में इससे अव्यवस्था न फैले और चीन अनधिकृत रुप से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा न करले ।

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्या ठीक कहती है । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या चीन इस भय के कारण कि कहीं भारत नेपाल तथा बर्मा के साथ संयुक्त सैनिक मोर्चा न बनाले हमारी सीमाओं पर लाल रक्षक एकत्र कर रहा है और भारत में घुसने के लिये सभी प्रकार का प्रचार कर रहा है ?

श्री मु० क० चागला : चीन किस कारण यह सब कर रहा है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री बलराज मधोक : क्या सरकार ने नेपाल, सिक्किम तथा भूटान आदि की सरकारों से मिलकर लाल रक्षकों का दमन करने का कोई कार्यक्रम तैयार करने का विचार किया है क्योंकि कुछ राजनैतिक दल, विशेषकर नक्सलबाड़ी की ओर से अपने स्वयं सेवक प्रशिक्षण लेने हेतु तिब्बत भेजते हैं, जो भारत वापिस आकर अराजकता फैलायेंगे और तोड़फोड़ की कार्यवाही करेंगे ?

श्री मु० क० चागला : नेपाल एक स्वतन्त्र देश है और तर्क के तौर पर भी यह उचित नहीं है कि हम उन्हें ऐसा कोई सुझाव दें । हां, हम विचार विमर्श कर सकते हैं और करते रहते हैं ।

Shri Hardayal Devgun : May I know whether any literature intended for distribution in India has been siezed or whether any of their agents who are paid for its distribution has been arrested?

श्री मु० क० चागला : मेरी जानकारी में नेफा में कोई साहित्य नहीं बांटा गया और न ही वहां इस कार्य के लिये किसी को धन दिया गया है । परन्तु यदि कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उसे कड़ा दण्ड दिया जायेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know whether the Chinese indulge iu propaganda work from the 20 km neutral zone where we have not gone after 1962 conflict and if so, the steps taken to counteract that ?

What has been the impact of Chinese propaganda on our people ? Have some persons been arrested on accounts of their being associated with Chinese activities?

श्री मु० क० चागला : मैं प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर पहले ही दे चुका हूं । मैं समझता हूँ प्रचार करने में उन्हें सफलता नहीं मिली । मैं यह भी कह चुका हूं कि मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं ।

प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि यह प्रचार हमारे देश में नहीं अपितु चीन के अन्दर होता है । मुझे खेद है कि मैं और अधिक जानकारी नहीं दे सकता हूं ।

श्री दी० चं० शर्मा : चीन में लाल रक्षकों द्वारा आरम्भ की गई तथाकथित सांस्कृतिक क्रान्ति-विरोधी क्रान्ति भी चीन के यूमान, सिकियांग जैसे अन्य प्रान्तों में भड़क उठी है तथा चीन की मुख्यभूमि पर तथाकथित क्रान्तिकारी शक्तियों एवं क्रान्ति विरोधी शक्तियों के बीच बड़ा तनाव है । क्या पुस्तकों पर्चों तथा आकशवाणी आदि के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को इन तथ्यों से अवगत किया जा रहा है ।

श्री मु० क० चागला : हां, लोगों को माओ के दर्शन तथा सम्पूर्ण चीन जो उनकी सांस्कृतिक क्रान्ति के विचारों के अनुकूल बदलने के प्रयत्नों के सम्बन्ध में चीन में होने वाली प्रतिक्रिया से अवगत किया जा रहा है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या चीन के प्रचार के विरुद्ध पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है ? क्या सरकार इन्डोनेशिया, नेपाल तथा बर्मा जैसे देशों से मिलकर जिनके चीन ने प्रचार आरम्भ कर दिया है, आवश्यक कदम उठाना चाहती है तथा क्या सरकार निरन्तर सम्पर्क के द्वारा उन देशों में चीनी प्रचार के विरुद्ध जनमत तैयार करना चाहती है ?

श्री मु० क० चागला : यह सौभाग्य की बात है कि सम्पूर्ण विश्व में चीन के दोस्त ऐशिया में केवल पाकिस्तान और कम्बोडिया हैं और योरोप में अल्बानिया है । किन्तु मैं अपने

माननीय मित्र द्वारा दिये गये सुझाव का स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे सहयोगी सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं कि हमें मित्र देशों के साथ मिलकर प्रचार करना चाहिये।

श्री स्वैल : मूल प्रश्न का पहला भाग इस प्रकार है कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि नेफा सीमा पर चीनी लाल रक्षक सक्रिय है और इसका उत्तर हां में दिया गया है। इस 'हां' का क्या अर्थ है ? क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है, अथवा क्या इसका अर्थ यह हुआ कि चीनी लाल रक्षक नेफा सीमा पर सक्रिय हैं ? यदि सक्रिय हैं तो उनकी गतिविधियां किस ढंग की हैं ? मंत्री महोदय ने आगे कहा कि भारत, नेपाल तथा बर्मा के बीच सुरक्षा सन्धि के सुझाव से चीन काफी परेशान है। क्या इसका यह आशय है कि इस सुझाव पर ये तीनों सरकारें सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरे मित्र श्री हेम बरुआ ने पूछा था कि क्या इन तीन देशों में किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की संभावना के कारण चीन परेशान हो रहा है और मैंने उत्तर दिया था कि मैं नहीं जानता कि चीन किस बात से परेशान होता है। अतः मैंने यह कभी नहीं कहा कि ऐसी बात है। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है उसका उत्तर भी 'हां' में है।

श्री स्वैल : मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है कि चीन लाल रक्षक वास्तव में नेफा सीमा पर सक्रिय हैं और यदि हां तो उनकी गतिविधियां किस ढंग की हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं पहले ही यह कहकर इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि ये गतिविधियां प्रचारात्मक हैं और यह शत्रुतापूर्ण प्रचार उनके देश के अन्दर किया जा रहा है।

मिस्टर जेड०ए० भुट्टो

\+

*1620. **श्री कंवर लाल गुप्त** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान का भूतपूर्व विदेश-मंत्री, मिस्टर जेड० ए० भुट्टो 1958 तक भारतीय नागरिक था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह 1947 में भारतीय पारपत्र लेकर विदेश गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मिस्टर भुट्टो का परिवार 1947 में पाकिस्तान चला गया था ;

(घ) यदि हां, तो किन कारणों से सरकार ने मिस्टर भुट्टो को दिये गये पारपत्र को रद्द नहीं किया ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उसने कुछ भारतीय सम्पत्तियों पर अपना दावा बताया है ; और

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उसका आधार क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, श्री जेड० ए० भुट्टो सितम्बर, 1947 में बंबई से अमरीका गए थे, जहां वे भारतीय पासपोर्ट पर अपने परिवार के साथ रह रहे थे । 6–7–1949 को डिप्टी कस्टोडियम द्वारा जब उन्हें निष्क्रांत घोषित किया गया तब उन्होंने कस्टोडियन, कस्टोडियन जनरल, बंबई और पंजाब के हाई कोर्ट में और अन्ततः भारत के सुप्रीम कोर्ट में नौसाल तक विभिन्न कार्यवाइयां करके इस घोषणा आदेश के खिलाफ मुकदमा लड़ा और यह कहा कि उनका पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं था, और उन्होंने यह फैसला नहीं किया था कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कहां बसेंगे । दूसरी ओर, उन्होंने 25–10–1955 को निष्क्रांत व्यक्ति का हैसियत से पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दी थी कि बम्बई हाईकोर्ट में जमा रकम की उन्हें अदायगी कर दी जाए । 1958 में उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी और कहा कि चूंकि वे पाकिस्तान में बस गए हैं इसलिए उनकी अपील को यह मानकर खारिज कर दिया जाए कि वह वापिस ले ली गई है।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस बारे में राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है कि श्री भुट्टो का पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं कर दिया गया था । जो भी हो, श्री भुट्टो ने स्वयं भारत के न्यायालयों में बार बार यह कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में बस जाने का निश्चय नहीं किया था ।

(ङ) और (च) : श्री भुट्टो ने भारत में अपनी सम्पत्ति का दावा किया है । कस्टोडियन ने श्री भुट्टो की चार सम्पत्तियों को निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में अधिसूचित किया था जिनमें 'अस्टोरिया', 4, जमशेदजी टाटा रोड, बम्बई, ब्लेक बे रेवलेमेशन, बम्बई, 1, 'माई नैस्ट', 21 मौला अब्दुल गफ्फार रोड, बम्बई, भी शामिल हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Has some compensation been paid in connection with the properties mentioneed just now ? Do Government watch the activities of those to whom passports are granted ? If so, why Shri Bhutto was not declared an evacuse till 1958, so long as he did not state that he wanted to settle in Pakistan ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि कानून के अधीन किसी निष्क्रान्त की सम्पत्ति परिरक्षक के अधिकार में होती है और कानूनी व्यवस्था के अनुसार ही इसका बटवारा किया जा सकता है। श्री भुट्टो के मामले में भी यही किया गया। उन्हें निष्क्रान्त ठहराया गया और उनकी सम्पत्ति परिरक्षक के अधिकार में थी .. ...

श्री पीलू मोडी : उन्हें निष्क्रान्त क्यों घोषित किया गया ?

श्री मु० क० चागला : क्योंकि वे पाकिस्तान चले गये थे। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है हम महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में आवश्यक तथ्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके पारपत्र के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई थी ? मेरा अपना मत है कि पारपत्र 1945 में जारी किया गया था। साधारणतया पारपत्र 5 वर्ष के लिये वैध समझा जाता है। अतः इसे 1950 में समाप्त हुआ समझा जाना चाहिये था। यह साबित करने के लिये मेरे पास कोई प्रमाण या जानकारी नहीं है कि 1950 के बाद पारपत्र का नवीकरण किया गया था या नहीं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Whether it is a fact that Shri Bhutto said that he was Pakistani as well as Indian national at the sametime and thus he tried to get benefit from India as well as from Pakistan ? What was the name of the father of Shri Bhutto given on the passport issued to Shri Bhutto ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है इससे यही पता चलता है कि लोगों के जीवन में कितना विरोधाभास हो सकता है। एक तरफ श्री भुट्टो सम्पत्ति प्राप्त करने के भारतीय राष्ट्रीयता का दावा करते थे और दूसरी ओर इसके साथ ही पाकिस्तान पाकिस्तानी राष्ट्रीयता का दावा करते थे। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : Just now the Minister for External Affairs has stated that the property of Shri Bhutto has been disposed of in accordance with the procedure laid down in the law for disposal of evacuee property. I would like to know the total value of his property and the amount of compensation paid to him accordingly.

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। जैसा मैंने कहा निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध तत्संबंधी कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है। इसे एक संग्रह (पूल) में रखा जाता है। क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जहां तक सम्पत्ति के मूल्यांकन का सम्बन्ध है, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether it is a fact that Shri Bhutto suffered from mental disease and some one or the other is always suffering from mental disease in his family and whether there is any report regarding his medical treatment ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं श्री भुट्टो का एक मनोवैज्ञानिक मामला है। किन्तु मैं यह नहीं जानता कि वह किसी रोग से पीड़ित थे।

Shri Y. S. Kushwah : Whether precautions are being taken while issuing passports to those whose relatives are in Pakistan in the light of Shri Bhuttos' case.

श्री मु० क० चागला : जहां तक वर्तमान समय का सम्बन्ध है, पारपत्र जारी करने से पहले प्रत्येक मामले में निश्चयतः सावधानी बरती जा रही है ।

Shri Shiv Kumar Shastri : Is Shri Bhutto still the same or there is some change in his ideas as a result of his reaction to Pakistan's attitude ?

श्री मु० क० चागला : इसी कारण पंजाब विधान सभा में इस प्रश्न पर चर्चा हुई और यह साबित करने के लिये, कि श्री भुट्टो ने पाकिस्तान के साथ किस प्रकार विश्वासघात किया तथा अब पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध खराब होने के कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता बनाये रखने के लिये किस प्रकार प्रयत्न किया, ये तथ्य जिन्हें मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूँ, विधान सभा के सत्र में प्रस्तुत किये गये थे ।

Shri Ram Avtar Sharma : I would like to know whether some members of Bhutto family are still living in India and whether they are trying to acquire their property ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है ।

Shri Ram Gopal Shalwale : May I know whether Government are keeping strict watch on those officials whose relatives are still in Pakistan when they visit India and how many persons have recently come to India for discussions with our high officials ?

श्री मु० क० चागला : पाकिस्तान स्थित हमारे उच्चायुक्त से दृष्टांक (वीसा) प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत नहीं आ सकता है और इस सम्बन्ध में हमारे उच्चायुक्त बड़ी सावधानी बरतते हैं तथा मुझे विश्वास है कि दृष्टांकों (वीसा) का दुरुपयोग नहीं किया जाता है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : I would like to know whether there is any provision in Evacuee property Act on the basis of which Shri Bhutto might have acquired some property in Pakistan in lieu of his total property in India on Government level ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : Who is possessing the four properties of Shri Bhutto here at persent ?

श्री मु० क० चागला : इस सम्पत्ति पर अब श्री भुट्टो का कोई अधिकार नहीं रहा। अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति पर परिरक्षक (कस्टोडियन) का अधिकार होता है तथा परिरक्षक (कस्टोडियन) को अधिनियम के अनुसार इन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी होती है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या यह सच है कि श्री भुट्टो की मां राजस्थान की एक हिन्दु महिला थी ?

श्री नाथ पाई : श्री भुट्टो जिस सफाई के साथ अपनी पाकिस्तानी राष्ट्रीयता को भारतीय राष्ट्रीयता में और भारतीय राष्ट्रीयता को पाकिस्तानी राष्ट्रीयता में बदलते हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी आधारभूत निष्ठा इतनी भारत या पाकिस्तान के प्रति नहीं है जितनी अपनी सम्पत्ति के प्रति है। ऐसी स्थिति में यदि वह भारत आना चाहें तो क्या भारत सरकार उन्हें उनकी सम्पत्ति दे देगी ?

श्री मु० क० चागला : जी नहीं।

श्री नाथ पाई : क्यों ?

श्री पीलु मोडी : प्रश्न का उत्तर देते हुये आपने कहा था कि 1958 तक श्री भुट्टो कहते थे कि वह भारतीय नागरिक हैं और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में एक आवेदन पत्र दिया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि उन्हें निष्क्रान्त घोषित किया जाये। चूंकि उन्होंने स्वयं पाकिस्तान से निष्क्रान्त घोषित किये जाने का अनुरोध किया था अतः ऐसा प्रतीत होता है वह भारत लौटना चाहते थे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र कानून को नहीं समझ पाये। जब कोई भारत छोड़कर कहीं चला जाता है तो वह यहां नहीं अपितु वहीं पर निष्क्रान्त समझा जाता है।

श्री मं० रं० कृष्ण : अपनी सम्पत्ति का दावा करते हुए क्या श्री भुट्टो ने कभी भारत में किसी को अपनी सम्पत्ति पर कब्जा करने का सुझाव दिया था ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री म० ला० सोन्धी : यदि यह फिजूलखर्ची पुत्र कभी वापस आना चाहते हों तो क्या इन्हें यहां पर आश्रय पाने का कुछ अधिकार दिया जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : यह प्रश्न केवल कल्पनात्मक है। यदि वह भारतीय राष्ट्रीयता के लिये आवेदन करें तो हमारे यहां राष्ट्रीयता अधिनियम के अधीन इस मामले पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा किन्तु यह अत्यधिक कल्पनात्मक है......(अन्तर्बाधा)

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि जैसे ही श्री अयूब श्री भुट्टो से नाराज हुये उन्होंने और उनकी सरकार ने श्री भुट्टो के विरुद्ध प्रचार आरम्भ किया और उन्हें भारतीय नागरिक कहकर यह बताने का प्रयत्न किया गया कि वह पाकिस्तान के प्रति नहीं अपितु भारत के प्रति निष्ठावान हैं ?

श्री मु० क० चागला : यदि श्री भुट्टो के आज कल के भाषणों को पढ़ा जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि वह किसी भी तरह से भारत के मित्र नहीं है। वह पूर्ववत् ही एक कड़े निन्दक हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या श्री भुट्टो ने विपक्ष के किसी सदस्य से भारत आने ी इच्छा प्रकट की है ?

अध्यक्ष महोदय : विपक्षी इसका उत्तर देने को तैयार नहीं है । श्री हेम बरुआ ।

श्री हेम बरुआ : क्या मन्त्री महोदय क्षण भर के लिये भी ऐसा सोचते हैं कि भारतीयों को कुत्ते कहने वाले श्री भुट्टो अपने कुत्तों के परिवार में आना चाहते हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं ऐसा नहीं सोचता हूं । इसीलिये तो मैंने श्री सोन्धी से कहा कि यह काल्पनिक प्रश्न है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या पाकिस्तान सरकार ने उच्चतम न्यायालय में उनकी सम्पत्ति का दावा करने के अतिरिक्त हमारी सरकार के साथ बातचीत में कभी श्री भुट्टो को मुआवजा दिये जाने का उल्लेख किया था ?

श्री मु० क० चागला : नहीं, यह सब हमारे न्यायालयों का ही कार्य है । पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं रखा है । उन्हें एक न्यायालय के बाद दूसरे न्यायालय में अपील करने का अधिकार था और उन्होंने उच्चतम न्यायालय तक अपील करने के सारे अधिकारों का प्रयोग किया ।

श्री स० कुण्डू : क्या मंत्री महोदय ने श्री भुट्टो की इस दोहरी नागरिकता की चाल की ओर, जो वह (श्री भुट्टो) उस समय चल रहे थे जब वह पाकिस्तान के विदेश मन्त्री थे, पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया था और यदि हां तो पाकिस्तान सरकार ने क्या उत्तर दिया ?

श्री मु० क० चागला : पाकिस्तान सरकार को श्री भुट्टो की गतिविधियों की पूरी जानकारी है और उसने स्वीकार किया है कि उन्होंने एक साथ ही दो राष्ट्रीयताओं का दावा किया है । मैं कह चुका हूं कि इन तथ्यों का पाकिस्तान विधान सभा में उल्लेख हुआ था ।

श्री दी० चं० शर्मा : यह स्पष्ट हो गया है कि श्री जुल्फिकर अली भुट्टो दोहरे विचार रखने और दो मुंही बातें करने में सिद्धहस्त हैं । क्या विदेश मंत्रालय उनके भाषणों को एक ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क की उत्पत्ति समझ कर कि जो यह नहीं समझता कि वह क्या कह रहा है निष्प्रभावी ठहराने से पहले उनका फिर से अध्ययन करेगा ?

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनमें दोहरी निष्ठा को भी जोड़ा जा सकता है । विदेश मंत्रालय ने इस विशेष मामले को समझा है, जिसे मैंने मनोवैज्ञानिक मामला बताया है ।

Shri Abdul Ghani Dar : May I know if any Indian migrates to some other country and changes his nationality will his property be declared as evacuee property ? In South Africa and other places people have been putting forth this demand. May I know whether such property would become evacuee property as is the case with Shri Bhutto's property ?

श्री मु० क० चागला : नहीं, श्रीमन् । जो भारतीय अफ्रीका में हैं वे निष्क्रान्त नहीं हैं । वह अधिनियम अब लागू नहीं होता है । यह स्थिति देश विभाजन के बाद उस समय उत्पन्न

हुई थी जब भारत में लोग अपनी सम्पत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गये थे तथा वह सम्पत्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति हो गई थी ।

Shri Abdul Ghani Dar : May point is whether the property of a Hindu or a Muslim becomes evacuee property when he migrates from India and changes his nationaliys ?

श्री मु० क० चागला : नहीं श्रीमन् । मैं कह चुका हूं कि यह अधिनियम अब लागू नहीं होता है । यदि कोई भारतीय भारत छोड़कर अपनी राष्ट्रीयता बदल देता है तो उसके निष्क्रान्त घोषित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है और न ही उसकी सम्पत्ति को परिरक्षक (कस्टोडियन) के अधिकार में रखने का प्रश्न उठता है । क्योंकि इस प्रकार का अभी कोई कानून नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नवीनतम हथियारों के बारे में जानकारी

*728. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तथा साम्यवादी देशों में उपलब्ध नवीनतम किस्मों के हथियारों, टैंकों, विमानों तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रों के बारे में शीघ्रातिशीघ्र जानकारी प्राप्त करने के लिये सरकार ने समुचित व्यवस्था कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो यह जानकारी प्राप्त करने के स्त्रोत । साधन अथवा माध्यम क्या है; और

(ग) क्या ये साधन सन्तोषजनक समझे जाते हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलि राम भगत) : (क) जी हां । परन्तु उत्पादक देश के सुरक्षा विनियमों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है ।

(ख) यह जानकारी साधारणतः निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्राप्त होती है :

(एक) विदेशों में हमारे दूतावासों । उच्च लोगों द्वारा;

(दो) इस विषय पर प्रकाशनों द्वारा;

(तीन) विदेशी उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा व्यापार मिशनों द्वारा; और

(चार) विदेशों की यात्रा करने वाले हमारे अधिकारियों तथा भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी वैज्ञानिकों तथा अधिकारियों आदि द्वारा ।

(ग) जी हां ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा भाग लिया जाना

*1621 **श्री आत्म दास** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्वतारोहियों का एक दल अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोही सम्मेलन में भाग लेने के लिये फ्रांस जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दल फ्रांसीसी सरकार के निमंत्रण पर वहां जा रहा है अथवा भारत सरकार की अपनी इच्छा से वहां जा रहा है;

(ग) इस दल की यात्रा पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(घ) इस सम्मेलन से भारतीय पर्वतारोहण संस्था को क्या लाभ होने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तीन प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोहियों का एक दल अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोही सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 जुलाई, 1967 को फ्रांस के लिए रवाना हुआ था ।

(ख) यह दल फ्रांसीसी पर्वतारोही संघ के निमंत्रण पर वहां गया है ।

(ग) लगभग एक हजार रुपये ।

(घ) हमारे पर्वतारोहण के उन नवीनतम तरीकों का अध्ययन करेंगे जो विदेशी पर्वतारोहियों द्वारा अपनाये जाते हैं । वे ऊंचाई वाले स्थानों पर प्रयोग में लाये जाने वाले पर्वतारोहण उपकरणों, खाद्य तथा कपड़ों, प्रशिक्षण के उपायों और ऊंचाई वाले स्थानों के वातावरण में छात्रों के रह सकने आदि के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे ।

भारत में दक्षिण कोरिया का महा वाणिज्य दूतावास

***1622. श्री बलराज मधोक :**
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री टी० पी० शाह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया का महा वाणिज्य दूतावास है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत ने बहुत समय पहले सियोल में महा वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय किया था और दक्षिण कोरिया में भारत के प्रथम महा वाणिज्य दूत के पद के लिये श्री एस० एल० छिब्बर का नाम लिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस निर्णय को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) सियोल में मिशन खोलने के निर्णय पर अमल न करने का कारण विदेशी मुद्रा की जबर्दस्त कमी है ।

नेपाल में बांटे गये भारत-विरोधी पर्चे

*1623. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० सोन्धी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ऐसे पर्चे बांटे जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें अमरीकी साम्राज्यवाद और भारत की पूंजीवादी कांग्रेस सरकार के विरुद्ध संघर्ष किये जाने का आह्वान किया गया है, और यह पर्चा भारत की जनता क्रान्तिकारी पार्टी द्वारा जारी किया गया बताया गया है;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नेपाल के महामहिम की सरकार को भी इस बारे में मालूम है और इसमें शक नहीं कि अगर कोई अपराध किया गया है तो वह समुचित कार्यवाही करेगी।

कछार-सिलहट आंचल की भूमि पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा

*1624. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछार-सिलहट आंचल की उस भूमि को, जिस पर पाकिस्तान ने 1963 से अवैध रुप से कब्जा कर रखा है, वापिस लेने के लिये नये सिरे से कोई कार्यबाही करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) सीमा पर निशान लगाने के लिए पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल के भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण विभागों के निदेशकों की नियमित रूप से बैठकें हो रही है; लेकिन सीमांकन से पहले पाकिस्तान द्वारा खड़े किए गए सीमा विवाद के बारे में समझौता होना जरुरी है। भारत से किसी तरह की बातचीत करने के प्रति पाकिस्तान को नकारात्मक रवैये को देखते हुए सीमा का प्रश्न निबटना असम्भव दीखता है।

वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के बारे में पोलैंड के राजदूत के साथ विचार-विनिमय

*1625. श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री म० माझी :
श्री दे० अमात :
श्री गु० चं० नायक :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को जिन समस्याओं का इस समय सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में 17 जुलाई, 1967 को सरकार ने पोलैंड के राजदूत के साथ विचार-विनिमय किया था; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य बातों पर विचार विनिमय किया गया और उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पोलैंड के राजदूत 17 जुलाई, 1967 को विदेश मन्त्री से मिले और उन्होंने वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण कमीशन के सामने आजकल जो समस्याएं हैं, उन पर और अन्य विभिन्न मामलों पर सामान्य रुप से विचारों का आदान-प्रदान किया ।

(ख) यह बातचीत गोपानीय किस्म की थी और उसे बताना उचित न होगा ।

Indian Political Prisoners in Pak. Jails

1626. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Indian political prisoners are receiving very bad treatment in jails in East Pakistan;

(b) whether any steps have so far been taken to get them released;

(c) whether it is also a fact that some members of the minority community in East Pakistan as also supporters of the demand for Independence of East Pakistan are also being subjected to severe torture in jails there; and

(d) if so, Government's reaction in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) There are no Indian Political prisoners in East Pakistan.

(b) Does not arise.

(c) According to Pakistan press reports a large number of Esat Pakistanis, including some members of the minority community, have been imprisoned in East Pakistan, on political grounds. The condition of some of these political prisoners according to the same reports is reported to be quite distressing.

(d) This is an internal affairs of the Government of Pakistan.

U. S. Military Base Near Peshawar in Pakistan

***1627. Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Kameshwar Singh :
Shri A. Sreedharan :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Mahant Digvijainath :
Shsi Samar Guha :
Shri Sequeira :
Kumari Rajani Gandha :
Shri Shrichand Goel :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri J. B. Singh :
Shri N. S. Sharma :
Shri S. Kundu :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state

(a) whether it is a fact that U. S. A. has set up a new military base near Peshawar in Pakistan;

(b) whether this military base has set up under S.E.A.T.O. and C.E.N.T.O;

(c) whether it is also a fact that this base was not included in those new bases, which were vacted by U.S.A. during the last Indo-Pak conflict;

(d) whether it is further a fact that U. S. A. would Pay to Pakistan 10 Crores of dollars annually as rental for this air base, which Pakistan would spend on carrying spying activities in Nepal, India, Burma, Ceylon and Afghanistan; and

(e) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir. According to information available with the Government, an American base which has been in existence in Pakistan prior to the September 1965 hostilities is still there near Peshawar. No new base has been set up by U. S. A. The Government are not aware of any new arrangement between U. S. A. and Pakistan in regard to the existing U.S. facility.

(b) According to our info rmation this base was not set up under SEATO or CENTO.

(c) and (d) We have no information.

(e) The U. S. Embassy in New Delhi was apprised of our concern on the news report. The Embassy has informed us that the story is a malicious fabrication without any basis in fact.

विद्रोही मिजो नेता लालडेंगा की ब्रिटेन यात्रा

***1628. श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही मिजो नेता लालडेंगा मिजो लोगों की स्वतन्त्रता के लिये समर्थन प्राप्त करने तथा विद्रोही नागा नेता श्री फिजो से मिलने के लिये पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ब्रिटेन गए थे ।

(ख) क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन में अपने वास के दौरान वह पाकिस्तान के उच्चायोग में ठहरे थे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार को विश्वसनीय रूप से मालूम हुआ है कि लालडेंगा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर फरवरी 1967 में ब्रिटेन गया था ।

(ख) इन अखबारी खबरों की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ब्रिटेन में लालडेंगा पाकिस्तानी हाई कमीशन में रुका था।

(ग) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से मिजो उपद्रवियों को सहायता देने के खिलाफ 4 जुलाई 1967 को फिर विरोध प्रकट किया है।

मिनीकोय द्वीप में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध मिथ्या प्रचार

1629. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री मरण्डी :**
श्री नायनार : **श्री बलराज मधोक :**
श्री गणेश घोष : **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री रमानी : **श्री रामसिंह अग्रवाल :**
श्री प० गोपालन : **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान के समाचार पत्र तथा रेडियो मिनीकाय द्वीप के मुसलमानों को भारत के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के लिये उकसा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि श्रीलंका स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने स्वतन्त्र मालवीय द्वीप में जाकर वहां के सुल्तान को यह सुझाव दिया था कि वह पाकिस्तानी जहाजरानी कम्पनियों के साथ समुद्री सम्बन्ध स्थापित करें ;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित मामले के बारे में पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है तथा इस द्वीप समूह में पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे मिथ्या प्रचार को निष्प्रभाव बनाया है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित पाकिस्तानी प्रयत्न सफल हो जाते हैं, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पाकिस्तान ने एक अखबार में इस आशय की एक खबर छपी थी और यह खबर हांगकांग से आई थी। पाकिस्ताग के रेडियो से प्रचार नहीं हुआ है। भारत को इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तान लक्कादीव द्वीप में गड़बड़ कराने की कोशिश कर रहा है।

(ख) जी हां। श्रीलंका में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मालदीव में भी प्रत्याशित है और वे 12 से 16 जून के बीच मालदीव में ही थे। सरकार को यह नहीं मालूम कि उन्होंने मालदीव के अधिकारियों से किस बारे में बातचीत की।

(ग) और (घ) जी नहीं। लोकसभा में लक्कादीव के प्रतिनिधि ने इस तरह की अखबारी खबरों का खंडन किया है। सरकार भारत और मालद्वीप के बीच विमान और नौका संपर्क स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार कर ही है।

दूर संचार व्यवस्था पुनः चालू करने के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत

*1630. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान से दोनों देशों के बीच दूर संचार की पुनः व्यवस्था के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर बातचीत करने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पाकिस्तान के सभी बकाया मामलों पर, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सशस्त्र सेनाओं को कम करने का मामला भी शामिल है, विस्तार से बातचीत करने की क्या नवीनतम सम्भावनायें हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जी हां। इस विषय पर राजनयिक विचार विनियम हो रहा है।

(ग) मेरे और पाकिस्तान के विदेश मन्त्री के बीच आपस में हथियार कम करने तथा सभी विवादास्पद विषयों पर व्यापक बातचीत करने के बारे में जो पत्र आए-गए थे उनकी एक प्रति सदन की मेज पर पहले ही रखी जा चुकी है। हथियार कम करने के सवाल पर हमारा रवैया 6 मई 1967 के मेरे पत्र में पाकिस्तान सरकार को अच्छी तरह समझाया जा चुका है।

सदन को यह भी मालूम है कि भारत सरकार सभी विवादास्पद विषयों पर पाकिस्तान सरकार के साथ किसी भी समय, किसी भी जगह और किसी भी स्तर पर बातचीत करने के लिए तैयार है।

फिजो को पेकिंग जाने की योजना

*1631. **श्री रामावतार शर्मा** :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा नेता फिजो, जो इस समय लन्दन में है, निकट भविष्य में पेकिंग जाने का विचार कर रहा है;

(ख) क्या वह विद्रोही नागाओं के सैनिक मिशन द्वारा चीन से उनको सहायता की जाने के लिये जारी की गई अपील के संदर्भ में चीन जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह फिजो को पारपत्र तथा वीजा की सुविधाएं न दें; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार को श्री फिजो की पीकिंग जाने की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह ध्यान देने की बात है कि वह ब्रिटिश नागरिक है।

(ख) (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रपति अयूब खां की आत्मकथा

***1631.क श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां की आत्मकथा आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस द्वारा भारत में प्रकाशित की जाने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार के देखने में हाल ही में कुछ अखबारी खबरें आई हैं जिनमें यह कहा गया है कि आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस भारत में राष्ट्रपति अयूब खां की आगामी आत्मकथा (आटोबायोग्राफी) का भारतीय सस्करण प्रकाशित करने वाला है।

(ख) इस पुस्तक के भारत में आयात अथवा प्रकाशन के बारे में प्रकाशक से अभी तक कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया का अभी कोई सवाल ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान में सीमा स्तम्भों का गिराया जाना

***3632.** श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री महंत दिग्विजय नाथ :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री यशवन्तसिंह कुशवाह :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री बलराज मधोक :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री शारदा नन्द :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री मरण्डी :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री दे० अमात :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करीमपुर पुलिस थाने के मधुगिरि तथा नदिया जिले के बसुमड़ी और अंधरकोट क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान की सीमा का सीमांकन करने वाले अधिकतम सीमा स्तंभों को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा गिरा दिया गया है;

(ख) क्या ये सीमा स्तम्भ पाकिस्तान ने भारतीय राज्य क्षेत्र की और 2.59 वर्गमील भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से गिराये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने वहां पर उन मुसलमानों को बसा दिया है, जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये थे;

(घ) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारतीय राज्य क्षेत्र में अघंरकोट गांव पर अधिकार कर लिया है तथा उन्होंने भारतीय क्षेत्र में और आगे बढ़कर कुछ सीमा स्तम्भ लगा दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) किसी विशेष लक्ष्य का कोई संकेत नहीं मिला है।

(ग) इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई है।

(घ) अधरकोट गांव का एक हिस्सा बंटवारे के समय से ही पाकिस्तान के प्रतिकूल कब्जे में है। जहां तक पाकिस्तान द्वारा सीमा स्तम्भ चौकियां बनाने का सवाल है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

(ङ) सीमांकन पूरा करने के लिये पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के भूअभिलेख निदेशकों की नियमित रूप से बैठकें होती हैं। जब यह सीमांकन पूरा हो जाएगा तब सीमा के अंकन के परिणामस्वरूप इस समय जो प्रदेश एक-दूसरे के प्रतिकूल कब्जे में पड़ते हैं, उनकी यथानुसार अदला-बदली हो जाएगी।

बर्मा में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रजन

***1633. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 5 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 27 मई 1964 से पहले और उसके बाद की दोनों श्रेणियों के भारतीय राष्ट्रजनों को रिहा कराने तथा उन्हें स्वदेश में लाने में जिन्हें बर्मा सरकार द्वारा आर्थिक अपराधों के आरोप में नजरबन्द किया गया था; इस बीच और कितनी प्रगति हुई हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु०क० चागला) : आर्थिक अपराधों के कारण जो भारतीय राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए थे उनमें और कोई रिहा नहीं किया गया है। हमारा राजदूतावास बर्मा सरकार के साथ इस मामले को उठा रहा है।

आकाशवाणी से व्यापार सम्बन्धी प्रसारण

*1634. **श्री मरण्डी :** **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री य० श्र० प्रसाद : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से व्यापार सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रसारण करने का कार्यक्रम जो अगस्त, 1967 से आरम्भ होना था, स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या करण हैं; और

(ग) यह कार्यक्रम कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) जी, हां। व्यापार सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रसारण करने का कार्यक्रम जो 15 अगस्त को आरम्भ होना था अब प्रकाशकों के अनुरोध पर, 1 नवम्बर के लिए स्थगित कर दिया गया है।

राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव

***1636. श्री म० कु० सांघी : श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री भारत सिंह चौहान : श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान बाड़मेर से 25 मील दूरी पर पाकिस्तान सीमा पर चोर नामक स्थान में. जहां रेलवे स्टेशन है, अपनी सेना जमा करता आ रहा है जिससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सीमा की सुरक्षा करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) नया चोर पाकिस्तान का एक नियमित सैनिक स्टेशन है और कोई ऐसी बात ध्यान में नहीं आई जिसकी ओर विशेष तौर पर ध्यान देना आवश्यक हो। अन्य स्थानों की तरह राजस्थान में सीमा की दूसरी ओर की स्थिति पर बराबर ध्यान रखा जाता है और जहां-कहीं आवश्यक हो उचित कार्यवाही की जाती है।

ईरान के एक जनरल द्वारा पश्चिम जर्मनी में विमान खरीदने के लिये पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम किये जाने के समाचारों के बारे में जांच

1637. श्री गोपाल साबू :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या सरकार ने इस समाचार के बारे में कोई जांच कराई है कि गत वर्ष ईरान के एक जनरल ने पश्चिम जर्मनी के एक शस्त्रास्त्र व्यापारी से सेबर जैट विमान खरीदने के लिये पाकिस्तान के एजेन्ट के रूप में काम किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या निष्कर्ष निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) हमारी पूछताछ से पता चलता है कि ईरान के जनरल तुफानियन ने ईरान सरकार की ओर से जर्मन संघीय गणराज्य सरकार के साथ सेबर जैटों की खरीद के विषय में बातचीत की थी, पाकिस्तान सरकार के एजेन्ट के रूप में नहीं ।

Use of Hindi in Air Headquarters

***1638. Shri Hukam Chand Kachwai : Shri O. P. Tyagi : Shri Yajna Datt Sharma : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Nihal Singh : Shri Satya Narain Singh :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an order has been isssued by the Air Headquarters to send all communications in English and not in Hindi;

(b) if so, the reasons for discontinuing the use of Hindi in this manner; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise

अन्तरिक्ष सन्धि

***1639. श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने कुछ ऐसे देशों के साथ अन्तरिक्ष सन्धि की है;

(ख) यदि हां, तो ये देश कौन-कौन से हैं और सन्धि की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह सन्धि सफल रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । भारत ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये हैं जिसका शीर्षक है : 'बाह्य अन्तरिक्ष की खोज और उसके उपयोग में, जिसमें चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, राज्यों के कार्यकलापों का संचालन करने वाले सिद्धान्तों पर सन्धि' ।

(ख) 30 जून 1967 तक 86 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किये हैं । वे इस प्रकार हैं : अफगानिस्तान, अर्जन्तीना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, बोलिविया, बोत्स्वाना, ब्राजील, बल्गारिया, बर्मा, बुरुंडी, कैमरून, कनाडा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, श्रीलंका, चिली, चीन, कोलम्बिया, कांगो (किनशासा), साइप्रस, चैकोस्लोवाकिया, कांगो लोकतंत्र गणराज्य, डेनमार्क, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वादोर, अल सल्वादोर, इथोपिया, फिनलैंड, जर्मन संघीय गणराज्य, गम्बिया, घना, यूनान, गुयाना, हैटी, होली सी, हंडूरास, हंगरी, आइसलैंड, भारत,

इन्डोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, इसराईल, इटली, जमैका, जापान, जोर्डन, कोरिया, लाओस, लबनान, लेसोथो, लक्समबर्ग, मलयेशिया, मैक्सिको, नेपाल, नीदरलैंड्स, न्यूज़ीलड, निकारागुआ, नाइजर, नार्वे, पनामा, पेरू, फिलिपीन, पोलैंड, रूमानिया, रूआंडा, सान मारीनों, सियरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विटजरलैंड, थाईदेश, टोगो, ट्यूनीसिया, तुर्की, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, संयुक्त अरब गणराज्य, यूनाइटेड, किंगडम, अमरीका, अपर वोल्टा, उलवे, वेनीजुला, वियतनाम और युगोस्लाविया । यह सन्धि अभी तक लागू नहीं हुई है क्योंकि तीन न्यासधारी देशों सहित पांच सरकारों ने अभी अपने सत्यांकन-पत्र जमा नहीं किए हैं ।

जहां तक इसकी शर्तों का सम्बन्ध का है, संधि में एक प्रस्तावना और 17 अनुच्छेद हैं । संधि की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार बताई जा सकती हैं :

1. बाह्य अन्तरिक्ष की खोज और उसका उपयोग, जिसमें चन्द्रमा और खगोलीय पिंड शामिल हैं, तमाम देशों के लाभ और हित में किया जाना चाहिये ।

2. इस प्रकार की खोज और उपयोग का परिणाम कोई राष्ट्रीय स्वामित्व और प्रभुसत्ता का दावा न होना चाहिये ।

3. खगोलीय पिंडो पर सैनिक अड्डे और संस्थापनाएं बनाना, हथियारों का परीक्षण करना और फौजी अभ्यास करना वर्जित है ।

4. बाह्य अन्तरिक्ष में महाविनाशक अस्त्रों को इकट्ठा रखना और उनकी स्थापना करना वर्जित है ।

5. अन्तरिक्ष खोज के दौरान पृथ्वी के वातावरण में प्रतिकूल परिवर्तन करना और खगोलीय पिंडो को दूषित नहीं करना चाहिये ।

6. सभी राज्य खगोलीय पिंडो तक पहुंचने के लिये स्वतन्त्र हैं ।

(ग) जहां तक हमें मालूम है, यह सन्धि अभी लागू नहीं हुई है । इसलिए, इस सवाल का जबाब – कि सन्धि सफल हुई है या नहीं–आगे की घटनाओं पर निर्भर करता है । सन्धि पर हस्ताक्षर करने का आधार सार्वभौमिक है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मास्को रेडियो से प्रसारण

*1640. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री सेक्वीरा :
श्री शिकरे :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री म० अमरसे :
श्री स्वेल :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रंगा :
श्री रा० अमीन :
श्री बालमीकि चौधरी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री रवि राय :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री जगन्नाथ राव जोशी
कुमारी रजनी गंधा :
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा :
श्री न० प्र० यादव :
श्री निहाल सिंह :
श्री किकंर सिंह :
श्री गयूर अली खां :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पिछले पखवाड़े में मास्को रेडियो से बंगाली में हुए प्रसारण की ओर, जो रेडियो 'शान्ति तथा प्रगति' से नहीं किया गया था, दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके बारे में कड़ा विरोध प्रकट किया है, कि वे देश के आन्तरिक राजनीतिक मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रूस की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) इस पखवाड़े में मास्को रेडियो ने बंगाली के जो समाचार बुलेटिन प्रसारित किये थे उनमें ऐसी कोई खबर नहीं थी जिसे हमारे आन्तरिक राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप कहा जा सकता हो ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बौद्धों पर अत्याचार

*1641. **श्री समर गुह :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में चिटगांव जिले के थाना रांगुनिया के राजनगर गांव का बौद्ध बिहार 5 जुलाई, 1965 को नष्ट-भ्रष्ट और अपवित्र कर दिया गया है और वहां के मुख्य उपासक 75 वर्षीय बौद्ध भिक्षु राजगुरू राजरत्न महास्थविर की हत्या कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अल्पसंख्यकों पर इस प्रकार एक के बाद दूसरे अत्याचार किये जाने के परिणामस्वरूप भारी संख्या में बौद्ध भारत में आ रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार विश्व के बौद्धों का ध्यान पाकिस्तान में बौद्धों पर किये जा रहे अत्याचारों की ओर आकर्षित करायेगी, ताकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो सके ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) इस विषय पर मैंने एक वक्तव्य 2 अगस्त 1967 को सदन की मेज पर रखा था। मैं सिर्फ इतना और बताना चाहूंगा कि अखबार की खबरों के अनुसार राजनगर विहार के मठाधीश की हत्या की वारदात 5 जुलाई 1965 को नहीं 5 जुलाई 1967 को हुई थी ।

Deaths of Indian P. O. Ws. Under Detention in Pakistan

***1642. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Jagannath Rao Johi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri N. S. Sharma :
Shri J B. Singh :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has recently handed over to India ashes of 7 Indian Prisoners of War;

(b) whether it is also a fact that the Pakistan Government have refused to disclose the circumstances under whieh they had died;

(c) if so, whether Government have addressed any communication to the Government of Pakistan in order to ascertain the causes of their death;

(d) whether Government have also asked Pakistan to pay compensation to their dependents; and

(e) if so, the reaction of Pakistan Government in this regard ?

The Minister of Defence (Sardar Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No, Sir. The circumstances under which four of these Indian prisoners died, have been mentioned in the Death Certificates received through I. C. R. C. while, in respect of the remaining three, Death Certificates are awaited. I. C. R. C. have been expedited through the Indian Red Cross Society to get this information.

(d) and (e) No, Sir. The Third Geneva Convention, 1949 relative to the Prisoners of War does not provide for the same.

लन्दन के एक न्यायालय द्वारा दिल्ली के एक व्यापारी को दण्ड दिया जाना

***1643. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के एक व्यापारी को, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 3000 पौंड के मूल्य के स्वापक पदार्थों का चटनी के डिब्बों में आयात किया था, लन्दन के एक न्यायालय द्वारा सात साल की कैद की सजा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है उस व्यापारी पर अभियोग चलाते समय मिस्टर रिचर्ड ड्यूसन ने कहा था कि उसके 'स्वापक पदार्थों का एक पार्सल लन्दन के एक होटल के एक स्वागत कर्मचारी से पकड़ा था और वह पार्सल अन्ततः दो व्यक्तियों के पास पहुँचना था, जिनमें से एक व्यक्ति भारतीय उच्चायुक्त का प्रथम सचिव है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत से यूनाइटेड किंगडम चोरी-छिपे औषधियां भेजने के आरोप में रूपिन्दर सिंह भसीन और बृजमोहन दयाल नामक दो भारतीयों को लन्दन की अदालत ने क्रमशः 4 वर्ष और 7 वर्ष कैद की सजा दी थी। लेकिन ठीक कितने मूल्य की औषधियां चोरी-छिपे भेजी गई, इसका हिसाब नहीं लगाया गया है।

(ख) यह ठीक नहीं है कि इस्तगासे के वकील, श्री रिचर्ड ड्यूकन ने यह कहा था कि वह माल लंदन-स्थित भारतीय हाई कमीशन के प्रथम सचिव के लिए भी था। इस्तगासे के वकील ने तो एक अपराधी के कब्जे से बरामद चिट्ठी को सिर्फ पढ़ा था जो कि स्वयं दयाल की स्वीकृति के अनुसार मनगढ़न्त थी। अन्य बातों के साथ साथ पत्र में दयाल को यह निर्देश दिया गया था कि वह कुछ आम और आम का अचार भारतीय हाई कमीशन के प्रथम सचिव, श्री दास को दे दे। पुलिस का यह ख्याल नहीं है कि टीन में रखी कोई चीज दास को दी गई हो।

(ग) चूंकि लंदन–स्थित हमारे हाई कमीशन का कोई अधिकारी इस मामले में नहीं है और तस्करों को सजा दे दी गई है, इसलिये कोई और विवरण इस प्रश्न के लिए संगत नहीं मालूम देता।

पाकिस्तान के बैंकों तथा अन्य संस्थानों द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों को धन का भुगतान न किया जाना

***1643क. श्री बलराज मधोक : श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि पाकिस्तान के बैंकों और वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थानों ने पाकिस्तान सरकार के आदेशानुसार पुराने वैद्य वचनों की परवाह न करते हुए भारतीय राष्ट्रजनों तथा फर्मों को धन का सब प्रकार का भुगतान करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। भारतीय राष्ट्रिकों और वाणिज्यिक संस्थाओं को पाकिस्तान में जो लेनदारी थी उसका भुगतान सितम्बर 1965 के भारत-पाक संघर्ष के समय से रोक दिया गया है।

(ख) और (ग) यह मामला, संघर्ष के समय दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जो सम्पत्ति और आस्तियां अपने-अपने कब्जे में ले ली थीं उससे जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कई बार अनुरोध किया है कि वह हमारे राष्ट्रिकों की आस्तियां और सम्पत्ति पारस्परिकता के आधार पर लौटा दें। पाकिस्तात सरकार को बताया गया है कि पाकिस्तान के आधार पर लौटा दें। पाकिस्तान सरकार को बताया गया है कि पाकिस्तान में भारत की

जितनी आस्तियां और सम्पति है यह सब बराबर चलते रहने वाले न्यास के रूप में है और अगर पाकिस्तान के अधिकारियों ने अपनी मर्जी से उन्हें बेचने की कोशिश ी तो यह न सिर्फ ताशकन्द घोषणा का ही गम्भीर उल्लंघन होगा, जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान सरकार ने अधिगृहीत आस्तियां और सम्पत्तियों की वापसी पर विचार करना स्वीकार किया है, बल्कि यह सभ्य कानून और व्यवहार के भी सभी मानदण्डों के विरुद्ध होगी । उन्हें यह भी बता दिया गया है कि अगर इन आस्तियों या सम्पत्तियों को किसी तरह क्षति पहुंची तो भारत सरकार को पूरा मुआवजा मांगने का अधिकार होगा । पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला है ।

स्वेज नहर में जहाज रोके जाना

1645. श्री कामेश्वर सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत को अनाज ला रहे जहाजों के स्वेज नहर में रोक लिये जाने के मामले का अध्ययन करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों की रिपार्ट क्या है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

घाटाकोपर (बम्बई) का नौसैनिक डिपो

8092. श्री रविराय : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये : **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटकोपर (बम्बई) के नौसैनिक डिपो में 8 अक्तूबर, 1966 को चोरी की जाने के प्रयास की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया हैं;

(ख) क्या चोरी करने का प्रयास करते हुए अधिकारी/अधिकारियों (स्टोर हाउस असिस्टेंट तथा अन्य कर्मचारियों) को रंगें हाथों पकड़ लिया गया था ;

(ग) वर्दियां आदि बनाने के जिस सामान को चुराने का प्रयत्न किया गया था, क्या वह सामान डिपो अफसर के लिये मंगवाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार का ध्यान इस कथा की ओर दिलाया गया है कि नौसेना स्टोर डिपो, घाटकोपर का एक कर्मचारी 8 अक्तूबर

1966 को स्टोर डिपो से कुछ वस्तुओं को ले जाने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था ।

(ग) तथा (घ) विस्तृत जांच चल रही है और उसके पूरा हो जाने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

योजना आयोग का पुनर्गठन

8093. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग में सदस्यों के जो पद रिक्त हो गये थे, क्या उन्हें भर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) अभी तक योजना आयोग में निम्नलिखित नियुक्तियां की गई है :

प्रधान मन्त्री	... .	अध्यक्ष
डा० डी० आर० गाडगिल	... ...	उपाध्यक्ष
उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री	... .	सदस्य
श्री आर० वेंकटरामन	... .	सदस्य

अन्य सदस्यों के बारे बारे में अभी फैसला नहीं किया गया है ।

सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़कें

8094. श्री बाबूराव पटेल : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन ने अपनी स्थापना के समय से कितनी, और कितने मील लम्बी सड़कें बनाई हैं तथा कहां कहां पर ;

(ख) इन सड़कों पर अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ;

(ग) अब तक सीमा सड़क संगठन के कितने कर्मचारी हताहत हुए हैं ;

(घ) सीमा सड़क संगठन का वार्षिक व्यय कितना हैं ?

(ङ) प्रति मील सड़क के निर्माण पर कितना औसत व्यय हुआ है तथा वह सड़क औसतन कितने समय तक काम दे सकेगी ; और

(च) सीमा सड़क संगठन के साथ बाहर के कितने ठेकेदार सम्बद्ध हैं तथा उन्होंने प्रति वर्ष कितने प्रतिशत तथा कितनी लागत का कार्य किया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सीमा सड़क विकास बोर्ड के शीघ्र कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम में 47 नई सड़कों का निर्माण (जिनकी कुल लम्बाई लगभग 4273 मील होगी) और 22 विद्यमान सड़कों/पथों का सुधार (कुल लम्बाई 2863 मील) करना शामिल है। 31 मई, 1967 तक 2471 मील नई सड़कों के 8' से 20' चौड़ाई के मार्ग काट लिये गये थे। विद्यमान सड़कों का सुधार कार्य हो रहा है। सुधार कार्य की ब्योरेवार प्रगति बताना सुकर नहीं है।

उपरोक्त सड़कें उत्तरी तथा पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम पश्चिम बंगाल, भूटान, नेफा, आसाम (मिजो पहाड़ियों समेत) और नागालैंड में स्थित हैं।

(ख) बोर्ड के 31 मार्च, 1967 के कार्यक्रम में शामिल सड़कों के निर्माण पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत कुल 215.96 करोड़ रुपया खर्च हुआ।

(ग) 30-6-1967 तक, सीमा सड़क संगठन में काम करने वाले व्यक्ति कर्मचारियों से कुल 1367 हताहत हुए।

(घ) सीमा सड़क संगठन का वार्षिक व्यय इस प्रकार है-—

	लाख रुपयों में
1960–61	56.77
1961–62	131.09
1962–63	211.80
1963–64	196.03
1964–65	215.18
1965–66	220.38
1966–67	230.23

(ङ) सड़कों के निर्माण की लागत स्थान-स्थान पर अलग अलग है जो ऊंचाई, भूमि, आबोहवा, वर्षा किसी क्षेत्र विशेष में काम की शर्तों और काम पूरा करने के लिए दी गई अवधि पर निर्भर करती है। 20 फुट चौड़ी सड़क के मार्ग काटने की लागत (अस्थायी पुलों के साथ) प्रति मील चार लाख रुपये से दस लाख रुपये के बीच रही है।

किसी सड़क को अपर की सतह तैयार हो जाने के पश्चात् उसके काम में आने की अवधि उचित रख-रखाव से और मरम्मत कार्य शीघ्र करके बताई जा सकती है।

(च) सीमा सड़क संगठन (अर्थात् सामान्य रक्षित इंजीनियर बल) को सौंपी जाने वाली परियोजनायें विभागी तौर पर कार्यान्वित की जाती हैं, और सामान्यतया किसी बाहर के ठेकेदार को कोई काम नहीं सौंपा जाता। छोटे-मोटे काम कभी कभी स्थानीय ठेकेदारों को दिये जाते हैं। आर० सी० सी० पुलों, सुरंगों आदि जैसे विशिष्ट कार्यों के मामले में काम बाहर के ठेकेदारों को सौंपा गया है। बाहर के ठेकेदारों जिन्हें ठेके दिये गये हैं, के नाम और दिये गये ठेकों की मूल्य इस प्रकार है :—

	ठेके का कुल मूल्य
मैसर्स हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	139.18 लाख रुपये
मैसर्स बिलड्राईट कन्स्ट्रक्शन कम्पनी कलकत्ता	68.70 लाख रुपये

अत: बाहर के ठेकेदारों द्वारा करवाये गये काम की प्रतिशतता अधिक नहीं है।

लोक निर्माण कार्य विभागों की सौंपी गई परियोजनाओं के बारे में पूरी जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

ट्रांबे में वातानुकूलन संयंत्र

8095. श्री समर गुह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु शक्ति आयोग के अधीन ट्राम्बे में स्थित वातानुकूलन संयंत्र का निर्माण किन मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझा गया था ; और

(ख) हैदराबाद में स्थिति परमाणु औद्योगिक कॉम्पलैक्स (उद्योग समूह) द्वारा स्वयं 'लाण्ड्री' बनाने की योजना आरम्भ किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यह संयंत्र उन क्षेत्रों में वातानुकूलन की व्यवस्था करने के लिए लगाया गया है जहां कार्य की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है।

(ख) जो कपड़े पहन कर काम किया जाता है उनकी धुलाई की व्यवस्था रेडियधर्मिता के फैलाव से लोगों की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में है। हैदराबाद स्थित परमाणु ईधन काम्पलैक्स के रेडियधर्मी सामग्री सम्बन्धी कार्य होगा इसलिए जो कपड़े पहन कर काम होगा उनके रेडियधर्मिता से खराब, हो जाने की सम्भावना है। अत: यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे कपड़ों की रेडियधर्मिता का असर दूर करने के लिए उसी स्थान पर धोने की व्यवस्था की जाये।

S. C. & S. T. Officers Trained in Army, and Navy Air Force

8096. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Defence be pleased to state the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes officers in Army, Air Force and Navy sent for training courses in Defence Training Establishments from 1960 to 1966 with their designations ?

The Minister in The Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course:

कच्चा वीव, रामेश्वरम में गिरजाघर

8097. श्री किरुत्तिनन : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामेश्वरम् के निकट कच्चा दीव में भारतीय मछुओं द्वारा बनाया गया एक गिरजाघर हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि श्रीलंका के लोगों तथा श्रीलंका के सरकारी और नौसेनिक अधिकारी बिना रोकटोक इस द्वीप में आते हैं और वे इस गिरजाघर की सारी आय श्रीलंका ले जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कच्चा थीवु द्वीप में एक गिरजाघर है ।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस गिरजाघर को आय होती है । मालूम हुआ है कि इस गिरजाघर में वर्ष में एक बार धार्मिक समारोह होते हैं जिसमें भारतीय और श्रीलंकावासी भाग लेते हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कच्छातिवू द्वीप में नौसेनिक अड्डा

8098. **श्री किरुतिनन** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भुवनेश्वर के निकट कच्छातिवू द्वीप में कोई नौसैनिक अड्डा बनाने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : जी नहीं ।

आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारी

8099. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 4 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3182 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी एक इन्जीनियरिंग संवर्ग के रिक्त पदों को भरने में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) तीसरी श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों के ऐसे कितने स्थायी पद है जिन पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब तक स्थायी नहीं किया गया है ; और

(ग) उन्हें स्थायी करने के लिये कितना समय लगने की सम्भावना हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : 4 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3182 के उत्तर में 1 मार्च, 1966 को बताये गये 44 पदों में से 41 पदों को भरा जा चुका है । परन्तु 1 मार्च 1966 से 31 जुलाई, 1967 के बीच श्रेणी एक इन्जीनियरिंग संवर्ग 130 और नये पद बनाये गये । इस समय श्रेणी एक इंजीनियरिंग संवर्ग के 36 पद रिक्त पड़े हुए हैं ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारी

8100. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 7 **नवम्बर, 1966** के अतारांकित प्रश्न संख्या 639 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में ड्राफ्टसमैन और ट्रेसर के पदों पर नियुक्तियां करने के लिये वहां पर अर्हताप्राप्त उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो रिक्त स्थानों पर अब तक नियुक्तियां न की जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या रोजगार दिलाऊ कार्यालय ने यह कह दिया है कि उनके पास ऐसे उम्मीदवार नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) पर्याप्त काम की कमी और किफायत करने की आवश्यकता के कारण ड्राफ्टसमैन ग्रेड एक और दो के पदों में से प्रत्येक के केवल दो दो पद भर लिये गये हैं । तो भी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर ड्राफ्टसमैन, ट्रेसर इत्यादि के अतिरिक्त पदों की काम के जोर के अनुसार, पूर्ति की जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास में "अताशे (भूगोल)

8101. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास में एक अताशे का पदनाम "अताशे (भूगोल)" है ; और

(ख) यदि हां, तो इस देश में उस अधिकारी के कर्त्तव्य क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अमरीका राजदूतावास में एक अधिकारी है जिसका पद नाम "ज्योग्राफिक अटैशे" हैं ।

(ख) किसी भी राजनयिक अधिकारी का कर्तव्य वही होता है जो कि उसकी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत उसे करने की अनुमति देती है । इस मामले में हमें मालूम हुआ है कि ज्योग्राफिक अटैशे का काम कृषि, सिंचाई, नाली, बाढ़ नियन्त्रण और बिजली प्रायोजनाओं सम्बन्धी भारत सरकार के योजना कार्यों में आधारभूत भौतिक सूचना देने में अमरीकी सहायता एजेंसी कार्य-क्रम में सहायता प्रदान करना है ; जिन क्षेत्रों का विकास करना हो वहां यदि मानचित्र अपर्याप्त हों तो भारत सरकार के कार्यालयों के साथ मानचित्र सम्बन्धी

आवश्यकताओं और कार्य-क्रमों का समन्वयन करना है ; और अलग-अलग विद्वानों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के बीच सूचना और विचारों के आदान-प्रदान के जरिये ऊंचे अनुसन्धान में सहायता करना है जिसमें अमरीकी स्रोतों से भारतीय संस्थाओं को सम्बद्ध विषयों पर मुद्रित सामग्री देना और भारतीय मुद्रित सामग्री का अमरीकी संस्थाओं को देना भी शामिल है ।

Pak. Candidature for Security Councile

102. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Pakistan have urged the Government of India to support her for the U. N. Security Council seat that has fallen vacant ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the decision taken by Government in this regard ?

The Ministrr of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) The Pakistan Government have informed us of their decision to seek election to the Security Council in the seat to be vacated by Japan at the end of 1967, and have sought our support.

The Government of India has not yet taken a decision. It is usual to defer the decision until nearer the time of elections when the full list of candidates will become available.

Purchase of Cheap Newsprint Machinery From Abroad

8103. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry has decided to send its representatives to the foreign countries for the purchase of cheap newsprint and machinery ;

(b) if so, the expenditure involved thereon ; and

(c) the names of countries with which talks are proposed to be held ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

भारत तथा पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का ईरान के शाह का प्रस्ताव

8104. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1967 के तीसरे सप्ताह में उनकी ईरान की यात्रा के दौरान ईरान के शाह के साथ हुई बात-चीत सम्बन्धी समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ईरान के शाह ने काश्मीर के प्रश्न पर भारत तथा पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का प्रस्ताव किया था ; और

(ग) यदि हां, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच शाह ईरान द्वारा मध्यस्थता करने की संभावनाओं के बारे में प्रेस में कुछ अटकलें लगाई जाती रही हैं। लेकिन यह सच नहीं है कि शाह ईरान ने अप्रैल 1967 में विदेश मन्त्री की ईरान की यात्रा के दौरान उनके साथ बातचीत में कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता करने की पेशकश की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर

8105. श्री न० स्व० शर्मा :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कू :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने देशी सामान से तीन किस्म के राडरों का आविष्कार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्यात के लिये वाणिज्यिक आधार पर राडार बनाने का है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आयातित राडारों की तुलना में कार्यक्रम तथा मूल्यों की दृष्टि से राडार कैसे हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में दो प्रकार के राडारों का विकास हुआ है। बी० ई० एल० द्वारा विकसित मछली पकड़ने का उपकरण (ईको साउंडर) भी राडार जैसे सिद्धान्त पर ही काम करता है।

(ख) तथा (ग) इस समय बी० ई० एल० में राडार हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही बनते हैं। हमारी आवश्यकतायें पर्याप्त रूप से पूरी हो जाने पर निर्यात की सम्भावनाओं की खोज की जायेगी।

(घ) बी० ई० एल० में विकसित राडार आयातित राडरों के मुकाबले में मूल्यों एवं कार्य-क्षमता में अच्छे हैं। देश में विकास आरम्भ करते समय प्रयोग करने वालों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

Seminars of Poets on A. I. R.

8106. **Shri S. C. Samanta :**
Shri A. K. Kisku :
Shri S. N. Maiti :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the reasons for not organising the seminars etc. of the poets of different languages listed in the Eighth Shedule of the Constitution on the eve of the Republic Day for the past two years, which used to be held every year under the auspices of the All India Radio ;

(b) the reasons for reduction of the number of such functions and seminars on Indian languages and Hindi which have been organised in the past by the All India Radio ; and

(c) the reasons for not making such a reduction in the semilar English programmes in case as shortage of funds was the reason therefor ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) In 1966, all arrangements for holding the Nationl Symposium of Poets on the eve of Republic Day had been made, but it was subsequently cancelled due to the demise of Shri Lal Bahadur Shastri. This year, however, the Symposium was broadcast, though its pattern was slightly revised.

(b) No reductian has been effected in the number of such functions organised by A. I. R.

(c) Does not arise. Moreover, no programme like the National Symposium of Poets has ever been boradcast by AIR in English.

किद्दरपुर क्षेत्रों में आग्नेयास्त्रों के पार्सलों की चोरी

8107. **श्री चप्पलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना के लिये भेजा गया आग्नेयास्त्रों का एक पार्सल किद्दरपुर में खोल लिया गया था और उसमें से 30 स्टेन-गनों को चुरा लिया गया था ;

(ख) उन्हें बरामद कराने और अपराधियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उनमें से कोई स्टेन-गन बरामद हुई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कारबाईन मशीन स्टेनों के खेप वाला एक वैगन, जो आयुध डिपो, कलकत्ता, को भेजा गया था, जब 28.5.66 को वहां पहुँचा तो पता लगा कि उसे खोला गया है। खेप उतारने पर मालूम हुआ कि 3 पेटियां जिन में 30 कारबाईन मशीन स्टेनें थीं मौजूद नहीं हैं।

(ख) इस मामले की अभी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) पुलिस ने अभी तक 11 स्टेनें प्राप्त की हैं।

सीमा क्षेत्रों में प्रचार कार्य

8108. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्र प्रचार एककों को, विशेषतः सीमा क्षेत्रों में सुदृढ़ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या राज्यों के तथा केन्द्रीय सरकार के प्रचार एककों के बीच पूर्ण सामंजस्य है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : चालू वर्ष में परिवार-नियोजन के लिए 30 तथा सीमा क्षेत्रों में प्रचार के लिये 10 और क्षेत्रीय प्रचार टुकड़ियां खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय तथा राज्य की प्रचार टुकड़ियों के बीच राज्य के अधिकारियों के साथ तथा राज्य और जिला स्तरों पर विशेष रूप से बनी समन्वय समितियों के द्वारा नियमित रूप से सम्पर्क रखकर पूरा पूरा सामंजस्य रखा जाता है।

Discontinuance of Auxiliary Cadet Corps Course

8109. Shri Prakashvir Shastri : Will the Minister of Deffence be pleased to state :

(a) whether some suggestions for the discontinuance of Auxiliary Cadet Corps Course have been received ;

(b) whether it is a fact that the desired purpose of this course has not been achieved ;

(c) whether the State Education Ministers have given their suggestions in this regard ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister in the Ministry of Deffence (Shri B. R. Bhagat) : (a) The A. C. C. Scheme has already been wound up in 1965-66.

(b) No, Sir.

(c) No.

(d) Does not arise.

सैनिक भूमि तथा छावनी विभाग

8110. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सनिक भूमि तथा छावनी विभाग के कार्य सन्चालन के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) सैनिक भूमि तथा छावनी निदेशालय से सम्बद्ध मुआवजे की अदायगी के मामले तथा अन्य मामलों में विलम्ब के बारे के अभ्यावेदन कभी-कभी प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे सभी अभ्यावेदनों का तथ्यों के अधार पर परीक्षण किया जाता हैं और जो कार्यवाही करना उचित समझा जाता है की जाता है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के मुद्रणालय से प्रकाशित पुस्तक "नई चेतना"

8111. श्री नम्बियार :
श्री प० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री नायनार :
श्री चक्रपाणि :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकशास्त्र की पुस्तक "नई चेतना" की ओर दिलाया गया है कि जिसे श्रीमती कमलिनी राजा ने सम्पादित किया था और जो रांची (बिहार) में प्रकाशित हुई थी और जिसमें मुद्रणालय का नाम नहीं दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशक और मुद्रक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है कि यह पुस्तक किस मुद्रणालय में मुद्रित हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) यह राज्य सरकार का काम है कि वे प्रेस एन्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत जैसा उचित समझें वैसी कार्यवाही करें।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में 7 जुलाई, 1967 को इस्पात, खान और धातु मन्त्री ने अतारांकित प्रश्न संख्या 4936 के भाग (क) के उत्तर में जो कहा था उसकी ओर ध्यान दिलाया जाता है।

'ब्लिट्ज' के सम्पादक के साथ हुई भेंट के सम्बन्ध में आकाशवाणी का रिकार्ड

8112. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियतनाम लोकतन्त्रीय गणराज्य की सरकार ने 'ब्लिट्ज' के सम्पादक श्री आर० करंजिया को वियतनाम में आमन्त्रित किया था ;

(ख) क्या श्री करंजिया के प्रस्थान करने से पहले आकाशवाणी के तीन अधिकारी उन से मिले थे और उन्होंने श्री करंजिया से कहा था कि वह वियतनाम से आकाशवाणी के संवाददाता के रूप में समाचार भेजें ;

(ग) क्या वियतनाम से श्री करंजिया के भारत लौट आने के बाद आकाशवाणी ने गत 7 मई को उन से भेंट रिकार्ड की थी परन्तु उसे एक पखवाड़े तक प्रसारित नहीं किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) श्री करंजिया ने अनौपचारिक रूप से यह बताया था कि उनको उत्तरी वियतनाम की सरकार ने आमंत्रित किया है ।

(ख) जब श्री करंजिया दिल्ली में मुख्य सूचना अधिकारी से मिलने आये तो उसके बाद मुख्य सूचना अधिकारी के कमरे में मुख्य सूचना अधिकारी श्री करंजिया और न्यूज सर्विसिस के निदेशक के मध्य एक मीटिंग हुई । बातचीत के दौरान श्री करंजिया ने कहा कि आकाशवाणी के इस्तेमाल के लिये हनोई से समाचार भेज सकते हैं । श्री करंजिया ने मुख्य सूचना अधिकारी को यह भी बताया कि वैदेशिक कार्य मन्त्रालय ने उनको आवश्यक विवरण दे दिये हैं । इस कारण वह आकाशवाणी की आवश्यकताओं से परिचित हैं । उनको कहा गया था कि वैदेशिक कार्य मन्त्रालय से परामर्श करने के उपरान्त उनको 'केबल' भेजने का अधिकार पत्र भेजा जायेगा । जब तक वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के विचार पता लगे तब तक श्री करंजिया ने हनोई छोड़ दी थी ।

(ग) और (घ) हनोई से लौटने पर, श्री करंजीया ने मुख्य सूचना अधिकारी के पास उस लेख की प्रतिलिपि दी जो उन्होंने ब्लिटज के लिये लिखा था । हमारे 13 अप्रैल के समाचार बुलेटिन में एक समाचार प्रसारित किया गया था जिसमें श्री करंजिया का नाम भी लिया गया था । श्री करंजिया ने मुख्य सूचना अधिकारी को 15 अप्रैल, 1967 के अपने पत्र के साथ एक वार्ता भेजी और इसकी एक प्रति सीधे वैदेशिक कार्य मन्त्रालय को भेजी । इससे पूर्व कि इस वार्ता को प्रसारित किया जा सके, टाइम्स आफ इण्डिया ने 28 और 29 अप्रैल को श्री करंजिया के हस्ताक्षर सहित उनका एक लेख प्रकाशित किया जो वार्ता से मिलता जुलता था परन्तु फिर भी, न्यूज सर्विसिस के निदेशक ने 3 मई को श्री करंजिया को टेलीफोन किया और यह बताया कि वार्ता प्रसारित की जा रही है श्री करंजिया ने यह कहा कि क्योंकि लेख 'टाइम्स आफ इन्डिया' में पहले ही प्रकाशित हो गया है इसलिए इसका प्रसारण उनके लिये न आकाशवाणी के लिए ही अच्छा है और वे, जब अगली बार दिल्ली आयेंगे तो आकाशवाणी से एक भेट के लिये तैयार है । 6 मई, को

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय ने आकाशवाणी को सूचित किया कि उनको श्री करंजिया के साथ भेंट वार्ता प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। उसी सायंकाल को श्री करंजिया ने टेलीफोन किया और कहा कि वैदेशिक कार्य मन्त्रालय यह चाहता है कि उनसे 'इन्टरव्यू' किया जाये। भेंट-वार्ता 8 मई को रिकार्ड की गई। दुर्भाग्य से वैदेशिक मन्त्रालयों को भेंट वार्ता की स्क्रिप्ट लौटाने में थोड़ा समय लग गया। इसी बीच 19 मई को श्री करंजिया ने आकाशवाणी को पत्र लिखते हुए यह प्रार्थना की कि आकाशवाणी भेंटवार्ता प्रसारित न करे। खेद है कि भेंटवार्ता को प्रसारित करने में समय लगा। यदि श्री करजिया पत्र न भेजते तो इसको आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कर दिया जाता।

H. F. 24 Planes

8113. Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Yashpal Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to **Starred** Question No. 144 on the 29th May, 1967 and state :

(a) whether all the flights of HF-24 planes, fitted with E-300 engines, have proved successful,

(b) if so, the progress made in the negotiations regarding collaboration in manufacturing supersonic planes ; and

(c) if not, the causes thereof ?

The Minifter in the Ministry of Deffence (Shri B. R. Bhagat): (a) (b) & (c) The HF 24 aircaft, Mk. IBX has been constructed for use as a flying test bed for the E-300 engine under development in the UAR. The aircraft which is at present, fitted with one E-300 engine and one orpheus 703 engine is under going development test flights. The question of collaboration in the manufacture of supersonic planes will arise after the flight tests have been successfully completed.

Acquisition of Private Houses in Gun Carriage Factory Estate Jabalpur

8114. Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstrarred Question No. 355 on the 3rd April, 1967 and state.

(a) whether any final decision on the proposal for acquisition of private house in Gun Carriage Factory Estate at Jabalpur has since been taken ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) The leased lands on which private houses have been built are required by the Government for its use and action to resume the said lands under the terms of the lease deeds executed by the lessees is being taken. Compensation, in any due to the lessees for the houses built by them on the said leased lands, would be assessed and granted under the terms of the concerned leases.

Sainik Schools.

8115. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the objective to open Sainik Schools in the country was to produce good military officers by imparting training on military pattern right from the beginning ;

(b) the number of students who have taken the examination conducted by the National Defence Academy up to December, 1966 ;

(c) the number of students selected for admission to the National Defence Academy ;

(d) the details thereof ?

The Minister in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : The principal objectives of the Sainik Schools Scheme are--

(i) to meet the increasing demand for educationally well-equipped young men to fill the officer cadre of the Armed Forces ;

(ii) to help rectify the imbalance in the matter of recruitment from different States to the National Defence Academy ; and

(iii) to provide a public school education of high standard to boys meriting the same on the basis of a competition, with special reservations for sons of Service persnnel and financial assistance for boys coming from low income group families.

(b) 1184.

(c) and (d) 348 students have been admitted into the Nationa lDefence Academy so far including partial admissions for the 38th course which commenced in July 1967. The details are as follows:-

30th Course	(July 1963)	..	5
31st Course	(January 1964)	..	8
32nd Course	(July 1964)	..	29
33rd Course	(January 1965)	..	46
34th Course	(July 1965)	..	58
35th Course	(January 1966)	...	51
36th Course	(July 1966)	...	47
37th Course	(January 1967)	..	57
38th Course	(July 1967 (partial admission)	..	47
		Total	348

Some more are expected to be admitted to the 38th Course.

Contributions to U. N. O.

8116. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Extsrnal Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2176 on the 12th June, 1967 and state :

(a) whether the U. N. have evolved any formula according to which the member-nations are obliged to deposit a fixed amount of money ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) No sir.

(b) Does not arise.

इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ग्रांफ इंडिया लिमिटेड

8117. श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री समर गुह :

क्या **प्रधान मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश में उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(ख) इस कारखानों के लिये क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन करने के हेतु इस कारखाने के लिये सभी उपकरणों तथा सुविधाओं की ठीक समय पर व्यवस्था कर दी गई है ?

प्रधान मंत्री तथा अरणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद में उत्पादन जुलाई, 1967 के प्रथम सप्ताह से आरम्भ हुआ।

(ख) वित्तिय वर्ष 1967–68 में, आशा है कि कारपोरेशन, जो इस समय अस्थायी भवनों में स्थिर है, लगभग 75 लाख रुपये के उपकरण और पुर्जे बनायेगा जबकि 1966-67 में 56.59 लाख रुपये के बने थे। उत्पादन के इस स्तर के लिए जितने उपकरणों एवं सुविधाओं की आवश्यकता है उन की व्यवस्था कर दी गई है।

पश्चिम एशिया में हुए युद्ध से शिक्षा

8118. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रणजीत सिंह :
श्री क० प्र० नायनार :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम एशिया में हुए युद्ध ने भारत को क्या शिक्षा दी है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में विचार करने के लिये कोई समिति बनाई है कि इस युद्ध से भारत को क्या शिक्षा लेनी चाहिये;

(ग) यदि हां, तो समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(घ) उसका प्रतिवेदन कब प्रकाशित होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) संसार की बड़ी बड़ी सैनिक घटनाओं का विश्लेषण एवं आलोचनात्मक अध्ययन करना और किसी निष्कर्ष पर पहुंच कर उनके प्रकाश में सरकार को सलाह देना सेनाध्यक्षों का एक कृत्य है। पश्चिम एशिया में हुए युद्ध के विषय में भी ऐसा ही हुआ है। यह एक मानी हुई प्रथा है कि इस प्रकार की शासकीय समितियों की रिपोर्टों और सिफारिशें प्रकाशित नहीं की जाती।

क्रालर ट्रैक्टर

8119, श्री म० सुदर्शनम : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने नये प्रकार के क्रालर ट्रैक्टर बनाने का प्रस्ताव पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) कोमात्सु डी–120 (235 एच० पी०) और डी–80 (165 एच० पी०) ट्रैक्टर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम में शामिल हैं। हाल ही में, इस उपक्रम ने कोमात्सु डी–50 (86 एच० पी०) टाइप ट्रैक्टर के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव रखा है और औद्योगिक लाइसेंस के लिए इसके आवेदन पर विचार किया जा रहा है।

एवरो–748 विमान

8120. श्री चं० चु० देसाई :
श्री विरेन्द्र कुमार शाह :
श्री रा० की० अमीन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरो–748 विमान का अधिकांश भाग अब भारत में जोड़ा जाता है और ब्रिटेन से आयात किये गये विमान की कीमत की तुलना में भारत में निर्मित विमान की निर्माण लागत दुगुनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने एवरो-748 विमान में भारत में निर्मित कोई भी पुर्जे नहीं लगाये हैं और न ही उसका विचार ऐसे पुर्जे लगाने का है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ब्रिटेन में निर्मित पुर्जों को अच्छा समझती है और उनका आयात करती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में यह निर्णय करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम क्या हैं कि इस प्रयोजन के लिये आयातित पुर्जों का प्रयोग किया जाये; और

(च) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को अब तक कितने एवरो-748 विमान दिये जा चुके हैं और उसके द्वारा मांगे गये शेष विमानों की सप्लाई का कार्यक्रम क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस विमान का बहुत बड़ा भाग भारत में जोड़ा जाता है परन्तु भारत में बने विमान की लागत यूनाइटेड किंगडम से आयातित एच एस-748 विमान की लागत से दुगुनी नहीं है। एच ए एल, कानपूर में एच एस-748 के उत्पादन की लागत परीक्षणाधीन है और हमारा इस समय अनुमान यह है कि इस की लागत आयातित विमान की लागत से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) सहायक पुर्जों का चयन इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में इन्जिनियरिंग प्रबन्धक, आयोजन प्रबन्धक तथा संचालन और प्रशिक्षण के मुख्य प्रबन्धक द्वारा संयुक्त परामर्श से किया जाता है।

(च) अभी तक इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को एक विमान दिया गया है। शेष 13 विमान देने की समय सूची इस प्रकार है :—

1967-68.........2
1968-69.........6
1969-70.........5

प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया

8121. **श्री उमानाथ :** **श्री अब्राहम :**
श्री गणेश घोष : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में इंटरनेशनल प्रैस इंस्टीट्यूट ने प्रैस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के पास कुल कितने परामर्शदाता भेजे;

(ख) उन पर कितना धन खर्च किया गया और वह धन कहां से प्राप्त हुआ;

(ग) क्या व्यय का भुगतान डालरों में किया गया अथवा रुपयों में; और

(घ) भुगतान किस प्रकार किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) प्रैस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया एक स्वतन्त्र प्राइवेट संगठन है और सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो भी, हमारी प्रार्थना पर प्रैस इंस्टीट्यूट ने कृपा कर के नीचे दी गई सूचना दी है :—

(क) इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट (ज़ूरिच) के द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान एक महीने से लेकर 6 महीने तक के लिये दस परामर्श दाता (दो भारतीयों समेत) भेजे गये। एक

परामर्शदाता दो बार भेजा गया। दो मामलों में प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया को मूल अनुदान में अपनी ओर से सहायता देनी पड़ी। एक परामर्शदाता को 6 माह के परामर्श के लिये 10,375 रुपये फीस के रूप में दिये गये। दूसरे को भी 6 माह के परामर्श के लिये 4,456 रुपये, जिसका आंशिक भाग फीस के रूप में था और आंशिक बीमारी का खर्चा था, क्योंकि वह बीमार पड़ गया था, दिया गया।

(ख) क्योंकि इन परामर्शदाताओं का खर्चा सीधे इन्टरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया इसलिये प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया को यह पता नहीं है कि कितना धन खर्च किया गया या किस स्त्रोत से किया गया।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया

8122. श्री उमानाथ :
श्री अब्राहम :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया ने कुछ परामर्शदाता दक्षिण वियतनाम भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने परामर्शदाता भेजे गये और उन्होंने क्या क्या कार्य किये; और

(ग) इन परामर्श दाताओं का यात्रा संबंधी और अन्य व्यय किसने दिया और उन पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया ने दक्षिण वियतनाम में किसी सलाहकार को नहीं भेजा था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कार निकोबार द्वीप में ब्रिटेन की सरकार के एक संस्थान द्वारा सामान का आयात।

8123. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1951 और जून, 1956 के बीच कार निकोबार द्वीप में स्थित ब्रिटेन की सरकार के एक संस्थान ने भवन निर्माण सामग्री, बेतार का उपकरण, ट्रक आदि समेत बहुत बड़ी मात्रा में सामान का आयात किया था;

(ख) क्या इस सामान पर सीमाशुल्क, जो लगभग 50 लाख रुपये बैठता है, लगाया गया था और वसूल किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क), (ख) और (ग) 1-4-1951 से 30-6-1956 तक की अवधि में कार निकोबार द्वीप में हवाई पट्टी की मरम्मत करने और उसका विस्तार करने के बारे में यूनाइटेड किंगडम की सरकार को भवन सामग्री, वायरलैस उपकरण, ट्रक, पैट्रोल, तेल, चिकने पदार्थ और अन्य चीजें मंगाने की अनुमति दी गई थी।

चूंकि अधिकारियों ने आयातित माल पर 47,88,803. 16 रुपए की राशि कर के रूप में आंकी है। ब्रिटिश अधिकारियों ने ये आंकड़े स्वीकार नहीं किए हैं भारत सरकार के किन्हीं विभागों से कुछ दावे भी किए हैं। 2,52859. 16 रुपए की रकम वसूल की जा चुकी है। ब्रिटिश सरकार से बाकी रकम वसूल के बारे में ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ इस मामले पर अभी लिखा-पढ़ी की जा रही है।

Prime Minister's Secretariat

8124. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the designation of officers in the Prime Minister's Secretariat intimation regarding whose appointments, promotions and advance increments was not given to the Union Public Service Commission during the lastt three years; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) There have been no such instances in which intimations were due to the Union Public Service Commission.

Pak. Defence Equipment Seized during Indo-Pak. Conflict

8125. Shri Kanwar Lal Gupla : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the details of the defence equipment of Pakistan seized by India during the last Indo-Pak. Conflict; and

(b) the details of the equipment since returned th Pakistan.

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) A large quantity of various kinds of arms and ammunition and other war material was captured by our Forces, the more important of which were 193 tanks, 39 being in serviceable condition.

(b) As indicated in the reply to Unstarred Question No. 2514 answered in the House on 21st March, 1966, on arms and ammunition and military. Equipment captured during the hostilities have been returned to Pakistan, though some civilian movable property was returned as a gesture of goodwill.

शार्ट-सर्विस कमीशन प्राप्त सैनिक अफसरों को पर्मानेंट कमीशन

8126. श्री श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री अदिचन :
श्री विश्वम्भरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन शार्ट-सर्विस कमीशन प्राप्त सैनिक अफसरों को, जिनके पास निर्धारित अर्हताएं हैं, पर्मानेंट कमीशन देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष कितने शार्ट सर्विस कमीशन-प्राप्त अफसरों को पर्मानेंट कमीशन दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वायु सेना को छोड़ कर, जिसमें पर्मानेंट कमीशन के अधिकार पर भर्ती की जाती है, स्थल सेना (सेना नर्सिंग सेवा को छोड़ कर) में और नौसेना में शार्ट सर्विस कमीशन दिये जाते हैं।

(ख) गत वर्ष जिन शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पर्मानेंट कमीशन दिया गया उनकी संख्या इस प्रकार है :-

(एक)	स्थल सेना चिकित्सा कोर (सेना नर्सिंग सेवा को छोड़ कर)	-138
(दो)	रीमाऊंट पशु-चिकित्सा कोर (स्थल सेना)	4
(तीन)	नौसेना	-10

पर्मानेंट कमीशन देने के लिए सभी तकनीकी शार्ट-सर्विस कमीशन-प्राप्त अधिकारियों से आवेदन मांगे गये हैं। योग्य पाये जाने वालों को स्थल सेना हिदायतें 7/एस/66 में निर्धारित शर्तों के अनुसार पर्मानेंट कमीशन दिये जायेंगे।

जहां तक शार्ट सर्विस कमीशन-प्राप्त (गैर-तकनीकी) अधिकारियों का सम्बन्ध है उनकी शार्ट सर्विस कमीशन सेवा के 5वें वर्ष में पर्मानेंट कमीशन देने के लिए विचार किया जायेगा। चूंकि शार्ट-सर्विस कमीशन देना 1965 में आरम्भ किया गया था अतः शार्ट-सर्विस कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) अधिकारियों के प्रथम समूह के बारे में 1970 में विचार किया जायेगा।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी की पाठ्य-चर्या

8127. श्री श्रीधरन :
श्री विश्वम्भरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री अदिचन :
श्री मंगलाथुमाडाम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी की पाठ्यचर्या की जांच करने तथा उसके पाठ्क्रम में उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देने के लिये सरकार ने विख्यात शिक्षा विदों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में शिक्षा की पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फ़िल्म सैंसर बोर्ड के अध्यक्ष के लिए अर्हताएं

8128. श्री श्रीधरन : श्री अदिचन :
श्री श्रीनिवास मिश्र : श्री मंगलाथुमा डोम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ़िल्म सैंसर बोर्ड के अध्यक्ष के लिये मूल अर्हताएं निर्धारित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) यह जरूरी नहीं पाया गया कि इस पद के लिये कोई विशेष अर्हताएं निर्धारित की जाए। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाए जो प्रौढ़ और प्रसिद्ध विवेकशील व्यक्ति हो, जिससे सांस्कृतिक मूल्यांकन सम्बन्धी विविध ज्ञान हो तथा जिसका न्यायशील दृष्टिकोण हो, और जिसका कलात्मक झुकाव हो। अपनी हाल ही की रिपोर्ट में प्राक्कलन समिति ने यह कहा है :–"समिति सामान्यतः सरकार के इन विचारों से सहमत है कि फिल्म सैंसर बोर्ड का अध्यक्ष एक विवेकशील जन–प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिये जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रखता हो और जिसका न्यायशील दृष्टिकोण हो तथा जिसका झुकाव कला की ओर हैं। वे यह भी अनुभव करते हैं कि अध्यक्ष को फिल्मों और फिल्मों की कला के माध्यम के रूप में मूल्यांकन करने का विशिष्ट ज्ञान भी होना चाहिए। पूर्ण रूप से विचार करने पर सरकार यह अनुभव करती है कि सब कुछ होते हुए भी इन्होंने इन सुझावों का ध्यान रखा है।

सैनिक यूनिट लाइनों में नेताजी का फोटो लगाये जाने पर प्रतिबन्ध

8129. श्री समर गुह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक यूनिट लाइनों, क्वार्टर गार्ड्स अथवा मनोरंजन कक्षों (रिक्रिएशन रूम्स) में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की फोटो नहीं लगाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है।

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे निदेश देने का है कि सैनिक यूनिट लाइनों तथा सेना के अन्य कार्यालयों में नेताजी की सैनिक वर्दी में फोटो लगानी चाहिए; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) सैनिक यूनिट लाइनों, इत्यादि, में सिवाय महात्मा गांधी के अन्य किसी गैर-सरकारी व्यक्ति के फोटो लगाने की अनुमति नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार वर्तमान हिदायतों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती।

Saink Schools in Madhya Pradesh

8130. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the number of Sainik Schools in Madhya Pradesh with locations thereof;

(b) the number of students receiving education therein; and

(c) the annual expenditure incurred thereon ?

The Minister in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) One at Rewa.

(b) 313 as on 30th June 1967.

(c) The school has an approved budget of Rs. 5,00,000/- for the current year. Total expenditure for the year 1966 for 285 body was Rs. 4,43,000/

कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी के अधिग्रहण के बारे में भारत स्थित ब्रिटिश उच्च आयुक्त द्वारा विरोध पत्र का दिया जाना

8131. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित ब्रिटिश उच्च आयुक्त ने कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी के प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्बन्ध में विरोध पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस विरोध पत्र में क्या लिखा है; और

(ग) उक्त सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कोई औपचारिक विरोध पत्र नहीं आया था। यूनाइटेड किंगडम के हाई कमिश्नर ने कलकत्ता रामवेज कंपनी लिमिटेड को लेने के प्रस्ताव पर अपनी सरकार की चिंता व्यक्त की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हाई कमिश्नर को सूचित किया गया कि इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार की कार्रवाई न्यायोचित है।

Memorandum Handed over by the British Dy. High Commissioner to West Bengal Chief Minister

8132. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the British Deputy High Commissioner in India had handed over a memorandum to the Chief Minister of West Bengal about the taking over of the calcutta Tramways by the State Government;

(b) whether the handing over of a memorandum/protest letter directly to a State Government by a foreign Mission is in consonance with the International Diplomatic Code of Conduct; and

(c) if not, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes sir.

(b) and (c) The Cabinet Secretary had drawn the attention of the U. K. High Commissioner to the fact that it was not proper for the U. K. Deputy High Commissioner at Calcutta to present an Aide Memoire to the State Government and that the appropriate thing for him to have done was to have approached the Government of India.

National Defence Awards

8133. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have instituted National Defence Awards last year; and

(b) if so, the number of persons, belonging to Madhy Pradesh who have so far been given such awards ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No award know as 'National Defence Award' has been instituted by Government. In connection with the India-Pakistan conflict of 1965, two new medala, "namely, "Samar Seva Star 1965" and "Raksha Medal 1965" have, however, been instituted by Government on 26th January, 1967.

(b) The number of persons belonging to Madhya Pradesh who will be eligible for these awards can be determined only after all the claims have been verified.

Advertisements for Madhya Pradesh Dailies

8134. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the amount paid to Madhya Pradesh State dailies for the Central Government advertisements during 1965-66 and 1966-67, respectively ?

The Minister of Information & Broadcasting (Shri K. K. Shah) : The value of advertisements issued by the Director of advertising and Visual Publicity to Madhya Pradesh Dailies during 1965-66 and 1966-67 was approximately as follows:

1965-66	Rs. 1,85,800
1966-67	Rs. 1,63,850

N.C.C. Officers in M.P. College

8135. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no avenue for promotions to such Professors in colleges of Madhya Pradesh who are working as Officers in N. C. C.; and

(b) if so, the steps taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) A copy of the rules for promotion of NCC officers of the Senior Division is attached. It will be seen therefrom that there is sufficient scope for promotion for professors in colleges who are functioning as NCC officers. No other steps are required.

Statement

Rules for Promotion of N. C. C. Officers of Senior Division

Length of Service	Army Wing	Naval Wing	Air Wing
Substative Promotions			
On being first commissioned service	2/Lt.	Sub/Lt.	Plt/Offr.
After 3 years commissioned service	Lieut.	-	Flg/Offr.
After 8 years commissioned service	Capt.	Lieut	Flt/Lr.
After 15 years commissioned service	Major	Lt.Cdr.	Sqn/Ldr.
Acting Promotions			
After 2 years commissioned service	Actg.Lt.	–	Actg. Flg/Offr.
After 5 years commissioned service	Actg. Capt.	Actg. Lt.	Actg. Flt/Lt.
After 8 years commissioned service	Actg. Major	Actg. Lt.Cdr.	Actg. Sqn/Ldr.

The promotions of N.C.C. Officers of the Senior Division are made subject to the fulfilment of following conditions:-

(i) The officer is considered fit to hold the higher rank.

(ii) A vacancy in the higher rank exists in the unit or part thereof to which the officer has been appointed.

(lii) The officer is recommended by the State Government concerned.

Border Road Transport Force

8136. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it it a fact that 21 to 22 Companies of the General Reserve Engineer Force are working under the 15 Border Road Transport Force;

(b) whether it is also a fact that at times the Nagas indulge in looting and manhandling the persons working in the said companies;

(c) where it is also a fact that no arms have deen provided to the said Companies for the security of the said workers ?

(d) if so, the steps taken by Government for the security of the said workers ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) 15 Border Roads Task Force has 27 Technical and Administrative units.

(b) Normally there is no difficulty on this Score. Since 8 June 1967, however four cases have been reported where armed Nagas have looted or attempted to loot Border Roads camps.

(c) The GREF is a civilian force and normally the personnel are not armed. But a certain number of GREF personnel (who are exservice-men) have been issued with the arms for use for protection.

(d) The liaison is being maintained with local army authorities to afford protection in case of need.

गोआनी कम्पनी की आस्तियां

8137. श्री सेक्वीरा :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) क्या यह सच है कि 'एस्ताले रोस नावायस डिगोआ सार्ले' नामक कम्पनी की आस्तियों का उपयोग मजगांव डाक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, और यदि हां, कितने वर्षों से ऐसा हो रहा है;

(ख) उपर्युक्त कम्पनी का अपने अंशधारियों और ऋणदाताओं के प्रति कितना दायित्व है;

(ग) इन दायित्वों का कितना भुगतान किया जा चुका है; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 'एस्तालेरोस नावायस डिगोआ' 14 अप्रेल, 1962 से मजगांव डाक्स लिमिटेड, बम्बई, के पास पट्टे पर थी।

(ख) तथा (ग) एस्तालेरोस नावायस डिगोआ के 100-100 रुपये के 62,500 शेयर हैं। इन में से 51,990 शेयर भारत सरकार अथवा भारत सरकार के अधीन स्वायत्त और अर्द्ध-स्वायत्त निकायों अथवा गोआ सरकार के हैं और 10,510 शेयर गैर-सरकारी अंशधारियों के हैं। पुरानी कम्पनी की पुस्तकों के अनुसार ऋणदाताओं के प्रति इसका 4,55,255.00 रुपये का दायित्व था। दायित्वों के निबटारे का प्रश्न कम्पनी के पुनरुज्जीवित होने के पश्चात ही उठेगा।

(घ) कम्पनी को पुनरुज्जीवित करने संबंधी कार्यवाही परीक्षणाधीन है।

भारत में नेपाल के राजनैतिक शरणार्थी

8138. श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में नेपाल के राजनैतिक शरणार्थियों की संख्या कितनी है तथा वे कहां कहां पर बसे हुए हैं;

(ख) उनकी आय के साधन क्या है तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें किस प्रकार की तथा कितनी सहायता एवं राहत दी जाती है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में रहने वाले नेपाल के राजनीतिक शरणार्थी नेपाल विरोधी और भारत विरोधी तथा चीन-समर्थक गतिविधियों में लगे हुए हैं;

(घ) क्या सरकार को पता है कि नेपाल के ये शरणार्थी चीन के लिये जासूसी कर रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उनकी भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : चूंकि नेपाली राष्ट्रिक भारत में मुक्त रूप से आ सकते हैं और खुली सीमा से भारत में आते समय उन्हें न तो पासपोर्ट की और न वीजा की जरूरत होती है इसलिये भारत में नेपाल के राजनीतिक अथवा किसी अन्य प्रकार के शरणार्थी होने का प्रश्न नहीं उठता । इसके अलावा, चूंकि नेपालियों पर रजिस्ट्रेशन संबंधी वे नियम लागू नहीं होते जो दूसरे विदेशियों पर लागू होते हैं इसलिए वे भारत में जहां चाहें रह सकते हैं और इस बारे में उन्हें भारतीय राष्ट्रिकों से भिन्न नहीं समझा जाता । नेपाली राष्ट्रिकों को प्राप्त इन अधिकारों का संचालन 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मित्रता संधि के अनुसार होता है ।

(ख) से (च) तक प्रश्न नहीं उठते ।

परमाणु अनुसंधान कार्य पर खर्च

8139. श्री शिव चन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सम्पूर्ण परमाणु अनुसंधान कार्य पर इस देश में प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च होती है और यह राशि इसी कार्य पर अन्य देशों में खर्च होने वाली राशि की तुलना में कितनी है; और

(ख) परमाणु अनुसन्धान कार्य पर होने वाले कुल खर्च में से कितनी राशि देशी संसाधनों से और कितनी राशि देशवार अन्य विदेशों से उपलब्ध हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अणु शक्ति संबंधी अनुसंधान तथा विकास पर (अन्तरिक्ष अनुसंधान समेत) भारत में 1965-66 में पूंजी एवं राजस्व व्यय कुल 18 करोड़ रुपये हुआ ।

कुछ देशों में उनके सामने दिखाये गये वर्षों में खर्च हुई राशियों के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं ।

देश	वर्ष	अणु शक्ति संबंधी अनुसंधान तथा विकास पर खर्च (करोड़ रुपयों में)
संयुक्त राज्य अमरीका	1966 (कैलेंडर वर्ष)	726.07
फ्रांस	1966 (कैलेंडर वर्ष)	200.03

युनाइटेड किंगडम	1964-65	176.31
कनाडा	1965-66	30.39

(ख) अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम के लिए 1965-66 में नियत की गई विदेशी मुद्रा की राशि 0.55 करोड़ रुपये थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के कार्य-कलाप

8140. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की वृहत सभा तथा उसकी सब परिषदों एवं समितियों में कितने अवसरों पर भारतीय संकल्प किसी न किसी रूप में स्वीकृत हुए;

(ख) ये प्रस्ताव अथवा संकल्प कौन से थे और वे किन परिस्थितियों के बारे में थे;

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अवसरों पर भारतीय प्रस्तावों और संकल्पों का अमरीका ने विरोध किया अथवा विपक्ष में मत दिया;

(घ) कितने अवसरों पर तथा भारत के किन संकल्पों के विरुद्ध 'वीटो' अधिकार प्राप्त देशों ने इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया;

(ङ) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 'वीटो' अधिकार समाप्त करने के लिये कहा है; और

(च) यदि हां, तो उस पर विभिन्न सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) तक 22 वर्षों से संबद्ध आवश्यक सूचना मांगी जा रही है और यथासमय दे दी जायेगी।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सड़क कायक्रम

8141. श्री मु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० न० सौलंकी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क कार्यक्रम का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है अथवा वह खर्च राज्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जाता है; और

(ख) सीमा सड़कों पर होने वाले व्यय के बारे में सरकार राज्य सरकार पर क्या क्या नियंन्त्रण रखती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सीमा सड़क विकास बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल सड़कों के निर्माण अथवा उनके सुधार सम्बन्धी समूचा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जाता है ।

(ख) राज्य लोक निर्माण कार्य विभागों को सौंपी जाने वाली परियोजनाओं पर केन्द्र द्वारा जो नियंत्रण रखा जाता है उसका मुख्य ब्यौरा इस प्रकार हैं :

(एक) निर्माण कार्यों के लिए मंजूरियां केन्द्रीय सरकार द्वारा मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा तैयार किये गये और सीमा सड़क महानिदेशक द्वारा पड़ताल किये गये अनुमानों के आधार पर दी जाती हैं ।

(दो) लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा सीमा सड़क परियोजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि केन्द्र द्वारा निर्धारित की जाती है ।

(तीन) राज्यों के लोक निर्माण कार्य विभागों को व्यय संबंधी विवरणियां और मासिक प्रगति रिपोर्टें सीमा सड़क महानिदेशक को भेजनी पड़ती है ।

राज्यों के लोक निर्माण कार्य विभागों को सौंपी जाने वाली परियोजनाओं पर खर्च के मामले में कोई अन्य नियंत्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

इमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त सैनिक अधिकारी

8142. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री टी० पी० शाह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 नवम्बर, 1962 के बाद भर्ती किये गये इमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त सैनिक अधिकारियों को स्थायी रूप से सेवा में लिया जाने के लिये क्या आयु-सीमा निश्चित की गई थी;

(ख) क्या बाद में इसमें कोई परिवर्तन किया गया था और क्या उस परिवर्तन के विरोध में अभ्यावेदन दिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) जो अधिकारी अधिक आयु के होने के कारण सेना की सेवा से मुक्त किये गये हैं क्या उनके लिये असैनिक विभागों और सरकारी उपक्रमों में पद आरक्षित किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 1 नवम्बर, 1962 के पश्चात भर्ती किये गये एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पर्मानेंट कमीशन देने के लिए आयु-सीमा इस प्रकार है ।

(एक) आर्मर्ड कोर, आर्टीलरी, इंजीनियर्स, सिगनल्स तथा इन्फैन्ट्री के लिए 31 वर्ष	एमर्जेन्सी कमीशन दिये जाने के समय	
(दो) अन्य आर्मस/सर्विसेस के लिए 33 वर्ष		

चिकित्सा पक्ष

(एक)	चिकित्सा स्नातक	–	30 गर्ष
(दो)	चिकित्सा स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ	–	31 वर्ष
(तीन)	चिकित्सा स्नातक एम एस/एम डी जैसी स्नातकोत्तर अर्हताओं के साथ	–	32 वर्ष

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी हां। सेवा मुक्त हुए अधिकारी विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सेवाओं में रक्षित पदों के लिए प्रतियोगिता के लिए पात्र हैं, बशर्तेकि इसी ओज के रूप में सेवा में प्रवेश करते समय उन पदों के लिए निर्धारित आयु के हों। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पदों के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

Recruitment of Officers in Army

8143. Shri Bhogendra Jha :Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of officers out of the present total strength of officers, who were recruited as Officers directly and of those who were promoted from the rank out of Jawans, along with their respective ratio; and

(b) whether Government propose to increase the ratio of those who are promoted as officers from amongst the ranks ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) It would not be in the public interest to disclose this information.

(b) No, Sir. Adequate opportunities already exist for the serving soldiers to rise to the Commissioned rank in the Army. For the younger group of serving soldiers, a quota of 33-1/3%has been fixed out of the Permanent Commissions granted through Indian Military Academy, every year. Other Ranks fulfilling prescribed qualifications, are drafted through Army Cadet College for this quota of Commissions, In the case of older age group of serving soldiers, they are eligible for grant of Permanent Commission in the Special List Cadre, the number of vacancies for which have recently been raised from 1500 to 2,000. Besides this, serving personnel are also free to compete with open

market candidates for the grant of Short Service Commission (Non-technical) or Permanent Commission through Indian Military Academy provided they are within the age limits and possess the requisite qualifications

मद्रास परमाणु बिजली घर में कर्मचारियों की संख्या

8144. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास परमाणु बिजली घर में इस समय किस प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं और वहां पर इस समय कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं; और

(ख) कार्य भार को देखते हुए वहां कर्मचारियों की वर्तमान संख्या का औचित्य क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) जो कार्य चल रहा है उसमें स्थल-विकास, पहुंच मार्ग का निर्माण आवासीय कालोनी, गोदाम, वर्कशाप और इस परमाणु बिजली की स्थापना से सम्बन्धित विभिन्न प्रारम्भिक कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आयोजन, डिजाइन और इंजीनियरी कार्य, उप–करण का निर्माण तथा वसूली और परियोजना के लिये आवश्यक सामग्री ले ली गई है।

इस परियोजना के नियमित कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 156 है। इसमें कार्य–भारित और आकस्मिक दैनिक दर के कर्मचारी तथा वे कर्मचारी शामिल नहीं हैं जो भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के बिजली परियोजना इंजीनियरी प्रभाग में नियुक्त किये गये हैं। यह संख्या बिलकुल उचित है।

मद्रास परमाणु बिजलीघर

8145 **श्री चित्तिबाबू** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास परमाणु बिजली घर में काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी बिना किसी एवजी छुट्टी के सभी रविवारों तथा छुट्टियों में कार्यालय आते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह गृह-कार्य मन्त्रालय में आदेशों के विरूद्ध है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास परमाणु बिजली घर में कर्मचारियों की नियुक्ति

8146. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास परमाणु बिजली घर में छोटी श्रेणी के पदों के बुलाये गये व्यक्तियों को ऊंची श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि जो व्यक्ति पर्यवेक्षकों के पदों के लिये बुलाये गये थे उन्हें अधिकारियों के पदों पर नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को तथा इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ग) जी, नहीं।

(ख) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मद्रास परमाणु बिजली घर की स्टाफ कारें

8147. श्री चित्तिबाबू : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास परमाणु बिजली घर के पास कितनी स्टाफ कारें हैं;

(ख) उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है तथा उनका दुरुपयोग न होने देने के लिये क्या कोई नियन्त्रण रखा जाता है: और

(ग) इन स्टाफ कारों के अनुरक्षण पर अब तक कितना व्यय किया गया है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद ने जौलाई, 1967 के पहले हफ्ते में उत्पादन शुरू कर दिया।

(ख) आशा है कि यह कारपोरेशन जो इस समय एक अस्थायी भवन में काम कर रही है, वित्त-वर्ष 1966-67 के 56.59 लाख रुपये के उत्पादन के मुकाबले में वित्त-वर्ष 1967-68 में 75 लाख रुपये मूल्य के उपकरण तथा पुर्जे तैयार करेगी, इतने उत्पादन के लिये आवश्यक उपकरण तथा सुविधायें कारपोरेशन में मौजूद हैं।

मद्रास परमाणु बिजली घर में फोटोग्राफरों पर खर्च

8148. श्री चित्तिबाबू : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास परमाणु बिजली घर में फोटोग्राफरों पर अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(ख) फोटोग्राफरों को उनके वेतन के अतिरिक्त दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते तथा विमान यात्रा किराये के रूप में अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) आमतौर पर परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य यूनिटों में उपलब्ध फोटोग्राफी सम्बन्धी सुविधाओं का ही लाभ उठाया जाता है। विभाग के फोटोग्राफरों को दैनिक भत्ते तथा यात्रा भत्ते के रूप में लगभग 470.00 रुपये दिए गए। पिछले एक वर्ष में समय समय पर व्यवसायी फोटोग्राफरों की जो सेवायें प्राप्त की गई उन पर बिजलीघर ने लगभग 600.00 रुपये खर्च किए।

आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर के साथ करार

8149. श्री गां० चं० दीक्षित : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में चीफ प्रोड्यूसर के साथ 12 वर्ष की सेवा का करार किया गया है जबकि अन्य प्रोड्यूसरों के साथ केवल पांच वर्ष की सेवा का करार किया गया है।

(ख) क्या यह भी सच है कि चीफ प्रोड्यूसर को इस श्रेणी में अन्य कर्मचारियों की तुलना में बहुत अधिक वेतन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के करार की आम अवधि पांच वर्ष है, परन्तु चीफ प्रोड्यूसर हिन्दुस्तानी संगीत को 12 वर्ष से कुछ अधिक की अवधि के लिये करार करके अन्य प्रोड्यूसरों से अधिक फीस पर नियुक्त किया गया। यह इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया क्योंकि वे साहित्य और संगीत दोनों ही क्षेत्रों में अध्ययन और खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और फिर इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि वे पहले जहां काम करते थे उनको क्या वेतन मिलता था और आकाशवाणी में आने से पहले उनको दूसरी किन किन जगहों पर मांगा जा रहा था।

हैदराबाद में यूरेनियम सयन्त्र

8150. श्री समर गुह :
क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद में, जो बिहार की जादूगोडा की यूरेनियम की खानों से बहुत दूर हैं, (1) यूरेनियम आक्साइड संयंत्र, (2) सिरोमिक ईंधन फैबरीकेशन संयंत्र और (3) जिरकोनियम संयंत्र किन वैज्ञानिक, आर्थिक पहलुओं तथा अन्य बातों को ध्यान में रखकर स्थापित किये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : न केवल जर्कन की सप्लाई के साधनों को देखते हुए बल्कि ऐसे केन्द्रों, जहां हैदराबाद फ्यूल कम्पलैक्स में उत्पादित ईंधन तत्वों का प्रयोग किया जायेगा, को देखते हुए भी हैदराबाद जादुगोडा की अपेक्षा ज्यादा केन्द्र में स्थित है।

अलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इन्डिया भी हैदराबाद में स्थापित की जायेगी।

इन दिनों कारखानों के लिये आवश्यक मिलती जुलती सुविधाएं फ्यूल कम्पलैक्स को तथा हाऊसिंग कालोनी को भी उपलब्ध होंगी।

सरकारी विज्ञापनों पर खर्च

8151. श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों में सरकारी विज्ञापनों पर कितना खर्च आया और इसमें से कितनी राशि उन समाचारपत्रों को दी गई जिनका परिचालन 50,000 प्रतियों से अधिक है; और

(ख) क्या मितव्ययता के एक उपाय के रूप में सरकार का विचार विज्ञापनों पर खर्च घटाने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने पिछले 10 वर्षों में (31 मार्च, 1967 तक) जो विज्ञापन रीलीज किये उन पर 5 19,21,335 रुपये खर्च आया। उन समाचार पत्रों जिनका परिचाल 50,000 प्रतियों से अधिक है, को कितने धन के विज्ञापन दिये गये इसके बारे में पिछले पांच वर्ष के आंकड़े एकत्र किये गये हैं, पिछले पांच वर्षों में कुल 3,15,66,737 रुपये के विज्ञापन दिये गये जिसमें से उन समाचार पत्रों, जिनकी प्रचार संख्या 50,000 से अधिक थी, 1,69,59,517 रुपये के विज्ञापन दिये गये।

(ख) सरकार की आवश्यकता और निहित उद्देश्यों के अनुसार यह बराबर प्रयत्न किया जा रहा है कि विज्ञापनों पर कम से कम खर्चा हो।

Documentary on Friendship with African Countries

8152- Shri Onkar Singh : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) whether any documentary or feature film has been produced to strengthen the sense of co-operation and friendship between India and African countries; and

(b) whether any Indian film company with the collaboration of any African actor or any African film company has produced any such film ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Government is not aware of any feature film or special documentary produced with the specific object of strengthening a sense of co-operation and friendship between India and African countries. However, the Films Division of the Ministry of Information & Broadcasting have produced a number of record films covering the visits of high dignitaries from African countries to India and of Indian dignitaries to countries in Africa, which are exchanged and utilisation of this material by the local film and TV systems serves the purpose in view.

(b) Government has no information about any Indian Film company having produced a film in collaboration with an African actor; nor is there any information about any African Film company having produced such a film.

Free Classes for Teaching of Indian Languages by Indian Embassies

8153. Shri Onkar Singh : Will the Minister of External Affairs be pleassed to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Embassies conduct free classes in foreign countries for teaching and propagation of Hindi and other Indian languages to foreign citizens on the lines as eountries like U. S. S. R., West Germany do in India; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Except in Colombo, no other Indian Mission/Post abroad conducts free classes to teach Hindi to the local people.

In Colombo, Hindi classes are organized in the Chancery under a scheme sponsored by Indian Council of Cultural Relations. At present 22 persons are attending these classes.

Proposal to open Hindi classes organised in our Missions/Posts abroad for our employees under Hindi Teaching Scheme of the Ministry of Home Affairs to the foreigners also is under consideration.

Journals Published by Indian Embassies in East Europe

8154. Shri Onkar Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Indian Embassies in East European countries publish some Journals with a view to propagate Indian news and Indian viewpoints there;

(b) the names of countries where these journals are published and the names of languages, in which they are published; and

(c) whether Newspapers in East European countries publish articles and material sent to them by the Indian Embassies ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b) No journals are published by our Embassies in East European countries, but our Embassies in Warsaw Prague and Bucharest issue news bulletins in English regularly and the other Embassies do so on special occasions. Our Embassy in USSR however publishes a journal in Russian every quarter, and issues daily news bulletins in Russian and English.

(c) Yes, Sir. Occasionally.

डा० अम्बेदकर के भाषणों का संग्रह

8155. श्री रामचरण : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय डा० अम्बेदकर के भाषणों का संग्रह करने तथा उनके वांगमय को प्रकाशित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि प्रकाशन विभाग द्वारा महात्मा गांधी तथा श्री जवाहरलाल नेहरू के भाषणों तथा वांगमय का संग्रह किया गया है और उसको प्रकाशित कराया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) (क) महात्मा गांधी का जो विशिष्ट स्थान है, उसका ध्यान रखते हुए प्रकाशन विभाग उनके वांगमय को प्रकाशित कर रहा है ताकि जनता को उनके लेखों, पत्रों और भाषणों का पूरा और अधिकृत रिकार्ड उपलब्ध हो सके। श्री जवाहरलाल नेहरू के वांगमय को भी प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया गया है। यह सम्भव नहीं है कि उन सभी नेताओं के बारे में इस प्रकार के संग्रह प्रकाशित किये जा सकें, जिन्होंने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

फिर भी, यह बात बताने वाली है कि प्रकाशन विभाग द्वारा भारत के गौरव, शृंखला के अन्तर्गत डा० भीमराव अम्बेदकर का जीवनवृत प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

आरोपित वायु सीमा उल्लंघनों के बारे में चीन का विरोध पत्र

8156. **श्री मरण्डी :** **श्री श्रीधर :**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने भारत को इस आशय का विरोध पत्र भेजा है कि 12 और 17 जुलाई, 1967 को भारतीय विमानों ने सिकियांग तथा तिब्बत क्षेत्रों में 16 बार चीन की वायु सीमा का उल्लंघन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या इस सम्बन्ध में चीन को उत्तर भेज दिया गया; और

(घ) इस विरोध पत्र में और क्या क्या आरोप लगाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नोट का अभि अध्ययन किया जा रहा है।

(घ) सरकार पर पुराने चीनी आरोप का दोहराना कि वह 'अमरीकी साम्राज्यवाद और सोवियत आधुनिक संशोधनवाद के चीन-विरोधी मोहरे के रूप में कार्य कर रही है।'

परमाणु अनुसंधान के प्रशिक्षणार्थी

8157. **श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1957 से अब तक भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र प्रशिक्षण स्कूल में कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण पाया हैं।

(ख) उनमें से कितने विद्यार्थियों को परमाणु शक्ति विभाग के अन्तर्गत संघटक एककों और परियोजनाओं में काम पर लगाया गया है और कितने लोग इन संस्थानों से बाहर काम पर लगे हुए हैं; और

(ग) कितने प्रशिक्षार्थी अब भी बेरोजगार हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 1347।

(ख) 1231 विद्यार्थीयों को परमाणु शक्ति विभाग के अन्तर्गत संघटक एककों और परियोजनाओं में काम पर लगया गया है। 116 विद्यार्थियों को इस विभाग से प्रधान रूप से सहायता प्राप्त वैज्ञानिक संस्थाओं में नियुक्त किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गाजा में हताहत भारतीय सैनिकों को मुआवजा

8158. **श्री यशपाल सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अरब-इसराइल संघर्ष में गाजा में मारे गये और घायल हुए भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ और इसराइल द्वारा मुआवजा की राशि दिये जाने के प्रश्न पर निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना मुआवजा दिया जायेगा;

(ग) क्या सरकार ने हताहत सैनिकों अथवा उनके परिवारों को कोई मुआवजा दिया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलीराम भगत) : (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्रों की संक्रियाओं में मारे गये या घायल हुए भारतीय सेविवर्ग के सम्बन्ध में मुआवजा उन पर लागू शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जैसे कि वह घटनाएं भारत में ही घटी हैं।

मुआवजा, पेन्शनी तथा राहती लाभों सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या 1344/67]

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-तकनीकी अधिकारियों के सेवाकाल का बढ़ाया जाना

8159. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय में अधिकारियों द्वारा बार-बार विरोध प्रकट किए जाने पर भी गैर-तकनीकी अधिकारियों की आयु 58 वर्ष हो जाने के बाद भी उनका सेवा काल बढ़ाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ऐसा करना सरकार की नीति और निश्चित विचारों के विरूद्ध है; और

(ग) पिछले दो वर्ष में 58 वर्ष की आयु हो जाने के बाद भी कितने मामलों में सेवा काल बढ़ाया गया था और प्रत्येक मामलों में ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) विशेष परिस्थितियों में जन हित को ध्यान में रखते हुए और सरकार के आदेशों का समुचित पालन करते हुए गैर-तकनीकी अधिकारियों का सेवा काल 58 वर्ष से आगे बढ़ाया गया है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान 12 गैर-तकनीकी अधिकारियों का सेवा काल, जिनके तीन पदों को मन्त्रालय तकनीकी पद में परिवर्तित करना चाहता था, बढ़ाया गया। इन सभी मामलों में सेवा काल केवल इसलिये बढ़ाया गया कि पूरे प्रयत्न करने के फलस्वरूप भी निश्चित समय पर इन व्यक्तियों के स्थान संभालने के लिये योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हो सके।

कलकत्ता के लिये शक्तिशाली ट्रांसमिटर

8160. श्री कं० हाल्दर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र में मीडियम वेव के दो शक्तिशाली ट्रांसमिटर लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक हो जायगा और उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता में पहले ही एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमिटर है, दूसरे ट्राँसमिटर के लगाने का काम हो रहा है और आशा है कि सितम्बर, अक्तूबर, 1967 तक वह चालू हो जायगा। एक तीसरा सुपर पावर ट्रांसमिटर 1968 के मध्य तक स्थापित हो जाएगा।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल और प्रादेशिक सेना की वर्दियां

8161. श्री सेक्वीरा : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत पांच वर्षों में, वर्षवार, राष्ट्रीय छात्रसेना दल और प्रादेशिक सेना की वर्दियों पर पृथक-पृथक कितना धन खर्च किया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०रा० भगत) : सूचना इकट्ठी की जा रही है, और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Headquarters of Naxalbari Communists in Nepal

**8162. Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Avtar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Kameshwar Singh :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the extremist Communists of Naxalbari have set up their Headquarters in Nepal with a view to carry on their sabotage activities in Naxalbari;

(b) whether in this connection, the Nepal Government have written to the Government of India to check the activities of the said Communists in Naxalbari area contiguous to Nepal; and

(c) if so, the action taken so far in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) The Government have no such information.

(b) & (c) Do not arise.

विविध भारती के हिन्दी पोषक कार्यक्रम

8163. श्री समर गुह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि आकाशवाणी के विविध-भारती कार्यक्रमों में हिन्दी कार्यक्रमों की अधिकता होने के विरोध में पश्चिम बंगाल के समाचार पत्रों में हाल में कई पत्र प्रकाशित हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल के श्रोताओं की ओर से हाल में एक ज्ञापन भी उनके मन्त्रालय को भेजा गया है।

(ग) क्या यह भी सच है कि विविध-भारती कार्यक्रम की 6 घंटे की अवधि में से 5 घंटे हिन्दी फिल्मी गानों के लिये, 45 मिनट दक्षिण भारतीय गानों के लिये तथा 8 मिनट अन्य प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों के लिये निर्धारित किये गये हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी का कलकत्ता केन्द्र हिन्दी फिल्मी गानों के लिये प्रति सप्ताह 210 मिनट देता है और बंगाली गानों के लिए केवल 30 मिनट; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक कार्यक्रम में प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों को उचित तथा एक समान समय देने की दृष्टि से सरकार का विचार आकाशवाणी का कार्यक्रम, विशेषत: विविध-भारती तथा प्रादेशिक केन्द्रों के कार्यक्रम, फिर से तैयार करने लिये कोई कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) सरकार को यह पता नहीं है कि आकाशवाणी के विविध-भारती कार्यक्रमों में हिन्दी की अधिकता होने के विरोध में पश्चिम बंगाल के समाचार पत्रों में कई पत्र प्रकाशित हुए थे।

(ख) आकशवाणी को पश्चिम बंगाल के श्रोताओं से इस प्रकार का कोई ज्ञापन नहीं मिला है।

(ग) विविध-भारती कार्यक्रम की कुल अवधि 7 घन्टे और 26 मिनट प्रतिदिन है जिसमें से प्रतिदिन 6 घन्टे और 26 मिनट हिन्दी फिलमी गानों के लिये और एक घण्टा कर-नाटक संगीत के लिये होता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) मामला विचाराधीन है।

साम्यवादी नेताओं द्वारा कानपुर में आयोजित जलूस

8164. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि साम्यवादी नेताओं द्वारा 8 जुलाई, 1967 को आयोजित जलूस ने, जब वह कानपुर में आरामपुर एस्टेट में आर्डनेन्स फैक्टरी कर्मचारी यूनियन के मंत्री के निवास स्थान के सामने पहुँचा, गाली-गलोच पूर्ण भाषा का प्रयोग किया और उत्तेजक नारे लगाये;

(ख) क्या सरकार ने इस घटना के बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) आरामपुर एस्टेट क्षेत्र में 8 जुलाई, 1967 को आर्डनेन्स फेक्टरी कर्मचारि संघ कानपुर द्वारा एक जलूस संगठित किया गया था। रिपोर्ट मिली है कि जलूस आर्डनेन्स फैक्टरी कर्मचारि संघ कानपुर के मुख्य सचिव के घर के पास से गुजरा परन्तु वह उसके मकान के सामने ठहरा नहीं।

डी० जी० ओ० एफ० द्वारा एक व्यक्ति पर सम्मिलित एक बोर्ड घटनाओं की जांच करने और उनकी रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट प्रतिक्षित है।

सैनिक इंजीनियरी सेवा (एम० ई० एस०) के अधिकारी

8165. श्री हेम बरुआ : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सैनिक इंजीनियरी सेवा के बहुत से अधिकारियों को, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरी संस्थान से कोई डिप्लोमा अथवा डिग्री नहीं है, महत्त्वपूर्ण इंजीनियरी पार्कों सहित इंजीनियरी यूनिटों का स्वत कार्य-भार सौंपने की अनुमति है;

(ख) क्या ऐसे अधिकारियों को 50 वर्ष की आयु के बाद सेवा निवृत करने की कोई नई योजना विचाराधीन है;

(ग) क्या देश में बेरोजगार, योग्य इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है; और

(घ) क्या 1965 में आपातकाल के समय योग्य इंजीनियरों की आवश्यकता बहुत अधिक अनुभव की गई थी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) एम० ई० एस० में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा धारण न करने वाला इंजीनियर पार्कों समेत इंजीनियरी यूनिटों का स्वतन्त्र रूप से प्रभार धारण नहीं किए हुए है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि 50 वर्ष की आयु पर अफसरों को रिटायर करने के अभी तक कोई व्यापक आदेश जारी नहीं किए गए।

(ग) जी हां, देश में अर्ह इंजीनियरों की साधारणतः कोई कमी नहीं।

(घ) सेना में इंजीनियरों की कमी है, और असैनिक जीवन से, रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंजीनियर भर्ती करने के लिए निरन्तर प्रयास किए गए हैं।

Hindustan Construction Company

8166. Shri Ram Charan : Will the Ministar of Defence be pleased to state:

(a) the value of the contract so far entrustd to the Hindustan Construction Company for the construcation of roads and bridges on the northern borders;

(b) whether it is a fact that some defects have been noticed in the bridges constructed by the said Company; and

(c) whether some complaints have been made against the said Company in this regard and the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) Contracts of total value of Rs. 1.39 crores have been entered into by General Reserve

Engineer Force Chief Engineeres with M/s, Hindustan Construcation Company. All of them relates to construction of permanent bridges- No constructional defects have been reported in respect of these bridges, many of which are yet to be completed.

Information regarding contracts entered into by P. W. Ds. (State/Central) in respect of projects entrusted to them is not readily available.

(c) No complaints against the said Company have been received so far.

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में नागालैंड का प्रश्न उठाया जाना

3167. **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री योगेन्द्रनाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागा लोग स्वतन्त्र नागालैंड के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में उठाने का विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार को मालूम है कि विगत समय में पहले-पहल फिजो नामक नागा मूल के एक ब्रिटिश नागरिक ने एक और ब्रिटिश नागरिक, माइकेल स्काट के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में अन्य सदस्य राज्य के अन्दरूनी मामलों पर बहस कराने में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की थी जो असफल सिद्ध हुई । बहरहाल सरकार के पास ऐसी विशेष सूचना नहीं है कि इस तरह की कोई कोशिश चल रही है ।

(ख) भारत सरकार का निर्णय वही है जो हमेशा से रहा है, अर्थात् नागालैंड भारतीय संघ का अंग राज्य है और कोई बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश में चोर बाजार में अखबारी कागज की बिक्री

8169, श्री विद्याधर वाजपेयी : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे समाचार पत्र अपनी बिक्री के आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर बताकर अखबारी कागज का कोटा प्राप्त कर रहे हैं और चोर बाजार में अखबारी कागज बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के बिभिन्न समाचार पत्रों को कितना कोटा मंजूर किया गया है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक समाचार पत्र की कितनी बिक्री है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश से 14 समाचार-पत्रों के अखबारी कागज के दुरुपयोग करने की शिकायतें मिली है ।

भारत में समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा जांच करने पर पता लगा कि 6 समाचार-पत्रों की प्रचार संख्या में कोई असंगति नहीं है, जब कि 4 समाचार-पत्रों की प्रचार संख्या कम पाई गई परन्तु इसका प्रमाण नहीं था कि उन्होंने अखबारी कागज का दुरुपयोग किया है। एक मामले की अभी जांच करनी है और एक प्रकाशन ने न तो अखबारी कागज के लिये प्रार्थना पत्र ही भेजा है न प्रचार संख्या का प्रमाण-पत्र ही दिया है। दो समाचार पत्रों ने अपने पत्र छापना बन्द कर दिया है। उन समाचार-पत्रों, जिनकी प्रचार संख्या जांच के परिणामस्वरूप फिर से निश्चित की गई है, की सूची भारत में समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोर्टों के भाग 1, में दी गई है। इन रिपोर्टों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी है। ये सूचना प्रचार संख्या की असंगति से सम्बन्ध रखती है जो अखबारी कागज के दुरुपयोग से भिन्न है।

(ख) उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक समाचार-पत्र हैं जिनको एक वर्ष से दूसरे वर्ष में निर्धारित नीति के अनुसार अखबारी कागज अलाट किया जाता है। इस सूचना को एकत्र करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे वह लाभ नहीं होगा जो इस प्रश्न के पूछे जाने से हो सकता है।

(ग) भारत में छपने वाले अखबारों की संख्या और अन्य विवरण भारत में समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोर्ट भाग 2 में दिया गया है। 31 दिसम्बर, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष की रिपोर्ट शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

Rules Regarding Issue of Passports to Pilgrims to Pakistan

8170. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration have revised the rules regarding the issue passports to the pilgrims desirous of going to Pakistan;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether with the application of the revised rules, the pilgrims would have to apply for permission at least five months before their date of departure;

(d) the rules in other States in this regard; and

(e) whether Government propose to consider the desirability of reducing the said period of five months ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) to (e) Every year pilgrims from India (mostly Sikh Jathas) visit shrines and holy places in Wast Pakistan, on a number of occasions. The Government of India sponsor such visits after approaching the Pakistan Government for necessary facilities for uadertaking the pilgrimage. In the past, pilgrims were sometimes put to a great deal of inconvenience as a result of the arrangements being rushed through due to last receipt of details of pilgrim parties. The Government of Pakistan told us that they would require sufficient notice of the visit of the pilgrims parties to enable them to make necessary arrangement well within time. This matter was considered by the Government of India and keeping in view the various formalities which have to be gone into, the State Governments were asked to forward to the Ministry of External Affairs, at least 4 months in advance of the date of pilgrimage, full details of the pilgrim parties, as well as their proposed itinerary.

The Delhi Administration issued a press note on 18th July, 1967 in which they stated that proposals for sending parties/Jathas on pilgrimage on various occasions should

be initiated sufficiently in advance and forwarded to Delhi Administration 5 months before the actual date of departure. In the same press note they have stated that individuals joining the pilgrimage parties should ensure that they apply to the Delhi Administration for issue/renewal of India-Pakistan passports two months before the date of departure to enable the Delhi Administration to complete all the formalities and issue/renew the passports.

Other State Governments are also asking the intending pilgrims parties to intimate their particulars well ahead of time. In view of the need for adequate preparatioa time for these visits, the Government do not propose to alter these requirements. These steps have been taken in the light of past experience and are aimed at facilitating the visits of the pilgrims and minimising the possibility of undue inconvenience to them in future.

सैनिक स्कूल

8171. श्री राम किशन : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नये सैनिक स्कूल खोले जाने की मांग बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने ऐसी मांग की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) पहले से विद्यमान 15 सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त, मैसूर सरकार द्वारा उस राज्य में कूर्ग में एक सैनिक स्कूल खोलने का एक नया प्रस्ताव किया गया है । मद्रास, मध्य प्रदेश और हरियाना सरकारों ने भी अपने अपने राज्य में एक सैनिक स्कूल खोलने की इच्छा प्रकट की है । तदापि इससे पहले कि उनके प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाए उन्हें वित्तीय अभिप्रायों को स्वीकार करना होगा ।

बोर्ड आफ गवर्नर्ज इन प्रार्थनाओं पर उन उद्देश्यों को सामने रखते हुए विचार करेगा, जिनके लिये सैनिक स्कूलों की संस्था का जन्म हुआ था । इस सम्बन्ध में 7 अगस्त, 1967 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8115 के भाग (क) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाने और उन्हें फिर से बसाने के लिये विशेष कोष

8172. श्री कुचेलर : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 और 1966-67 में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाने और उन्हें फिर से बसाने के लिये बनाये गये विशेष कोष में कितनी राशि दी गई थी ,

(ख) कितनी धन राशि केन्द्रीय कोष में रखी गई थी;

(ग) मद्रास राज्य की योजनाओं पर व्यय करने के लिये कितनी धन राशि अलग रखी गई है और इसमें से मद्रास की योजनाओं पर वस्तुतः कितनी धन राशि खर्च की गई है; और

(घ) वे योजनायें कौन कौन सी हैं तथा प्रत्येक योजना पर कितनी कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस योजना के लिए निम्नलिखित राशि दी गई थी:—

1965-66	
राष्ट्रीय रक्षा कोष से अंशदान	4,30,28,400 रुपये (इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का 69,71,600 रुपये का अंश शामिल नहीं है जो उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा कोष में कम दिया था)
केन्द्रीय सरकार अनुदान	1 करोड़ रुपये ।
जोड़	5,30,28,400 ।
1966–67	
केन्द्रीय सरकार अनुदान	1 करोड़ रुपये ।

(ख) केन्द्र ने 1,40,00,000 रुपये की रकम रखी थी। कोष की केन्द्रीय प्रबन्धक समिति के माध्यम से 1-10-66 से केन्द्रीय कोष द्वारा इसकी व्यवस्था की जा रही है।

(ग) और (घ) मद्रास राज्य का हिस्सा 36,05,500 रुपये है। राज्य प्रबन्धक समिति के गठन की सूचना हाल ही में केन्द्रीय सरकार को दी गई है और रकम देने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इसलिये मद्रास की योजनाओं पर वास्तविक खर्च का प्रश्न इस समय नहीं उठता है।

Education of Children of Indian Nationals Living Abroad

8173. Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Indian nationals living abroad are now desirous of imparting education to their children in India and not in foreign countries like U. S. A. and U. K., but they have to face great inconvenience and a number of difficulties in getting their children admitted in the colleges in India; and

(b) if so, whether Government propose to take any remedial action in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) & (b) Indian nationals who are settled abroad cannot be given any special facilities which are not available to Indian nationals living in this country in regard to the admission of their children in Indian Colleges.

विदेशों में भारत का स्वरूप

8174. श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत से जो ईसाई धर्म प्रचारक ब्रिटेन और अमरीका में वापिस गये हैं, उन्होंने वहां के देहाती लोगों को भारत के बारे में यह बताया है कि भारत आदिमजातीय असभ्य, पिछड़े हुए, निर्धन और सपेरों का देश है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों के लोगों के सामने भारत का सही स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार को ऐसी किन्हीं विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन, चूंकि बहुत से धर्म प्रचारक भारत के आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, इसलिए, हो सकता है कि जब वे अपने देश लोटकर जाते हों तो भारत की गलत तस्वीर पेश करते हों।

(ख) यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका-स्थित हमारे मिशन गलत भावनाओं और धारणाओं को ठीक करने और भारत की सही तस्वीर पेश करने के लिए प्रयाप्त रूप से तैयार हैं ।

स्थल सेना, नोसेना और वायु सेना के कर्मचारियों के वेतनमान

8175. श्री भ्रा० सुन्दर लाल : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना के समान ग्रेड वाले कर्मचारियों के वेतन, मत्तों तथा खुराक और वस्त्रों आदि अन्य पदों में बड़ा अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) साधारणतः तीनों सेवाओं के अफसर पदों से निम्न अफसरों और सेविवर्ग की समान श्रेणियों के वेतन और भत्ते समान हैं । तदापि, कुछ श्रेणियों की हालत में कुछ थोड़े से फर्क विद्यमान हैं, जो मुख्यतः शिक्षा स्तर, तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण और कौशल के कारण हैं, जो प्रशिक्षण के पश्चात् उनके कर्तव्यों के निष्पादन के लिये सेविवर्ग में आवश्यक हैं; अफसर पद से नीचे सेविवर्ग के सम्बन्ध में राशन और वस्त्रों के पेमानों में भी कुछ अन्तर विद्यमान हैं । यह मान कुछ ही समय पहले परम्पराओं और स्थितियों को सामने रखते हुए नियत किए गए थे, जिनमें कि प्रत्येक सेवा के सेविवर्ग अपने कर्तव्य निभाने की आशा की जाती है; और वह मान युक्तिसंगत बनाये गये हैं तथा समय समय पर संशोधित किए गए हैं । तीनों सेवाओं के समान श्रेणियों के सेविवर्ग के लिए वस्त्रों का समान मान, उनकी सेवा की स्थितियों की विभिन्नता और उनकी क्रियाशीलता तथा व्यावसायिक आवश्यकताओं की खासियतों के कारण संभव नहीं है ।

बम्बई स्थित सीरिया के महा वाणिज्य दूत के कार्यालय में चोरी

8176. श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये : **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित सीरिया के महा वाणिज्य दूत के कार्यालय में हुई चोरी के बारे में सरकार ने रिपोर्ट प्राप्त की है ;

(ख) क्या यह सच है कि 25,300 रुपयों के समेत कुछ महत्वपूर्ण फाइलें भी गुम हुई पाई गई हैं; और

(ग) क्या इस चोरी की जांच के कार्य में कुछ प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) इस बारे में महाराष्ट्र सरकार से सूचना मांगी गई है और वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

पट्टे पर दी गई प्रतिरक्षा मन्त्रालय की भूमि

8178. श्री रामचरण :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रामजी राव :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री 10 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5144 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त भूमि किन-किन राज्यों में है तथा प्रत्येक राज्य में ऐसी भूमि का क्षेत्रफल कितना है तथा कहां पर है;

(ख) क्या उस भूमि को पट्टे पर दिया गया है अथवा किराये पर;

(ग) उस भूमि को किस काम में लाया जा रहा है;

(घ) क्या उस भूमि का नीलाम होता है अथवा यह जिला अधिकारी की सिफारिश से दी जाती है अथवा भूतपूर्व सैनिकों को या अनुसूचित जातियों के सदस्यों को दी जाती है; और

(ङ) क्या यह सच है कि भूमि का नियतन करते समय कृषकों का विशेष ध्यान रखा जाता है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ग) आवश्क सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सम्बन्धित भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिए गए हैं । पट्टे पर दिए गए भूमिक्षेत्रों के संबंध में प्रायः किराया वसूल किया जाता है ।

(घ) तथा (ङ) रक्षा आवश्यकताओं से अस्थायी तौर पर फालतू रक्षा भूमियों के संबंध में कृषि उद्देश्यों के लिये वर्तमान पट्टाधारी तब तक तरजीह के अधिकारी हैं, जब तक वह पट्टे की शर्तों का पालन करते रहें, और उनका भूमिधारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा का उलंघन न करें । अन्य पट्टाधारियों के लिए तरजीह का क्रम इस प्रकार है:

(1) भूतपूर्व सैनिकों की सहयोगी समितिएं ।

(2) व्यक्तिगत भूतपूर्व सैनिक ।

(3) सद्भावी कृषिकों की उन व्यक्तियों की जो स्वयं भूमि जोतते हैं, सहयोगी समितिएं ।

(4) बिना भूमि के व्यक्तियों की सहयोगी समितिएं ।

(5) पढ़े लिखे बिना भूमि के बेरोजगार युवक जो कम से कम मेट्रिकुलेट हों।

(6) अन्य बिना भूमि के व्यक्ति; और

(7) मुजरे या भूस्वामी, जिनकी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम अपनी भूमि हो या, कब्जे में हो ।

परमाणु वैज्ञानिक तथा नाभिकीय इंजीनियर

8179. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु शक्ति विभाग में नियुक्त परमाणु वैज्ञानिकों तथा नाभिकीय इंजिनियरों के वेतनमान क्या हैं और उनकी पदोन्नति के क्या अवसर प्राप्त हैं;

(ख) क्या इन वैज्ञानिकों और इंजिनियरों के वेतनमान उसी स्तर की अन्य सरकारी सेवाओं के अधिकारियों के समान हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन वैज्ञानिकों को विशेष वेतनमान और निश्चित अवधि बाद पदोन्नतियां देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु शक्ति विभाग में नियुक्त वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के पदक्रम तथा वेतनमान सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 1345/67**)

वैज्ञानिकों । इंजीनियरों की पदोन्नति के अवसरों के बारे में प्रक्रिया यह है कि तीन साल से छः साल की सेवा पूरी होने पर उनकी उच्चतर पदक्रमों पर पदोन्नति की जाती है बशर्ते कि उनका काम संतोषजनक हो । उत्कृष्ट काम के लिए त्वरित पदोन्नति भी की जाती है ।

(ख) वेतनमान आम तौर पर अन्य सरकारी सेवाओं के अधिकारियों के समान हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) वर्तमान वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसरों को देखते हुए इस समय संशोधन करने की जरूरत नहीं है ।

भारतीय वायुसेना का लापता विमान

8180. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री मेघचन्द्र :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
कुमारी रंजनी गंधा :
श्री हुकुमचन्द कछवाय :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है भारतीय वायु सेना का एक परिवहन विमान 22 जुलाई, 1967 से पूर्वी आंचल में लापता है;

(ख) यदि हां, तो लापता विमान का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) (ख) तथा (ग) तलाश के परिणाम-स्वरूप 20 जुलाई, 1967 को गुम हुए आई० ए० एफ० परिवहन विमान का विध्वंस्त मलवा 25 जुलाई, 1967 को मिल पाया था।

स्वतन्त्रता की बीसवीं वर्षगांठ मनाने का कार्यक्रम

8181. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सारे देश में स्वतन्त्रता की बीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिये विशेष कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) स्वतन्त्रता के बीस वर्ष पूरे होने के अवसर को मनाने के लिये सारा कार्यक्रम बनाया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के कार्यालयों ने जो कार्यक्रम करने हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

प्रसारण कार्यक्रम :

1. 13 अगस्त, 1967 से 20 अगस्त, 1967 तक राष्ट्र को उस रूप से क्या लाभ हुआ इस पर जोर देते हुए बतायें, फीचर, परिसंवाद और कवितायें, प्रसारित की

जायेंगी। रेडियो और टेलीविजन पर युवकों के कार्यक्रमों पर जोर दिया जायेगा। दिल्ली का टेलीविजन एकक स्वतन्त्रता के बीस वर्षों के कार्यों को बताने के लिये विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करेगा। विदेशों के रेडियो और टेलीविजन के दिल्ली स्थित प्रतिनिधियों को रिपोर्ट और अपने लिये अन्य मिले जुले कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

सूचना :

2. तथ्य-शीट का एक पूर्ण और आकर्षक संस्करण, फोटो-फीचरों की एक शृंखला, विशेष एब्नोग्राईड ब्लाकों, विशेष फीचरों, वरिष्ठ मन्त्रियों द्वारा उनके हस्ताक्षर सहित लेखों और भारत कथा विदेशों के प्रसिद्ध लेखकों द्वारा विशेष लेखों को प्रकाशित किया जायेगा।

विभिन्न क्षेत्रों के अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों से प्रार्थना की गई है कि वे विशेषाँक निकालें।

दृश्य प्रचार :

3. अंग्रेजी, हिन्दी और 11 प्रादेशिक भाषाओं में 'मैं बीस वर्ष का हूं' नामक एक विशेष विज्ञापन, पोस्टर और इस समय के लिये उपयुक्त फोटो शिटें जारी की जायेगी। राष्ट्र ने विभिन्न क्षेत्रों में जो सफलतायें पाई हैं, उनको आकर्षक ढंग से बताने और दिखाने के लिये देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जायेगा।

प्रकाशन :

4. प्रकाशन विभाग बीस वर्ष की स्वतन्त्रता का एक संक्षिप्त विवरण देते हुए एक चित्रमय प्रकाशन छापेगा।

गवेषणा सेवा :

5 गवेषणा और सन्दर्भ विभाग राष्ट्र के 20 वर्ष के विकास का क्रमिक ब्योरा तैयार करेगा जिसके साथ एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक मजमून भी होगा।

नाटक सम्बन्धी कार्यक्रम :

6. गीत तथा नाटक विभाग मुख्य रूप से राज्य की राजधानियों में स्थानीय कलाकारों और नवयुवकों के द्वारा मिले जुले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।

फिल्म :

7. फिल्म विभाग इस अवसर पर समयानुकूल फिल्में प्रदर्शित करेगा। विश्व के रेडियो और टेलीविजन सेवाओं को यह सुविधायें दी जा रही है कि ये फिल्मों को तैयार करने के लिये अभिलेख तथा अन्य सामग्री ले सकते हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी कामों के लिये बेहाला (कलकत्ता) में भूमि का अर्जन

8182. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री एस्थोस :**
श्री चक्रपाणि : **श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में बज बज रोड (बेहाला) के निकट रासपुंजा गांव में भूमि का एक विशाल टुकड़े का अर्जन प्रतिरक्षा सम्बन्धी कामों के लिये किया जा रहा है;

(ख) क्या वह सारी की सारी भूमि अनाज उपजाऊ है तथा उसमें पूजा के स्थल भी हैं;

(ग) क्या लोगों ने इस भूमि का अर्जन किए जाने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस काम के लिये कोई अन्य स्थान ढूंढेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। रासपुंजा गांव में भूमि लगभग 215 एकड़ क्षेत्र प्रतिरक्षा सम्बन्धी कामों के लिये आवश्यक है। इसमें से अधिकांश भूमि अनाज उपजाऊ है और बताया गया है कि वहां पर छोटे छोटे मन्दिर जिनका मापदण्ड 10'×12' तथा 10 फुट × 8 फुट क्रमशः है। तथापि इन मन्दिरों को राजस्व अभिलेखों में नहीं दिखाया गया है। इन मन्दिरों के घेरे की भूमि को अर्जन में शामिल न करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

(ग) तथा (घ) सम्बन्धित व्यक्तियों ने भूमि का अर्जन किये जाने का विरोध किया है लेकिन संक्रिया सम्बन्धी कारणों से कोई अन्य स्थान ढूंढना व्यावहारिक नहीं है।

अनुसंधान तथा विकास संस्थान

8183. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री एस्थोस :**
श्री चक्रपाणि : **श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसन्धान तथा विकास संस्थान में शस्त्रास्त्रों के विषय में से सम्बन्धित उन असैनिक वैज्ञानिकों, जो 1200 रुपये मासिक से अधिक वेतन वाले पदों पर काम कर रहे हैं, की संख्या के अनुपात में कितने सैनिक अधिकारी हैं;

(ख) क्या शस्त्रास्त्र निदेशालय के अधीन प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठानों में अनेक ऐसे सैनिक अधिकारियों को निदेशकत्व वाले पदों पर नियुक्त किया गया है, जो न्यूनतम निर्धारित एम० एस० सी० या इसके समकक्ष योग्यता प्राप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) स्थायी संवर्ग के सैनिक अधिकारियों के लिये क्या न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) लगभग 1 : 2.2।

(ख) और (ग) शस्त्रास्त्र ग्रुप में 7 निदेशकों में से 3 सैनिक अधिकारी हैं। उनमें से एक के पास स्नातकोत्तर डिग्री है और अन्य दो स्नातक हैं। इन प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठानों में सैनिक सामान को अधिक महत्व दिया जाता है। इन प्रतिष्ठानों के लिये निदेशकों का चुनाव करते समय उनकी मूल शैक्षणिक योग्यता के बजाये उनके प्रशिक्षण तथा शस्त्रास्त्रों में उनके अनुभव पर अधिक बल दिया जाता है।

(घ) अनुसन्धान तथा विकास संस्थान के शस्त्रास्त्र प्रभाग में स्थायी रूप से रखे गये सैनिक अधिकारियों के लिये निर्धारित की गई योग्यता संलग्न विवरण में दी गई है। उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित दो स्नातकों ने टेक्निकल स्टाफ आफिसर्ज कोर्स भी पास किया हुआ है जहां उन्हें शस्त्रास्त्रों पर ऊंची शिक्षा मिली थी।

विवरण

शस्त्रास्त्र सैनिक अधिकारी	टी० एस० ओ० के कोर्स में अथवा समान शस्त्र विशेषज्ञता कोर्स में योग्यता प्राप्त की हो।
शस्त्रास्त्र नौसेना अधिकारी	इंजीनियरिंग अथवा बिजली विशेषज्ञता अथवा टी० एस० ओ० के कोर्स में डिग्री।
शस्त्रास्त्र वायु सेना अधिकारी	वे अधिकारी जिनके पास शस्त्रास्त्र अनुभव के साथ इंजीनियरिंग में डिग्री हो अथवा तकनीकी शस्त्रास्त्र अधिकारी के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव। वांछनीय: आई० ए० टी० में उच्च वायु शस्त्रास्त्र स्टाफ कोर्स किया हो अथवा विदेशों में तकनीकी कोर्स अथवा एथरोनाटिकल इंस्पेक्शन सर्विस कोर्स किया हो।

आकाशवाणी से राजनैतिक प्रसारणों सम्बन्धी संहिता

8184. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नाथनार :
श्री चक्रपाणि :
श्री एस्थोस :
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से राजनैतिक प्रसारणों सम्बन्धी संहिता बनाने के बारे में सभी मुख्य मन्त्रियों के विचार प्राप्त हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस संहिता को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) आकाशवाणी से प्रसारण सम्बन्धी संहिता के सम्बन्ध में, बिहार, मद्रास, जम्मू और कश्मीर तथा उड़ीसा के

मुख्य मन्त्रियों के अतिरिक्त, सभी मुख्य मन्त्रियों से विचार-विमर्श हुआ है। महत्वपूर्ण मर्यादाओं और निदेशों तथा उन मदों के बारे में बातचीत हुई जो प्रस्तावित संहिता में शामिल किए जाने हैं। इस अवस्था में बात-चीत का विषय बताना समय पूर्व होगा। काम सरल होने के स्थान पर इससे कठिनाइयां पैदा होंगी। जैसे ही इसको अन्तिम रूप दिया जायेगा सारी सूचना सदन के सम्मुख रख दी जायेगी। आशा है कि संहिता को अन्तिम रूप देने में अधिक समय नहीं लगेगा।

आकाशवाणी के समाचार वाचक (न्यूजरीडर)

8185. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री चक्रपाणि :
श्री नायनार :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री एस्थोस :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में नियुक्त एक समाचार वाचक अपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करके प्रेस सूचना विभाग के प्रतिरक्षा कक्ष द्वारा आयोजित एक प्रेस पार्टी में शामिल हुई थीं;

(ख) क्या इस कारण उसे नौकरी से हटा दिया गया था;

(ग) क्या वही समाचार वाचक उसी अवधि में जब कि वह आकाशवाणी में काम कर रही थी, विदेशों से सम्बन्धित एक न्यूज एजेन्सी के लिये भी काम कर रही थी;

(घ) क्या इसे फिर से नौकरी पर रख लिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) (ख) (ग) और (घ) सम्बन्धित समाचार वाचक 24 मई, 1967 से अंग्रेजी के समाचार बुलेटिनों को वाचने के लिये उस समय तक के लिये नैमित्तिक आर्टिस्ट के रूप में नौकरी पर रखी गई थी जब तक उसके स्थान पर नियमित रूप से किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर लिया जाता। एक नैमित्तिक आर्टिस्ट तब तक अन्य धन्धा करने के लिये स्वतन्त्र है जब तक उसके उस काम से आकाशवाणी के साथ किये गये करार में कोई बाधा नहीं पड़ती। इस मामले में, समाचार-वाचक ने एक बार उस उत्तरदायित्व को नहीं निभाया जो उसको सौंपा गया था, और उसकी इस असावधानी के कारण उसका नैमित्तिक करार 5 जून, 1967 को समाप्त कर दिया गया। बाद में सरकार को पता लगा कि वही समाचार-वाचक एक अन्य समाचार एजेन्सी में भी काम कर रही थी और उन्हीं की ओर से हैदराबाद रक्षा-समारोह के समाचार लेने के लिये वह एक प्रेस पार्टी में सम्मिलित हुई थी। इन त्रुटियों के कारणों का स्पष्टीकरण करने और क्षमा याचना के फलस्वरूप उसे एक पक्ष के लिये 12 जुलाई, 1967 से नैमित्तिक कर्मचारी के रूप में कार्य करने का एक अवसर और प्रदान किया गया, लेकिन उस करार की अवधि उसके दिल्ली छोड़ देने के कारण नहीं बढ़ाई गई।

प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान

8186. श्री नायनार : श्री एस्थोस :
श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री चक्रपाणि :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान द्वारा एक संस्था के रूप में पंजीकृत होने से अब तक बनाये गये सदस्यों के नाम क्या है;

(ख) उन संसद सदस्यों तथा उनके दलों के नाम क्या है, जिन्हें उस संस्था के सदस्य तथा शासी समिति के सदस्य बनने के लिये आमन्त्रित किया गया है; और

(ग) इस संस्थान के वर्तमान निदेशक को किन सेवा की शर्तों पर नियुक्त किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान द्वारा एक संस्था के रूप में पंजीकृत होने से अब तक बनाये गये सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं:—

(एक) श्री यशवन्तराव चव्हाण
(दो) श्री के० सी० पन्त
(तीन) श्री धर्मवीर
(चार) श्री लेफ्टिनेन्ट कर्नल महाराजा मानवेन्द्र शाह टिहरी गढ़वाल
(पांच) श्री डा० जे० एन० खोसला
(छः) श्री ए० डी० पंडित
(सात) श्री एल० के० झा
(आठ) श्री एस० भूतलिगम
(नौ) श्री बी० शिव राव
(दस) श्री नारायण दांडेकर
(ग्यारह) श्री पी० वी० आर० राव
(बारह) श्री एच० सी० सरीन
(तेरह) श्री जनरल जे० ए० चौधरी
(चौदह) श्री वी० शंकर ।

(ख) इस संस्थान द्वारा, जो कि एक पंजीकृत संस्था है, दी गई जानकारी के अनुसार किसी संसद सदस्य को संस्थान में शामिल होने के लिये निमन्त्रण नहीं दिया गया है ।

(ग) इस संस्था के वर्तमान निदेशक को नियुक्ति की निम्नलिखित शर्तें हैं:–

(एक) वेतन 2750/ रुपये जिसमें 2500-15/ 2750 के वेतनमान में 1211/ की पेन्शन भी शामिल है।

(दो) नगर प्रतिकर भत्ता 75 रुपये प्रतिमास की दर पर।

(तीन) संस्थान द्वारा अधिक से अधिक 900 रुपये प्रति मास की दर पर किराये पर लिये गये आवास स्थान के लिये किराया जिसमें शर्त यह है कि निदेशन को अपने वेतन का 10 प्रतिशत किराये के रूप में चुकाना होगा।

प्रेस परिषद में सेवा निवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति

8187. श्री चक्रपाणि :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री एस्थोस :
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस परिषद में कितने तथा किन-किन सेवा निवृत अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

(ख) प्रेस परिषद के अध्यक्ष तथा सचिव के वेतन तथा भत्तों पर अब तक कितना खर्च आया है; और

(ग) क्या प्रेस परिषद के सचिव को पत्रकार की मान्यता दी जाती है और उसे ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) दो।

श्री जे० आर० मदोलकर (सेवा निवृत न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय) प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं और श्री बी० मुखोपाध्याय (सेवा निवृत अधिकारी, केन्द्रीय सूचना सेवा) इसके सचिव।

(ख) अध्यक्ष पर 28,887 रुपये और सचिव पर लगभग 11,387 रुपये।

(ग) जी, नहीं।

प्रेस परिषद्

8188. श्री चक्रपाणि :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री एस्थोस :
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आनन्द बाजार हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड समाचार पत्र ग्रुप से सम्बन्धित दो व्यक्तियों को प्रथम प्रेस परिषद में लिया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह प्रेस परिषद् अधिनियम के विरुद्ध है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) यह सच है कि आनन्द बाजार हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड समाचार पत्र ग्रुप से सम्बन्धित दो व्यक्तियों को प्रेस परिषद में लिया गया है। उनमें से एक इन्डियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट के नामित श्री ए० सी० बनर्जी हैं और दूसरे प्रेस एशोसियेशन के नामित श्री सैलेन चटर्जी हैं।

प्रेस परिषद की धाराओं के अनुसार संसद सदस्यों के अलावा, परिषद के अन्य सदस्य एक समिति द्वारा नामजद किये जाते हैं, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधिपति, परिषद के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति नामित एक व्यक्ति, जो जब प्रेस परिषद बनी थी तो श्रीमती लक्ष्मी मैनन थी, होते हैं। चुनाव करते हुए, समिति ने प्रेस परिषद कानून की धाराओं और 'उचित ध्यान' (ड्यू रिगार्ड) शब्दों की व्याख्या को जरूर ध्यान में रखा होगा। धारा 4(4) के शब्दों की कठोर व्याख्या के अनुसार विशेष रूप उचित ध्यान (ड्यू रिगार्ड) शब्दों के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रेस परिषद कानून का उल्लंघन हुआ है।

अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन

8189. श्री चक्रपाणि :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री एस्थोस :
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अधिनियमों और कानूनों में 'श्रमजीवी पत्रकार' की परिभाषा क्या हैं।

(ख) क्या अखिल भारतीय समाचार सम्पादक सम्मेलन केवल श्रमजीवी पत्रकारों अथवा श्रमजीवी पत्रकार सम्पादकों की संस्था है।

(ग) अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन की स्थायी समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उनमें से कितने व्यक्ति समाचारपत्रों के प्रबन्ध स्वामित्व में हिस्सेदार हैं: और

(घ) सरकार ने किन कारणों से अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन को श्रमजीवी पत्रकारों की संस्था मानने तथा प्रेस परिषद से यह सिफारिश करने का निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) तक एक विवरण संलग्न है। (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 1346/67**)।

Wireless Transmitters and display of Photo of Indian Leaders in Indian missions Abroad

8190. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of Indian Embassies/Missions abroad which has not been provided with wireless transmitters and the reasons therefor ;

(b) whether it is a fact that in the offices of some of the Indian Embassies/Missions abroad, photos of the Indian President and the Prime Minister have not been displayed ; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) No Indian Mission abroad has been provided with wireless transmitter.

Forty-eight missions abroad has been provided with one-way teleprinter facility for receiving news transmissions from Headquarters .

Four missions have been equipped with two-way telex system .
The limiting factor is money.

(b) Official portraits of the President, only recently approved by him, are under despatch to our Missions/posts abroad . As far as the Prime Minister is concerned, only small size portraits have been supplied in deference to her own wishes in the matter.

(c) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में प्रतिरक्षा मंत्रालय के कब्जे में भूमि

8191. डा० रानेन सेन : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानागढ़, बर्दवान, पश्चिम बंगाल में बहुत से गांव अब भी उनके मंत्रालय के कब्जे में हैं और किसानों ने खेती करने के लिये उनकी भूमि वापस करने का सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : यह सच है कि पश्चिम बंगाल के वर्दवान जिले में पानागढ़ में प्रतिरक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में तथा उसके द्वारा अधिगृहीत बहुत भूमि है तथा उसको छुड़ाने के लिये प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं। तथापि अधिकतर क्षेत्र प्रतिरक्षा यूनिटों के कब्जे में है तथा उसके लिये चाहिए और हिदायतें पहले ही जारी की जा चुकी हैं कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से फालतू भूमि को छोड़ दिया जाये।

फिल्में बनाने वाली यूनिटें

8192. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री गा० शं० मिश्र : श्री न० कु० साल्वे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फिल्में बनाने वाली यूनिटें कितनी हैं ;

(ख) उनमें न्यूनतम और अधिकतम कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये बनाई जाने वाली फिल्मों का स्तर गिर गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने बड़ी तथा अच्छी आर्थिक स्थिति वाली फर्मों के गठन को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यवाही की है ताकि अच्छी किस्म की फिल्में बनाई जा सकें ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) फिल्म उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में आता है और अन्य संगठित उद्योगों के विपरीत कई एकक तदर्थ आधार पर फिल्म के बनाने के लिये स्थापित किये जाते हैं और बड़ी संख्या में, जब फिल्म पूरी हो जाती है या प्रदर्शित कर दी जाती है, बन्द हो जाते हैं। व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण यह सम्भव नहीं कि इनमें कितनी पूंजी लगी है, इसके बारे में विश्वस्नीय डाटा एकत्र किया जा सके ।

(ग) : फिल्म एक कला कृति है और विभिन्न दृष्टियों और स्तरों से इसका मूल्यांकन भी भिन्न होगा । फिल्म को निर्माण करने में कई बातों का प्रभाव पड़ता है । फिल्म निर्माण में लगे लोगों की योग्यता और दृष्टिकोणों में विभिन्नता होने और फिल्म उद्योग की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण कला की दृष्टि से फिल्में एक जैसी नहीं होती । फिर भी यह सभी मानते हैं कि भारतीय फिल्मों में तकनीकी दृष्टि से काफी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है और काफी फिल्मों ने देश और विदेश में पर्याप्त लोकप्रियता पाली है और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं ।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

डैजर्ट (मरुस्थल) डिवीजन

8193. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री दे० अमात :
श्री गु० च० नायक :
श्री य०अ० प्रसाद :
श्री देवकीनन्दन पाटौदिया :
श्री न० कु० सांघी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान की सीमाओं की रक्षा करने के लिये मउंटेन डिविजन की तरह का ही एक डैजर्ट डिविजन बनाने की सम्भावनाओं पर विचार किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही एक प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हमारी सेना के प्राशिक्षण तथा हथियारों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के भूप्रदेशों को ध्यान में रखा जाता है तथा जब कभी विशिष्ट कार्य की आवश्यकता होती है तो ऐसा यूनिट बनाया जाता है । राजस्थान सीमा के बारे में ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Visit by Indian Cheif of Naval Staff to Soviet Union

8194. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Defence be pleased to state :**

(a) whether the Indian Chief of Naval Staff visited the U. S S. R. recently; and

(b) if so, the details of the talks held by him with the Soviet authorities ?

The Minister of Defence (Sardar Swaran Singh) : (a) The Chief of the Naval Staff is at present on a goodwill visit to the Soviet Union in response to an invitation extended by the C-in-C of the USSR Navy.

(b) Question does not arise, it being a goodwill visit.

अन्तरिक्ष खोज

8195. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963 में, जब थुम्बा से भारत में बना पहलाराकेट छोड़ा गया था, तब अन्तरिक्ष खोज सम्बन्धी जिस कार्यक्रम की पहल की गई थी उसके बारे में अन्तरिक्ष अनुसंधान सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय समिति ने कितनी प्रगति की है ; और

(ख) अन्तरिक्ष खोज के लिये भारत में बने 'साउंडिंग रॉकेटों' के कब तक उपलब्ध होने की आशा है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्द्रा गांधी) : (क) नवम्बर, 1963 से, जब कि थुम्बा से पहला राकेट छोड़ा गया था, एयरोनामी के क्षेत्र में जिसमें आयनोस्फियर तथा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट और मौसम विज्ञान का अध्ययन शामिल है, अनुसंधान करने के लिये विभिन्न सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इस वैज्ञानिक खोज के कार्यक्रम की सहायता के लिये एक अन्तरिक्ष विज्ञान तथा टेक्नोलोजी केन्द्र थुम्बा के निकट स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) एक वर्ष से पहले ।

Asian News Agency

8196. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether he has received some suggestions regarding the information of an Asian News Agency ;

(b) if so, whether a meeting of the representatives of the news agencies of the Asian countries was also held recently in this connection; and

(c) the reaction of the Government in this regard?

Minister of information and Broad Casting (Shri K. K. Shah) (a) No, Sir, but informal discussions have taken place.

(b) & (c) Government have seen some press reports to the effect that a suggestion was mooted at a recent conference of the organisation of Asian News Agencies held in Tokyo to float an Asian News Agency. The initiative for setting up such an agency

would normally rest with the news agencies themselves and the question of extending **any** facility etc. by the Government would considered as and when a request is received.

चीन के 'पीपल्ज डैली' नामक समाचारपत्र में लेख

8197. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री राम किशन गुप्त :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'न्यूचाइना न्यूज एजन्सी' द्वारा वितरित 'पीपल्ज डैली' नामक समाचार पत्र के उस लेख की ओर दिलाया गया है, जिसमें भारतीय जनता से आह्वान किया गया है कि वह खाद्य, तथा कपड़े सम्बन्धी अपनी समस्याओं को हल करने के लिये राजनैतिक सत्ता को हथियालें और उस लेख में जनता को यह उपदेश भी दिया गया है कि जनता अपनी क्रान्ति में सफलता प्राप्त करने के लिये चीन के चेयरमैन माओ-त्सेतुंग के उप देशों को अपनाये; और

(ख) भारत में और विदेशों में ऐसे भारत विरोधी प्रचार करने वाले लेखों के परि-चालन को रोकने तथा चीनी समाचारपत्रों और रेडियो द्वारा किये जाने वाले ऐसे भारत-विरोधी प्रचार एवं प्रसार का खण्डन करने और उसके प्रभाव को नष्ट करने के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) भारत के विरुद्ध न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी के प्रोपेगन्डा का प्रसार करने की अनु-मति नहीं है। भारतीय मिशन विदेशों में चीन द्वारा ऐसे भारत विरोधी प्रचार का प्रतिकार अखबारों के प्रतिनिधियों और उसी देश में प्रत्यापित अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को सही स्थिति समझाकर करते हैं।

पाकिस्तान में छपा भारत-विरोधी साहित्य

8199. श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन उर्दू में भारत-विरोधी साहित्य पाकिस्तान में छपा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार और चीन सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनसे क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं ?

वैदेशिक-कार्य (श्री मु० क० चागला) : (क) : सरकार ने पाकिस्तान में माओ की किताबों के उर्दू रूपान्तर के प्रकाशन के बारे में खबरें देख ली हैं।

(ख) : जी नहीं ।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में अमरीकी सैनिक सप्लाई मिशन

8200. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अमरीका अपना सैनिक मिशन बनाये हुए है हालांकि यह घोषणा की गई थी कि । जुलाई 1967 से उक्त मिशन बन्द कर दिया जायेगा ; और

(ख) इस मामले कि वर्तमान स्थिति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : भारत में अमरीकी सैनिक सप्लाई मिशन 1 जुलाई 1967 से बंद हो गया है । लेकिन, अमरीकी कर्मचारियों को अभी कुछ काम पूरा करना है जो मुख्यरूप से सितंबर 1965 से पहले अमरीका द्वारा भारत को अनुदान के आधार पर दिए गये सैनिक उपकरणों से सम्बन्द्ध है । इस सम्बध में जिन प्रबन्धों की आवश्यकता हो सकती होगी, उन पर, और अमरीका से सैनिक चीजों की सप्लाई की हमारी भावी मांगों पर विचार करने के लिए जो प्रबन्ध आवश्क होंगे उन पर आजकल भारत सरकार और अमरीकी सरकार के बीच बातचीत चल रही है ।

पालम हवाई अड्डे पर पकड़ा गया चीनी साहित्य

8201.. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री सीता राम केसरी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री देवव्रत बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के चार चीनी कर्मचारी 25 जुलाई, 1967 को करांची से नई दिल्ली आते हुए अपने साथ भारी मात्रा में माओ के विचारों से सम्बन्धित चीनी साहित्य लाये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों को अपने निजी सामान की जांच कराने से रोक दिया था ; और

(ग) भारतीय कानून को इस तरीके से अवहेलना करने की चीनी दूतावास के कर्मचारियों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जांच करने पर चुंगी अधिकारियों को पता चला कि उनके निजी असबाब में चीनी राजनीतिक प्रचार के कुछ पैम्पलेट और पुस्तकें थी ।

(ख) : जी नहीं। लेकिन उन्होंने जांच से उन्मुक्ति पाने का दावा करते हुए अपने निजी असबाब की चुंगी जांच करने के खिलाफ विरोध प्रकट किया उन्हें यह बताया गया कि चीनी दूतावास के गैर -राजनयिक सदस्यों के नाते उनका सामान चुंगी जांच से मुक्त नहीं था।

(ग) इस घटना के तुरन्त बाद हमारे कानूनों के अनुसार, विदेशी मिशनों के अ-राजनियक अमले के अधिकारों और उन्मुक्तियों के बारे में सही स्थिती चीनी कार्यनायक को समझ गई ताकि गलत फहमी की कोई गुंजाइश न रह पाए। उसे जोर देकर यह बताया गया कि हमारे कानूनों का कठोरता से पालन करना आवश्यक है।

नेपाल में लगी हुई भारतीय पूंजी

8202. श्री शिव चन्द्र झा : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में लगी हुई भारतीय पूंजी का हाल ही में नेपाल सरकार ने राष्ट्रीय करण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) नेपाल में कुल कितनी भारतीय पूंजी लगी हुई है तथा किन किन मदों में। और

(घ) इस पूंजी विनियोजन से भारत को कितना वार्षिक लाभ होता है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला : (क) और (ख) : जैसा कि इस सदन में 31 जुलाई, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 7369 के उत्तर में बताया गया है नेपाल के महामहिम की सरकार ने एक औद्योगिक संस्थान ले लिया है और नेशनल इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा एक संस्थान ले लिए जाने की संभावना है। ये घटनाएं सम्बंद्ध फर्मों और नेपाल के महामहिम की सरकार और/अथवा नेपाल इन्डस्ट्रीयल डैवेलपमेंट कारपोरेशन के बीच हुए वाणिज्यिक और वित्तीय प्रबन्धों तथा किए गए वायदों का परिणाम है प्राथमिक तौर पर भारत सरकार का इस मामले से सरोकार नहीं है।

(ग) भारत से नेपाल को धन का भेजना और वहां से मंगाने पर प्राचीन काल से कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह के विनियोगों का कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नियम 40 के अन्तर्गत प्रश्न

QUESTION UNDER RULE 40.

तीसरी लोक–सभा की प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

5. श्री मधु लिमये : क्या प्राक्कलन समिति के सभापति यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राक्कलन समिति ने तीसरी लोक-सभा में कुल कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ;

(ख) सरकार ने कितने प्रतिवेदनों के संबंध में उसके द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्टें प्राक्कलन समिति को भेजीं ;

(ग) प्राक्कलन समिति ने ऐसी कितनी रिपोर्टों पर विचार किया है ;

(घ)क्या इन समीक्षाओं से प्राक्कलन समिति और सरकार के बीच कुछ बातों पर होने का पता चला है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है ?

प्राक्कलन समिति के सभापति : (क) 113 प्रतिवेदन इनमें से 58 मूल प्रतिवेदन थे ।

(ख) उपर्युक्त 58 प्रतिवेदनों में से 45 ।

(ग) 58 मूल प्रतिवेदनों में से 10 प्रतिवेदन सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से सम्बन्ध रखते थे और इसलिये वे उस समिति को हस्तांतरित हो गये हैं । शेष 48 प्रतिवेदनों का व्यौरा इस प्रकार है:

(एक)	31 जुलाई, 1967 तक प्रस्तुत किये गये की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदनों की संख्या	13
(दो)	31 जुलाई, 1967 को समिति के विचाराधीन प्रतिवेदनों की संख्या	26
(तीन)	उन प्रतिवेदनों की संख्या, जिनके बारे में आंशिक उत्तर प्राप्त हो चुके हैं	6
(चार)	उन प्रतिवेदनों की संख्या जिनके बारे में अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है	1
	(22) अप्रैल, 1966 को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन संख्या (107)	
(पांच)	उन प्रतिवेदनों की संख्या जिनके बारे में की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदनों की आवश्यकता नहीं है	2
	अनुदानों मांगों केप्रपत्र और उनकी विषयवस्तु के पुनरीक्षण के बारे में प्रतिवेदन संख्या 11 और 42)	
	योग	48

(घ) और) (ङ) : की गई कार्यवाही सम्बन्धी 13 प्रतिवेदन, जो सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, कुल 715 सिफारिशों के बारे में केवल 27 सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में जो कुछ सिफारिशों का 3.8 प्रतिशत है: प्राक्कलन समिति का सरकार से मतभेद है । मत भेद निम्नलिखीत प्रतिवेदनों के चौथे अध्यायों में बताये गये हैं :

प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तुत किये जाने की तिथी
84 वां	25-11-1966
85 वां	25-11-1966
86 वां	22-9-1965
87 वां	7-12-1965

88 वां	10-12-1965
89 वां	9-3-1966
90 वां	9-3-1966
109 वां	29-11-1966
110 वां	1-12-1966
111 वां	2-12-1966

शेष प्रतिवेदनों, अर्थात तीसरी लोक-सभा को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन संख्या 108 कौर 113 तथा चौथी लोक-सभा को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन संख्या 7 के बारे में प्राक्कलन समिति और सरकार में कोई मतभेद नहीं था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

प्रधान मन्त्री के निवास–स्थान पर पुलिस द्वारा कुछ संसद-सदस्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार

श्री श्रीधरन (बडागरा) : मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"प्रधान मन्त्री के निवास स्थान पर पुलिस द्वारा संसद-सदस्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार"

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि केरल को चावल की सप्लाई बढ़ाने की मांग पर आग्रह करने के लिये दिनांक 29 जुलाई, 1967 को प्रधान मंत्री के निवास-स्थान पर केरल के कुछ संसद सदस्य और कुछ अन्य व्यक्ति धरना देना चाहते थे। इसलिए दिल्ली प्रशासन ने सड़क पर यातायात की बाधा को रोकने और प्रधान मन्त्री के निवास-स्थान के फाटक पर गलत निर्बन्धन और निरोध के कानूनी अपराधों को रोकने के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये। तदनुसार, 29 जुलाई को लगभग 200 पुलिस कर्मचारी सफदरजंग मार्ग पर प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने तैनात किये गये। पुलिस कर्मचारियों के पास हथियार नहीं थे। 45-50 व्यक्तियों का एक जुलूस लगभग 8-15 बजे सबेरे प्रधान मन्त्री के निवास स्थान पर पहुंचा, जिसमें 75 संसद-सदस्य थे।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का घेरा तोड़ने का प्रयत्न किया किन्तु उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। फिर संसद सदस्य प्रधान मन्त्री के निवास-स्थान के सामने सड़क को रोक कर बैठ गये। अतः उस सड़क के यातायात को दूसरी ओर मोड़ना पड़ा। सुबह 9 बजकर 15 मिनट के आसपास लगभग 100 अन्य व्यक्ति भी इकट्ठे हुए और उन्होंने धरना देते

हुए संसद सदस्यों में शामिल होने का प्रयत्न किया। पुलिस ने उन्हें सड़क की दूसरी ओर ही रोके रखा। 11 बजकर 10 मिनट तथा 11 बजकर 45 मिनट के आसपास पुलिस का घेरा तोड़ने की दो कोशिशें की गई। एक बार की कोशिश में संसद सदस्यों का एक दल प्रधान मन्त्री के निवास के एक फाटक से मोटर गाडियों आदि का आना जाना रोकने में सफल हुआ। चूंकि दूसरे फाटक से प्रधान मन्त्री के निवास में आना जाना हो सकता था इसलिये पुलिस ने संसद सदस्यों को वहां से हटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया हालांकि यह गैरकानूनी कार्य था।

30 जुलाई, 1967 को एक और छोटा जुलूस 10 बजकर 10 मिनट पर प्रधान मन्त्री के निवास स्थान पर पहुँचा। इस जुलूस ने पुलिस का घेरा तोड़ने का प्रयत्न किया किन्तु इसे भी ऐसा नहीं करने दिया गया। प्रदर्शनकारी सड़क पर धरना देकर बैठे रहे। धरना देने वाले संसद सदस्यों ने 12 बजे दोपहर के आसपास अपना धरना समाप्त किया।

प्रधान मन्त्री संसद सदस्यों से मिलने और उनसे बातचीत करने के लिये उत्सुक थीं। वास्तव में उन्होंने 29 तथा 30 जुलाई को ऐसा ही किया। यदि कोई संसद सदस्य अथवा अन्य कुछ सदस्यों के साथ प्रधान मन्त्री से मिलना चाहते तो यह सब व्यवस्था पूर्णतया अनावश्यक होती। ऐसी स्थिति में भी हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल प्रधान मन्त्री के निवास के फाटकों को बन्द करने अथवा आने जाने में बाधा डालने से रोकने के लिये ही ऐसा किया गया था।

श्री श्रीधरन (बडागरा) : गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किया है और इस प्रकार उन्होंने संसदीय विशेषाधिकार के कानून का उल्लंघन किया है। 30 जुलाई, 1967 के 'स्टेटसमैन' में इस आशय का समाचार छपा है कि प्रधान मन्त्री ने संसद-सदस्यों को प्रधान मन्त्री निवास के अन्दर आने से रोके जाने के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया है।

गृह मन्त्री के लिये यह कहना ठीक नहीं है कि प्रधान मन्त्री निवास के बाहर 50 पुलिस वाले थे जबकि हमने वहां पर यह देखा कि 500 पुलिस वाले 15 संसद सदस्यों को रोक रहे थे। वे हमारे साथ हाथापाई करते हुए हमें अपमानित कर रहे थे। उन्होंने श्री अ० कु० गोपालन का भी घेराव किया जो अलग एक पेड़ के नीचे बैठे हुये थे। क्या सरकार इस मामले की जांच करने के लिये संसदीय समिति नियुक्त करेगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (गृह-कार्य मन्त्री) : जांच करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता मैंने तथ्यों को ठीक-ठीक पेश किया है।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या किसी मन्त्री के लिये यह उपयुक्त है कि यह घटनास्थल पर स्वयं उपस्थित न होते हुए भी प्राप्त समाचारों के अनुसार ही यह कहें कि इस सदन के एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर दिया गया विवरण गलत है ?

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मंत्री को प्राप्त समाचारों पर ही निर्भर रहना होता है।

श्री वासुदेव नायर (पीरमाडे) : महोदय आप स्वयं भी हम से मिलने के लिये सड़क पर आये किन्तु मंत्री महोदय ने यह देखने की परवाह नहीं की कि वहां पर क्या कुछ हुआ।

प्रधानमंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्य ने एक समाचार पत्र को उद्धृत किया है। मैंने श्री गोपालन तथा दूसरे माननीय सदस्यों से यह कहा था कि यदि पुलिस ने उन्हें तंग किया हो तो इसका मुझे खेद है। मैं नहीं चाहती थी कि पुलिस उन्हें तंग करे। मैंने यह नहीं कहा कि पुलिस को उन्हें अन्दर आने देना चाहिये था। मैंने पहले पुलिस कर्मचारियों से कहलवाया था कि वे मेरे निवास स्थान पर आकर मुझसे मिल सकते हैं और मैं भी बाहर जाकर उनसे मिल सकती हूँ। किन्तु उनका उत्तर मिला कि "हम उनसे संसद भवन में हर रोज मिलते हैं। यहां हम उन्हें नहीं मिलना चाहते। हम केवल चावल की मांग करने आए हैं।" मैंने फिर भी बाहर आकर उनसे बातचीत की।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस सभा के कुछ सदस्य प्रधान मन्त्री निवास पर ही प्रधान मन्त्री को घेरने के इरादे से गये थे। यह प्रत्यक्षतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 के अधीन हस्तक्षेप अपराध ही नहीं है अपितु विशेषाधिकार का उल्लंघन भी है। अतः इसे विशेषाधिकार भंग का मामला समझा जाये।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार के प्रश्न मेरे पास लिखित रूप में आने चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस ने कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की ? हमारे माननीय सहयोगी श्री अदीचन तथा श्री एस्थोस के साथ हाथपाई की गई, उनके फोटो समाचार पत्रों में छपे। इस प्रकार सभा के सदस्यों का अपमान हुआ है। इस प्रकार के पशुवत् व्यवहार और हाथपाई करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पुलिस ने अपने कर्तव्य का पालन किया और इसमें जानबूझकर अपमान करने की जैसी कोई बात नहीं है।

Shri A. B. Bajpayee (Balrampur) : I would like to know as to when the hon. Home Minister was informed that the Members of Parliament intend to gherao the residence of the Prime Minister. If he knew all this beforehand why did he not impose section 144 in that area ? Is it the way of dealing with the Members of Parliament who happen to stage a 'dharna' in front of the house of Prime Minister ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने बड़ा विचित्र तर्क दिया है। यदि मैं धारा 144 का प्रयोग करता तो मुझसे पूछा जाता कि ऐसा क्यों किया गया है। मैं भी पूछना चाहता हूं कि मांगों को मनवाने के लिये धरना देने के अतिरिक्त क्या कोई और तरीका नहीं है ? धरना देने से लोगों के आने जाने और कार्य करने में रुकावट पड़ती है और इसलिये आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ी।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1)

श्री के० के० शाह (सूचना तथा प्रसारण मंत्री) मैं भारत में समाचार पत्रों के बारे में भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के 1966 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1342/67]**

लोक-लेखा समिति
RULES ACCOUNTS COMMITTEE

दूसरा तथा तीसरा प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ :-

(एक) राजस्व स्थिति, सीमा शुल्क तथा संघीय उत्पादन शुल्क के विषय में राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966 के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(दो) आयकर तथा अन्य राजस्व प्राप्तियों के विषय में राजस्व सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966 के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

स्थगन प्रस्ताव तथा विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)
Re : MOTION FOR ADJOURNMENT AND QUESTION OF PRIVILEGE (QUERY)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : गोदी कर्मचारियों की हड़ताल सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव तथा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में दिये गये वक्तव्य पर रखे गये विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में आपने जो निदेश दिया है मुझे उसकी ठीक-ठीक जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रस्ताव के बारे में मंत्री महोदय वक्तव्य देने वाले हैं। समय नियत हो जाने पर मैं सभा को इस सम्बन्ध में सूचित करूंगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I raised the issue of privilege regarding Viren Shah. The matter has been lying with you for the last 8-10 days. How long shall we wait ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री वक्तव्य देने वाले हैं ।

श्री कण्डप्पन (मैट्टूर) : मेरे नाम से आज के लिये कार्यसूची में दर्ज आधे घण्टे की चर्चा को कब ले लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि इसे कब ले लिया जा सकता है ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Has any date been fixed for discussion on the motion regarding dearness allowance for Central Government servants?

वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 के लिये अनूसूचित जाति तथा आदिम जाति आयुक्त के चौदहवें और पन्द्रहवें प्रतिवेदनों सम्बन्धी प्रस्ताव (जारी)

MOTION RE : FOURTEENTH AND FIFTEENTH REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1964-65 AND 1965-66 (Contd).

अध्यक्ष महोदय : अब अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदनों पर चर्चा होगी । हम पांच बजे तक इसे समाप्त कर सकेंगे और उसके बाद खाद्य स्थिति पर चर्चा हो सकेगी । मंत्री महोदय चार या सवा चार बजे तक बुला लिये जायेंगे ।

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : यह प्रतिवेदन एक निराशाजनक और दोषपूर्ण दस्तावेज है । सरकार इसे जो महत्व देती है इसका अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 1964–65 का प्रतिवेदन चर्चा के लिये अब पेश किया गया है जबकि 1963–64 के प्रतिवेदन पर पिछले वर्ष तीसरी लोक-सभा में चर्चा भी समाप्त नहीं हो सकी थी ।

यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद यह कहा जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को दिये गये संवैधानिक संरक्षणों को महत्व नहीं दिया गया है तो इससे दस्तावेज में ही उल्लिखित बातों का महत्व बढ़ जाता है । प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के मंत्रालय में भी अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को रोजगार की पर्याप्त सुविधायें नहीं दी जाती हैं । अन्य बहुत से सरकारी उपक्रमों में भी इन लोगों को रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं होती है ।

इस सम्बन्ध में हमें अवसर की समानता के पाश्चात्य सिद्धान्त की नकल नहीं करनी चाहिये । आवश्यक हो तो संविधान में इस आशय का संशोधन किया जाना चाहिये कि जो लोग सदियों तक हमारे समाज की प्रमुख धारा से अलग रखे गये हैं और जिन्हें जाति सम्बन्धी कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं, उन्हें कुछ अधिक अवसर दिये जायें । इस दिशा में कुछ मौलिक कदम उठाये जाने चाहिये । अन्तर्जातीय खान-पान तथा विवाह आदि को प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

यद्यपि संविधान में नाई, लोहार, बढ़ई आदि जैसे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये एक आयोग की नियुक्ति का उपबन्ध किया गया है तथापि इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है ।

कांग्रेस सरकार के 51 मंत्रियों में से केवल दो ही अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि अवसर की समानता के अनुसार कम से कम 10 मंत्री अनुसूचित जातियों के होने चाहिये ।

श्री कं० हाल्दर (मथुरापुर) : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन से पता चलता है कि केन्द्र, राज्यों तथा संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों ने उन लोगों की अवहेलना की है जिनके लिये संविधान में संरक्षण की व्यवस्था है । तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी उन लोगों के लिये नियत स्थानों में से आधे स्थान भी नहीं भरे गये । प्रतिवेदनों में इस तर्क का खंडन किया गया है कि उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण ऐसा हुआ है । सरकार का रवैया समस्त देश के लिये और विशेषकर मजदूरों तथा किसानों के लिये हितकर नहीं है ।

यदि ऐसे बड़े क्षेत्र, जहां खेती नहीं की जाती है, अनुसूचित जाति के लोगों को दिये जायें तो देश में अनाज की कमी नहीं रहेगी ।

गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को नाजायज दबाया जाता है । सेवाओं में उनके साथ भेद-भाव किया जाता है । यदि यह भेद-भाव समाप्त नहीं किया गया तो देश का भविष्य अन्धकारमय रहेगा ।

पश्चिम बंगाल के सर्वोदय नेता ने मुझे बताया था कि नक्सलबारी में जो कुछ हो रहा है वह केवल भूमि समस्या के ही कारण है, भूमि समस्या हल होने से वहां के किसानों का आन्दोलन बन्द हो जायेगा । परन्तु सरकार तो केवल अन्य राजनीतिक दलों पर दोषारोपण ही करती है, जो कार्य उसे करना चाहिए वह नहीं किया जा रहा । लाखों आदिवासियों के हितों की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही । मध्य प्रदेश के लगभग 15120 वर्ग मील वाले बस्तर के इलाके में 75 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है, वहां आदिवासियों को उनकी भूमि से निकाला जा रहा है । सरकार किसानों और श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने की परवाह नहीं कर रही और उनके आन्दोलन को अवैध तरीकों से दबाया जा रहा है । केवल चर्चा से खाद्य समस्या हल नहीं होगी । किसानों और श्रमिकों के हितों की ओर ध्यान दिये बिना न तो खाद्य उत्पादन बढ़ेगा और न औद्योगिक उत्पादन ही । 1941 के अकाल में बंगाल में लाखों लोग मारे गये थे और आज स्वतंत्रता के बीस वर्ष बाद भी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में वही बात होने जा रही है । कलकत्ता में चावल 120 रुपये मन बिक रहा है । पीड़ितों की दशा में सुधार हुए बिना देश की प्रगति सम्भव नहीं है । अतः मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से एक उद्धरण प्रस्तुत करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ :—

तुमि मारे नीचे फेल से तोमारे बांधिवे ये नीचे ।
पश्चाते रे पेछ यारे से तोमारे पश्चाते तानिछे ।।

श्री गणेश (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह) : आज कदाचित् अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें जातिवाद एवं जाति सम्बन्धी भेद-भाव की कोई समस्या नहीं है। वहां बसाये गये अपराधी व्यक्तियों का एक ऐसा समाज बन गया है जिसमें विभिन्न भाषा-भाषी व्यक्ति आपस में घुल-मिलकर एक हो गये हैं। पश्चिम बंगाल से जाकर बसे व्यक्ति भी, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों के हैं, उनमें मिल जुल गये हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी रियायतें उन्हें मिलती हैं क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से सारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

परन्तु मुझे वहां के मूल आदिवासियों के पक्ष में कुछ कहना है जो कि हजारों वर्षों से वहां रहते चले आ रहे हैं। बड़े ही दुःख की बात है कि वह जन-जाति अब समाप्त होती जा रही है। उनमें से एक आदिम जाति के जिसे अन्दमानी कहा जाता है लोगों की संख्या केवल 27 ही रह गयी है और वे लोग घने जंगलों में रहते हैं। यदि वहां के मूल आदिवासियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कुछ न किया तो यह एक बहुत बुरी बात होगी। क्योंकि वे लोग अपनी समस्या के प्रति आवाज नहीं उठा सके हैं, भारतीय समाज के उस अंश की उपेक्षा की गयी है और उनकी समस्या से शेष भारतीय जनता को अवगत नहीं कराया गया है। गृह-मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे उन लोगों के संरक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था करें।

सुमात्रा में लगभग 75 मील की दूरी पर स्थित निकोबार द्वीप-समूह सामरिक महत्व के द्वीप हैं। यहां की आदिम जाति के लोग अन्दमानियों की अपेक्षा फलते-फूलते, बुद्धिमान, आत्म-गौरव की भावना से मुक्त और स्वतंत्रता प्रेमी हों। यह तो सही है कि सरकार ने उनकी उन्नति पर पर्याप्त ध्यान दिया है परन्तु निम्न प्रशासनिक स्तर पर उन लोगों पर सन्देह किया जाता है क्योंकि वे ईसाई हो गये हैं। मैं यह आश्वासन देता हूँ कि वे लोग बड़े देशभक्त हैं और यह बताता हूं कि निम्न प्रशासनिक स्तर पर उनके स्वातंत्र्य-प्रेम की भावना पर सन्देह करना और उन्हें देशभक्त नागरिक के रूप में स्वीकार न करना अच्छी बात नहीं होगी।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे तक म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

श्री गणेश : निकोबारी लोग आदिमकालीन लोकतंत्रीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके सामूहिक और व्यक्तिगत बागान हैं और ग्राम-स्तर पर सहकारी समितियां है। नारियल और सुपारी को वे उपभोक्ता वस्तुओं के विनिमय के लिए उपयोग करते हैं। उन्होंने कार-निकोबार द्वीप-समूह में सरकार द्वारा नियुक्त व्यापारी से अपने हाथों में व्यापार ले लिया है

और अन्य स्थानों पर ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन लोगों को एक उन्नत समाज का रूप देना सरल है और उन पर किसी प्रकार का दबाव डालना उचित नहीं होगा।

निकोबारी भाषा अभी तक बातचीत की भाषा है और निकोबारी लोगों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उस भाषा का विकसित करने का उत्तरदायित्व हमारा है।

निकोबार द्वीप-समूह रबड़ के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त हैं और सरकार को बाहर से लोगों को भेज कर वहाँ बस्तियां बसानी चाहिए जिससे उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, परन्तु ऐसा करते समय निकोबारी लोगों की आवश्यकताओं का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए और उनसे परामर्श लेकर ही निर्णय लिये जाने चाहिए।

वे लोग बड़े भावुक हैं और इसलिए वहां पर ऐसे अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए जो उनकी भावनाओं को समझें और उनका आदर करें और जिन्हें आदिमकालीन समाज को उन्नत समाज का रूप देने की विधि का ज्ञान हो।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : संविधान के अनुच्छेद 335 में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन पदों पर नियुक्तियां करते समय, यह देखते हुए कि प्रशासन में कार्य-क्षमता बनी रहे, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के हितों का ध्यान रखा जायेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था है। भारत सरकार और राज्य सरकारें इन उपबन्धों का पालन कर रही है।

सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाते हैं। जहां सीधी और खुली भर्ती नहीं होती वहां अनुसूचित जातियों के आरक्षण $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ाकर $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत कर दिया जाता है। जिस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में अधिक होती है वहां जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से स्थान आरक्षित किये जाते हैं।

पदोन्नतियों के मामले में भी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान आरक्षित किये जाते हैं। यद्यपि केन्द्रीय सरकार के वर्ग 1 और वर्ग 2 में पदोन्नति के लिए स्थान आरक्षित नहीं किये जाते फिर भी कुल मिलाकर स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी है।

श्री छ० म० केदरिया : $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और 5 प्रतिशत के हिसाब से कितने स्थान आरक्षित किये गये हैं और वास्तव में इन वर्गों के कितने व्यक्ति उन पदों पर इस समय कार्य कर रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसके आंकड़े बहुत सारे हैं जो विभिन्न प्रतिवेदनों में पहले ही दिये जा चुके हैं।

पहले सभी वर्गों के पदों के लिए केवल विभागीय परीक्षा द्वारा ही पदोन्नति के लिए स्थान आरक्षित किये जाते थे। अब वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों के मामले में उनके लिए विभागीय

परीक्षा के बिना भी पदोन्नति के लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई हैं। पहले की अपेक्षा यह सुधार स्थिति में हुआ है।

आयुक्त ने सुझाव दिया है कि श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों में स्थान आरक्षित करने के प्रश्न पर विचार किया जाये। इस सम्बन्ध में कुछ लेख-याचिकायें उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हैं, अतः इस समय इसके गुण-दोषों पर विचार नहीं किया जा सकता। स्थिति स्पष्ट होने पर ऐसा निर्णय लिया जायेगा जिससे सभी सन्तुष्ट रहें।

अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों को लोक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए और भी कुछ रियायतें दी गई हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि आरक्षित स्थान यदि किसी कारणवश किसी वर्ष न भरे जा सकें तो वे आगामी दो वर्षों में भी आरक्षित रखे जायेंगे जिससे कि उस अवधि में यदि अधिक उम्मीदवार मिलें तो उन स्थानों पर नियुक्त किये जा सकें, बशर्ते कि 45 प्रतिशत रिक्त स्थान आरक्षित कोटा में से हों, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार अपेक्षित है। दूसरी रियायत यह है कि यदि कोई मंत्रालय किसी कारणवश किसी स्थान का आरक्षण समाप्त कर उस पर किसी सामान्य उम्मीदवार को नियुक्त करना चाहे तो ऐसा करने से पूर्व उसे गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी।

एक और व्यवस्था यह है कि यदि कोई मंत्रालय पदोन्नति के मामले में किसी अनुसूचित जाति या आदिम जाति के कर्मचारी का अधिक्रमण करना चाहे तो इसके लिए उसे जनता के प्रतिनिधि अपने मंत्री से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह व्यवस्था श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों के लिए है। श्रेणी 3 और 4 के पदों के मामले में एक महीने के अन्दर-अन्दर मंत्री को सूचना देनी होगी और मंत्री यदि चाहे तो उस मामले पर पुनर्विचार कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उसे ठीक कर सकेगा।

आयु के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के व्यक्तियों को पांच वर्ष की रियायत दी जाती है। उम्मीदवारों की उपयुक्तता के स्तर के बारे में भी कुछ छूट देने की व्यवस्था है जिससे कि आरक्षित स्थान यथासम्भव भरे जा सकें। इन लोगों को फीस में भी रियायतें दी जाती हैं और इण्टरव्यू में आने के लिए यात्रा भत्ता भी दिया जाता है।

रिक्त स्थानों और सम्भावित रिक्त स्थानों के बारे में, समाचारपत्रों में विज्ञापन देने के अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं को समय-समय पर सूचना भेजी जाती है।

विभिन्न मंत्रालय समय-समय पर गृह-कार्य मंत्रालय को वार्षिक विवरण भेजते हैं जिससे कि यह देखा जा सके कि ये रियायतें और सुविधायें उन लोगों को ठीक-ठीक दी जा रही हैं। इस पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक मंत्रालय और विभाग में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

आरक्षित स्थानों को भरने में कठिनाई होती रही है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के मामले में इन जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं अन्य रियायतें दी गई पर उससे भी

समस्या हल न हुई । अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के उम्मीदवार प्रतियोगिताओं में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें इसके सम्बन्ध में भी अपने सीमित साधनों के अन्दर हमने कारगर कार्यवाही की है ।

भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा में हमें 1962-1963 तक अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार न मिल सके जिनसे पूरे आरक्षित स्थानों को भरा जा सकता । अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिए इलाहाबाद और मद्रास में निःशुल्क परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये और इसी के परिणामस्वरूप 1963 के बाद इन सेवाओं में सभी आरक्षित स्थानों को भरा जा सका है । यही इन वर्गों के सभी उम्मीदवारों को ये सुविधायें दी जाती रहे तो आरक्षित स्थानों पर इनकी भर्ती की समस्या नहीं रहेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सांविधिक निगमों अथवा कम्पनियों से यह निवेदन किया गया है कि वे भी इस मामले में सरकार का ही अनुसरण करें । 169 में से 117 निगमों और कम्पनियों ने हमारी सिफारिश मान ली है और तदनुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी है । अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों की सिफारिश को स्वीकार करते हुए हम शेष निगमों और कम्पनियों से बातचीत कर रहे हैं कि वे भी ऐसा ही करना आरम्भ कर दें । इतना ही नहीं, गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में भी हम औद्योगिक विकास मंत्रालय के माध्यम से यह प्रयत्न कर रहे हैं कि वे भी सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की तरह अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के उम्मीदवारों को सुविधायें देना प्रारम्भ कर दें ।

न्यायाधीशों के पदों के बारे में स्थान आरक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

मैं सदस्यों की इस बात से सहमत हूँ कि राज्यपाल द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें कोई बहुत उपयोगी नहीं हैं और उनमें काफी सुधार किया जा सकता है, जिसके लिए प्रयत्न किया जायेगा । इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ लिखा पढ़ी की जा रही है जिससे कि ये रिपोर्टें समय पर तो प्राप्त हों ही, साथ ही अधिक उपयोगी भी सिद्ध हों ।

यह आलोचना भी कुछ ठीक है कि संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त की गई आदिम जाति सलाहकार परिषदें ठीक कार्य नहीं कर रही हैं । हम इस मामले को विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उठायेंगे ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने 1963-64 की अपनी रिपोर्ट को यह सिफारिश की है कि इन वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्ति के कार्यों में तीव्रता लाई जाये जिससे सभी आरक्षित स्थान भरे जा सकें । मैं बता चुका हूँ कि इस सम्बन्ध में हम कार्यवाही कर ही रहे हैं । आयुक्त ने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक अवसर पर आरक्षण करने के स्थान पर वार्षिक आरक्षण किया जाये । हमने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और आवश्यक हिदायतें दे दी गयी हैं । आयुक्त ने यह भी सिफारिश की है कि स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति आदि द्वारा भरे जाने वाले पदों में इन लोगों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में अनुच्छेद 335 और 320(4) का सही अर्थ निकाल कर उस पर अमल किया जाये । यह

सिफारिश भी स्वीकार कर ली गई है और विधि मंत्रालय के परामर्श में हम इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं। एक सिफारिश यह भी है कि सरकारी उपक्रमों में गैर-तकनीकी पदों और तकनीकी पदों में भी इन लोगों को भर्ती नहीं किया जाये, उनकी भर्ती के लिए व्यवस्था की जाये। इस मामले में सरकारी उपक्रमों से बातचीत की जायेगी। आयुक्त ने यह सिफारिश भी की है कि प्रशासकीय निरीक्षण रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से दिखाया जाये कि आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में भी आवश्यक हिदायतें दे दी गई हैं। आयुक्त द्वारा की गई एक सिफारिश यह भी है कि श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में पदोन्नति के लिए भी स्थान आरक्षित किये जायें। मैं बता चुका हूं कि उच्च न्यायालय के सामने यह मामला विचाराधीन है और उसके बाद ही हम यह निर्णय करेंगे कि क्या किया जाये। यह भी सिफारिश की गई है कि आई० ए० एस० के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा पाठ्यक्रम सम्मिलित कर लिया जाये जिसमें आजकल अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के रहन-सहन की व्यवस्था, संविधान में उनको दी गयी गारंटियां आदि के बारे में बताया जाये। यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

अब मैं आयुक्त के 1964-65 के प्रतिवेदन के बारे में बताता हूँ। सिफारिश संख्या 34 में कहा गया है कि जिलों में काम करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को इन जातियों के हितों सम्बन्धी जानकरी दी जाती रहनी चाहिए। मैं बता चुका हूं कि हमने ऐसी 4 संस्थाओं को मान्यता दी है और हम उन्हें अपेक्षित जानकारी देते रहते हैं।

151 वीं सिफारिश में आयुक्त ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी रिपोर्टें देने में राज्यों ने उपेक्षा बरती है जो दूर की जायें। इस बारे में मैं पहले बता चुका हूं।

153 वीं सिफारिश यह है कि इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बारे में पिछली रिपोर्ट में की गई सिफारिश को गृह मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया था उस पर समाज सुरक्षा विभाग के परामर्श में पुनर्विचार किया जाये। इस सिफारिश को हमने स्वीकार कर लिया है और गृह-कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के अधीन एक अध्ययन दल स्थापित किया गया है। अध्ययन दल इन मामलों की जांच कर रहा है और इस बारे में उपाय अपनाने के सम्बन्ध में अपने सुझाव देगा। हमने एक विवरण भेज दिया है जिसमें बताया गया है कि गत चार वर्षों में आयुक्त ने क्या सिफारिशें की थी और वे क्यों स्वीकार नहीं की जा सकीं? अध्ययन दल आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के परामर्श में उन पर विचार करेगा और बतायेगा कि हम क्या कार्यवाही करें जिससे स्थिति में सुधार हो।

हमने अध्ययन दल से यह भी कहा है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोगों को भूमि देने के प्रश्न की भी जांच करें।

154 वीं सिफारिश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन बहुत से प्रार्थियों के बारे में है जिन्होंने रोजगार दफ्तरों में अपने नाम लिखा रखे हैं। क्लर्कों के पदों की कमी वास्तव में आश्चर्य की बात थी। हमने इस मामले की जांच की और विभिन्न विभागों तथा रोजगार दफ्तर के महा-निदेशक से लिखा-पढ़ी की। अब स्थिति ठीक हो गई है।

155 वीं सिफारिश में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित योग्यताओं के आधार पर उन लोगों की पर्याप्त संख्या में तदर्थ भर्ती एक बार फिर की जाये। हमने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है।

मौजूदा हिदायतों के अनुसार नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वे ठीक समझे तो तीन महीने तक के पदों अथवा उससे अधिक समय के उन पदों को जिनके स्थायी रूप से बने रहने की सम्भावना नहीं है अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के लिए आरक्षित न रखें। 158 वीं सिफारिश में यह कहा गया है कि इन पदों की अवधि की सीमा निर्धारित कर दी जाये। यह प्रश्न विचाराधीन है।

सिफारिश संख्या 160 में कहा गया है कि निःसंवर्ग पदों के आरक्षण के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाये। हम इस पर पुर्नविचार करेंगे।

सिफारिश संख्या 161 में कहा गया है कि प्रत्येक परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता स्तर निर्धारित करने सम्बन्धी स्थिति नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को स्पष्ट कर दी जाये। इस सम्बन्ध में हमारा निर्णय कुछ समय बाद घोषित किया जायेगा।

श्री राममूर्ति : यहां पर सिफारिश पढ़ देने से कि विभिन्न सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इस सबको छपवाकर सदस्यों में परिचालित किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : भविष्य के लिए भी अच्छा सुझाव है, इससे सदन का समय बचेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री फ्रैंक एन्थनी ने बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा है कि विधान मण्डलों में एंग्लो-इण्डियन जाति का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। कुछ राज्यों में एंग्लो-इण्डियनों के कुछ स्थानीय संघ हैं जो कि अखिल भारतीय एंग्लो-इण्डियन संस्था से सम्बद्ध नहीं हैं, जिसके कि श्री एन्थनी अध्यक्ष हैं। ये संस्थाएं कभी कभी ऐसी सिफारिशें करती हैं जो कदाचित श्री एन्थनी को पसन्द न आती हों। परन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार राज्य सरकारों को है। इसलिए श्री एन्थनी की शिकायत में कोई सार नहीं है।

कुछ सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि अनुसूचित जातियों एवं के कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर समाप्त करने के लिए उच्च अधिकारियों ने जान बूझकर उनकी चरित्र-पंजी खराब कर दी है। यह आरोप बहुत अनुचित है। इस प्रकार के कुछ ही मामले हैं।

(अन्तर्बाधायें)

श्री सूरज भान (अम्बाला) : आप रिपोर्ट पढ़िये।

श्री मं० रं० कृष्ण : जब रेलवे मंत्रालय ने पदोन्नति के लिए स्थान आरक्षित किये तो राज्य के उच्च न्यायालय ने उसके विरुद्ध निर्णय दिया था। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है। उसके बाद ही गोपनीय रिपोर्टें

खराब की गयीं। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले गोपनीय रिपोर्टें अच्छी थीं और बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण वे खराब की गयीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इसकी जांच करूंगा।

Shri Suraj Bhan : I think the hon. Minister has come here without going through the report. The Commissioner has clearly stated in his report that there are many cases of this kind.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे मालूम है, पर इस प्रकार का आम आरोप ठीक नहीं है। इस प्रकार के कुछ मामले हो सकते हैं।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : He has not gone through the report.

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य गलत बात कह रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं, पर मैंने अवश्य पढ़ी है और जानता हूँ कि रिपोर्ट में कहां क्या लिखा है। **(अन्तर्बाधायें)**

कुछ सदस्यों ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्ति के बारे में कहा है। हम एक व्यक्ति की नियुक्ति पहले ही कर चुके हैं और दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति करते हुए हमें प्रसन्नता होगी।

श्री मीठा लाल मीना, श्री शिव नारायण एवं अन्य कुछ सदस्यों ने मांग की है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्य समाज कल्याण विभाग से लेकर गृह मंत्रालय को सौंप दिया जाये। मैं यह बता दूं कि इस समय वह विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उस विभाग तथा हमारे मंत्रालय के बीच निकट सम्पर्क रहता है अतः मैं समझता हूं कि इस मांग का कोई औचित्य नहीं है।

सदस्यों ने अन्य जो छोटी मोटी बातें कहीं हैं उनकी जांच की जायेगी। सदस्यों को मैं लिखूंगा कि सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और उनसे परामर्श करके निश्चित किया जायेगा कि आगे क्या कार्यवाही की जाये।

श्री म० रं० कृष्ण (पेद्धपल्लि) : कुछ दिन पहले उप-मंत्री महोदय ने बताया था कि गृह-कार्य मंत्रालय के पास यह देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है अथवा नहीं। अभी उप-मंत्री महोदय ने बताया कि यदि विभिन्न प्राधिकारी रिक्त स्थानों को भरने में असफल रहते हैं तो उन्हें गृह-कार्य मंत्रालय को सूचना देनी होगी। सक्रिय ढंग पर कार्य को समन्वित करने के लिए गृह-कार्य मंत्रालय में इसके अलावा क्या कोई अन्य व्यवस्था है ?

श्री रा० ढो० भण्डारे : रिपोर्ट में बताया गया है कि कोई भी विभाग समाज कल्याण विभाग को सूचना नहीं भेजता। अतः हम चाहते हैं कि गृह-कार्य मंत्रालय इस कार्य को अपने हाथ में ले।

श्री छ० म० केदरिया : अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के लोगों को संविधान में जो परित्राण दिया गया है, क्या उसे ध्यान में रखते हुए गृह-कार्य मंत्रालय विचार कर रहा है कि इन लोगों को उनके आचरण सम्बन्धी रिपोर्टों की अवहेलना करके सीधे पदोन्नति दे दी जाये ?

श्री शंकरानन्द : पिछले दिन मैंने अस्पृश्यता के कारणों तथा उनके निराकरण के बारे में पूछा था परन्तु अध्यक्ष महोदय ने उसका उत्तर नहीं होने दिया ।

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : We have been demanding for a separate Ministry to deal with the problems of Adivasis and Harijans for the last 15 years. Their conditions have not yet improved while those of displaced persons from Pakistan have improved a lot. Hence I would like to know what steps are proposed to be taken by Government in this regard ?

Shri Suraj Bhan : What is proposed by Government in regard to the recommendation of the Scheduled Castes Commission that a good remark in C. Rs. of S. C. and S. T. employees should be treated as very good remark. The Minister has stated that S. C. and ST. candidates in requisite number were appointed in Indian Administrative and Indian Police Services during the period from 1963 to 1966 but he did not give the statistics for the period between 1950 to 1963. Should we treat that all the reserved posts during this period had been lapsed ?

Shri Ram Avatar Shastri : Have Government adopted the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and if not. What are the reasons therefor ?

Shri Ram Sewak Yadav : Do the Government propose to abolish interviews for Harijan and tribal candidates and all the posts reserved for such candidates would be filled up on the basis of their qualifications laid down for them ?

Shri Meetha Lal: What steps have been taken for removing the indebtedness amongst Harijans and what arrangements have been made to provide lands and houses or to construct houses for Harijans ? May I know whether special concessional tickets would be issued to the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes to enable them to visit various places in the country ?

Shri Ram Sewak Yadav : I want to raise a point of order. Unless the question of Harijans and tribal people is not linked up with that of other communities, this problem cannot be solved and will continue to be ignored. As such it is not the question of Harijans and tribal people alone.

Shri Ram Dhan : The Study Group proposed to be set up by the hon. Minister should also enquire into the mal practices prevaling in making grants or in providing land for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on Central, State and District level.

Shri Molahu Prasad : With a view to eradicate untouchability and caste discrimination, do Government propose to promote inter-caste marriages and to give preference in Government services to those who have done inter-caste marriages ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह देखने के लिए कि अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के लोगों के लिए आरक्षित पदों को ठीक तरह भरा जाता है या नहीं, गृह-कार्य मंत्रालय को इस

सम्बन्ध में शीर्षक रिपोर्ट भेजने का उपबन्ध किया गया है और इसके लिए एक सम्पर्क अधिकारी भी रखा गया है और गृह-कार्य मंत्रालय में एक अनुभाग भी खोला गया है जो इन मामलों की देखभाल करता है। अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति के उम्मीदवार के ऊपर किसी की भी नियुक्ति सम्बन्धित मंत्री के आदेशों के बिना नहीं की जा सकती है। जब ये रिपोर्टें आती हैं हम उन पर कार्यवाही करते हैं। आचरण सम्बन्धी रिपोर्टों के मामले में चल रहे जिस भ्रष्टाचार का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है उस पर हम पूरी तरह विचार कर रहे हैं और इसका पता लगाने की सोच रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार किस हद तक है तथा इसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है। एक पृथक विभाग भी खोला गया है और जहां तक नौकरियों के आरक्षित स्थानों का सम्बन्ध है हम यथा शक्ति उसकी सहायता करते हैं।

अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति के उम्मीदवारों के लिए भारतीय प्रशासन तथा पुलिस सेवाओं में आरक्षित खाली सभी स्थानों को पूरी तरह भरने के लिए जबसे इलाहाबाद और मद्रास में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं तब से स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और इन आरक्षित खाली स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार मिलते हैं। उदाहरणार्थ 1957 में भारतीय प्रशासन सेवा में अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 5 स्थान रिक्त थे परन्तु उन पर कोई नियुक्ति नहीं की गई। इस तरह 1961 तक पूरी संख्या में उम्मीदवार नहीं मिलते थे लेकिन उसके बाद से सभी ऐसे आरक्षित खाली स्थानों पर नियुक्ति की जा सकी है। (अन्तर्बाधा)। यही स्थिति भारतीय प्रशासन सेवा की है।

Shri S. M. Joshi (Poona) : It is regrettable that the problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not receiving as much attention as it deserves. It appears that more emphasis is being laid on figures and on technical and legal aspects of the matter. This is not a healthy attitude. What is required is that a qualitative change is brought about in our policy in this regard. If this is not done, the problem would become more difficult.

Even in a State like Maharashtra, which is the birth place of the great leader of Scheduled Castes and the condition of these people, though improved, is not what it should be. Some years ago these people had to agitate for land; the agitation was of a scale what had not been seen during the post independence period. Very little coverage was given in the press to the agitation. It reveal the apothy which we have been showing to this problem. There is a section in the Ministry of Defence where the members of Scheduled Castes where not allowed to leave on the eve of Ambedkar Jayanti, to which these people attached a great importance. These people are still harassed by the so-called higher castes, whose mentality and attitude towards them has not changed even now.

In big cities like Bombay, Poona, etc. members of Scheduled Castes should be provided with housing accommodation. Out of the Government built houses, some accommodation should be reserved for the persons belonging to Scheduled Castes. If this is done, it would go a long way to ameliorate their conditions.

With a veiw to solving the problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, a change in the mental attitude of the people is called for. Steps must be taken to remove the prevailing social inequality.

It would be batter if a member of Scheduled Caste is associated with U. P. S. C. to see that justice is done with Scheduled Caste candidates in the matter of their selection in the services.

If the member of Scheduled Castes are not given proper treatment at the social and economic levels and the Constitutional provisions are not implemented properly, the time is not far off when we may have to face this problem in the same manner as U. S. A. has beeh facing in respect of the Negroes there.

श्री राममूर्ति (मदुरैग) : हरिजनों के लिए आरक्षित स्थानों, आयोग की सिफारिशों आदि के बारे में आंकड़े बताये गये हैं, इसलिए इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 20 वर्ष गुजर जाने पर भी अस्पर्श्यता का अभिशाप देश में व्याप्त है।

{ श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए }
{ Shri Balraj Madhok *in the Chair* }

यद्यपि इस सम्बन्ध में कानून बनाये गये हैं और उनके द्वारा अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई है परन्तु इन कानूनों का ठीक तरह से पालन कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरुप इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका है। यदि सरकार वास्तव में इस समस्या को हल करने के लिए आतुर है तो उसे चाहिए कि वह हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग स्थापित करे जिसका सारा काम हरिजन ही संभाले।

जातिवाद के साथ साथ मूल समस्या यह है कि भूमिदारों की एक ऐसी ऊंची जाति है जो अन्य वर्गों पर प्रभाव जमाये हुए हैं। हमने इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं किया है। गांवों में, जहां हरिजन जनसंख्या का 5 या 11 प्रतिशत भाग रहता है, ये हरिजन भूमि-हीन मजदूर हैं। पिछल 20 वर्षों में इन लोगों को मकानों की व्यवस्था तक नहीं की गई है। इस प्रकार यह प्रश्न मूल रुप में आर्थिक प्रभुत्व का है।

जब तक अस्पर्श्यता की समस्या का हल एक नये दृष्टिकोण से नहीं किया जायेगा तब तक इस का समाधान नहीं हो सकता है। इसके लिए इन्हीं अस्पर्श्य लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए और इन्हीं लोगों को कानून पालन कराने का भार सौंपा जाना चाहिए ऐसा करने पर ही अस्पर्श्यता का पूर्णतया उन्मूलन हो सकता है।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन में बताया गया है कि आदिम जाति के लोगों की मूल समस्या भूमि की है। ठेकेदारों, साहूकारों तथा मैदान से आने वाले अनेक लोगों द्वारा उनकी भूमि हड़पी जा रही हैं। मुख्य समस्या यह है कि मैदान से आने वाले कुछ सम्पन्न लोगों का इन आदिम जाति के लोगों पर प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। इससे इन आदिम जाति के लोगों के मन में यह भावना दृढ़मूल होती जा रही है कि ऐसी सरकार के हाथों, जिसमें मैदानों में रहने वाले लोगों का प्रभुत्व है, उनके हित सुरक्षित नहीं है। इसी कारण से आदिम जाति के लोगों में यह मांग बढ़ती जा रही है कि उन्हें सम्पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो।

एक समय सरकार ने भी इस स्थिति को स्वीकार किया था और अधिकारियों द्वारा स्पष्ट घोषणा की गई थी कि एक समिति स्थापित की जायेगी जो छः महीने के अन्दर विस्तार

से विमर्श करेगी। यह छः मास का समय भी बीत गया परन्तु इस सम्बन्ध में व्यावहारिक रुप से कुछ भी नहीं किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप इन लोगों का सरकार पर से विश्वास हट गया है। में विद्रोह की सी लहर उठ चुकी है जो तभी शान्त हो सकती है जबकि सरकार अपने रवैये में परिवर्तन लाये।

श्री राम धन (लाल गंज) : पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति मंत्रियों की नियुक्ति का क्या हुआ :

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : Mr. Speaker. I do not think that the question of Scheduled Castes had been considered seriously. During the last 20 years crores of rupees have been spent on Block Development Schemes. If the same amount had been spent on the upliftment of the Scheduled Castes etc. appreciable results would have been achieved.

If the problem of improving the lot of the Scheduled Castes is not tackled properly, it may lead to the disintegration of the country. The Mizo problem and the Naga problem have also arisen because they were given the same type of treatment which is being given to the Scheduled Castes. Therefore Government should consider this question seriously.

It is said that that the Scheduled Caste people are easily influenced by the foreign missionaries. There is no denying the fact. But what was the reason ? The reason is that we, the countrymen, had not shown the same affection and understanding which these missionaries had shown towards them. If we wanted to win them over, we should also adopt the same attetude. If we are really serious in achieving unity in the country, if we wanted betterment of scheduled Tribes and Scheduled Castes and if we wanted to safeguard their liberty, these people will have to be treated on the basis of equality and justice. If Government wanted Democracy in the real sense of the term, they should conduct in a socialist way. A Parliamentary Committee should be appointed to chalk out the programmes for improving the social and economic condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The exploitation of down trodden castes still continues. Something will have to be done to see that their exploitation is stopped.

Inter-caste marriages are also necessary to achieve the objective of equality and unity. But I find that none of our countrymen is prepared for inter caste marriage. The sort of class feeling which we have today should be removed. Therefore I appeal that active steps should be taken in this direction.

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : Under Poona Pact a decision was taken to emeliorate the lot of Harijans within a period of ten years. But even after 20 years of independence, the problem of Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes is very much there. This is an unhappy state of affairs.

The percentage of the people belonging to these classes in the Government services is as law as 2.5. This is mainly because of the evil of untouchability which is prevalent at all levels. These people have always been exploited by the elite. The time has come when this problem should be treated as a national problem and serious steps should be taken to eradicate it. Government should make arrangements to provide employment to these communities on the basis of the population of these castes. The job of drinking water should necessarily be done by them.

Some organisations are getting Grants and the Harijan Sewak Sangh is one of them. It has not done any work for the upliftment of the Harijans. It is merely a vote catching organisation. Dalit Varg Sangh is another example. Such institutions should be abolished. A ministry should be formed to look after the affairs of these castes.

In order to solve the problem of untouhability it was necessary to enccurage inter-caste marriages. For this purpose a column on these lines should be included in the various application forms prescribed by the Government.

Housing problem is another problem which these castes have to face. They should be provided with agricultural lands and agricultural implements only than food problem would be solved.

The candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes pass the written tests but they do not qualify in the interview. The reason for this is obviously their economic backwardness. Therefore in order to encourage Government should give them full marks reserved for interview so that they could come in the services in larger number.

श्री जेवियर (तिरुनलवेल्लि) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ईसाई तथा दूसरे धर्मावलम्बी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के बहुत से लोगों की दयनीय स्थिति पर संभवत: इस भ्रान्त धारणा के कारण विचार करने में असफल रहे कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में संवैधानिक संशोधन की कोई उलझन है। इससे ईसाई तथा हरिजन समुदाय के एक बड़े वर्ग पर प्रभाव पड़ता है। यह एक गम्भीर मामला है जिस पर सरकार को अन्तिम रूप से विचार करना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 (1) में धर्म तथा अन्त:-करण की स्वतन्त्रता दी गई है। इन सिद्धान्तों और प्रत्याभूतियों के आधार पर हमें अनुसूचित जातियों की समस्या का समाधान करना चाहिये।

संविधान के अनुच्छेद 341(1) के अनुसार जारी किये गये संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 195. के पैरा 2 में अनुसूचित जातीयों के सम्बन्ध में किसी धर्म का उल्लेख नहीं है। किन्तु दुर्भाग्यवश 1956 के अधिनियम, 63 के द्वारा 1950 के इस आदेश में एक ओर पैरा (3) जोड़ दिया गया है जिससे 1950 के आदेश में अनुसूचित जाति के उल्लिखित अधिकारों को कम कर दिया गया है। इस अधिनियम द्वारा जोड़े गये पैरा (3) में कहा गया है पैरा (2) में कही गई बातों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिन्दू अथवा सिख धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी धर्म का अनुयायी हो, अनुसूचित जाति में शामिल नहीं समझा जा सकता है।

यह मनमाने ढंग से जोड़ा गया है और ये सब द्वेषभाव से किया गया है। यदि ईसाई धर्मावलम्बी अनुसूचित जाति जाति के लोगों को राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विशेषाधिकार न दिये गये तो वे हमेशा उसी तरह पिछड़े रहेंगे जैसे वे बीस वर्ष पहले थे। राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से यह भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिये।

यह विचार गलत है कि इस प्रकार भेदभाव को दूर करने से लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 1950 के आदेश के पैरा 3 को संसद के एक और अधिनियम द्वारा रद्द

किया जा सकता है और भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। इसमें संविधान में संशोधन करने की कोई बात नहीं है। अतः यह प्रार्थना की जाती है कि अनुसूचित जातियों के उन लोगों के प्रति जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, अन्यायपूर्ण, निराधार तथा अनुचित भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री सुब्रावेलू (मयूरम) : अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्या को हल करने में सरकार ने कठोरता दिखाई है। सांवैधानिक दायित्वों का भी उल्लंघन किया गया है। प्रतिवेदनों पर वार्षिक विचार-विमर्श होना चाहिये या लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं आरोप लगाता हूं कि सरकार की नियत बुरी है और वह जानबूझ कर इस सम्प्रदाय को नीचा रखना चाहती है ताकि जातिवादी हिन्दुओं को खुश किया जा सके। यह उचित समय है कि सरकार को इस देश के करोड़ों दलित लोगों को सुधार के लिए वास्तविक ठोस कार्य करना चाहिये।

यह एक जाति समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है जिसके प्रभाव दूरलक्षी है। यदि इसे शीघ्र ही हल न किया गया तो सरकार को सम्पूर्ण भारत में विद्रोह और प्रचण्ड उपद्रवों का सामना करना पड़ेगा।

जहां तक इस देश के भूमिहीन श्रमिकों की समस्या का सम्बन्ध है, बहुत से ग्रामों में पीने के पानी, शौचालय, सड़क, आवास आदि के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त हरिजन ऐसी भूमि पर रहते हैं जिन पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व है। इस प्रकार अन्य लोगों की तरह उन्हें कोई स्वतन्त्रता नहीं है। इस असम्मानजनक स्थिति को सरकार को दूर करना चाहिये था किन्तु खेद की बात है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई काम नहीं किया हैं। अतः भूमिहीन श्रमिकों की समस्या हल की जानी चाहिये। हरिजनों के लिए मकान बनाने के लिए भूमि अर्जन के लिए ज्यादा धन दिया जाना चाहिये। अब तक बहुत कम धनराशि निर्धारित की गई है। इस आशय के लिए मद्रास सरकार ने कुछ वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं किया गया है। वहां के पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार को आवश्यक धन की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि सरकार इस योजना को क्रियान्वित कर सके। जब तक उनकी अमाननीय सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन कुछ हद तक दूर नहीं किया जाता तब तक अन्य हिदायत में उनकी उन्नति नहीं हो सकती।

यदि सरकार सच्ची और ईमानदार है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन में दी गई सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिये। इलायापेरुमल समिति द्वारा दिये गये अस्पृश्यता के उन्मूलन सम्बन्धी सुझावों और सिफारिशों को भी अविलम्ब लागू किया जाना चाहिये।

अस्पृश्यता की प्रथम का उन्मूलन करने के लिए और सामाजिक पिछड़ेपन से हरिजनों को ऊंचा उठाने के लिए कम से कम अब पूरे प्रयत्न किये जाने चाहिये। अन्तर्जातीय विवादों को प्रोत्साहित करने में हमारे राज्य ने जो नेतृत्व किया है, केन्द्र को उसकी नकल करनी चाहिये

। विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों के चुनाव के लिए यदि उसको कुछ महत्व दिया जा सके तो इससे अन्तर्जातीय विवादों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री अदिचन (अडूर) : लोक-सभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 108 अर्थात् लोक-सभा के कुल सदस्यों के पांचवें हिस्से से ज्यादा है । प्रतिवेदन में सरकार ने कहा है कि आरक्षण जनसंख्या के अनुसार किया गया था । हमारी आबादी भी कुल आबादी का पांचवां हिस्सा है । मंत्रिपरिषद् में 19 मंत्रिमंडलीय मंत्री, 17 राज्य मंत्री और 15 उपमंत्री हैं लेकिन मंत्रिपरिषद् में उनकी संख्या बहुत मामूली है । सरकारी नौकरियों में भी हमारा हिस्सा बहुत कम है । हमारे सम्प्रदाय में कुशल और कर्मशील व्यक्ति हैं लेकिन उनको कोई मान्यता नहीं दी जाती है । राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद केवल सवर्ण हिन्दुओं के विशेषाधिकार हैं । यह बहुत ही अनुचित है ।

संसद और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में जो राजनैतिक संरक्षण दिये गये हैं उनकी समय सीमा 470 में खत्म हो जायेगी । वे लोग सभी पहलुओं से पिछड़े हुए हैं और अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकते । इसलिए यह आवश्यक है कि इन विशेष संरक्षणों को कम से कम 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाना चाहिये ।

अब जो कल्याण योजनायें अपनाई गई हैं उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए संसद-सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये । कल्याण योजनाओं के काम में आगे सुधार करने के लिए भी आयोग को सिफारिश करनी चाहिये । समितियां बनाई जाती हैं लेकिन उनमें इन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है । सिंचाई सुविधायें, भूमि देने में भी सरकार उनके साथ भेदभाव करती है । इसलिए अनुरोध यह है कि हरिजन, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि वे अन्य सम्प्रादायों के स्तर तक पहुंच सके ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker ***in the Chair***

श्री स्वैल (असम-स्वायतशासी जिले) : श्री राममूर्ति ने सरकार के वचन से फिर जाने का भी आरोप लगाया है वह किसी सीमा तक ठीक ही है । तीन मंत्रियों, श्री अशोक मेहता, श्री चव्हाण तथा श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने जो आश्वासन दिये थे वह पूरे नहीं किये गये । इसके विपरीत श्री मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है और यदि इसकी रिपोर्ट अथवा सिफारिशें उन आश्वासनों के अनुकूल हुई तो श्री मेहता न केवल आदिवासी लोगों अपितु सरकार के लिये भी बहुत बड़ा उपकार करेंगे ।

आये दिन नागा प्रदेश तथा मिजो पहाड़ियों में चिन्ताजनक घटनायें होती रहती है । और हम सभी यही चाहते हैं कि वहां शान्ति हो । इन घटनाओं का मुख्य कारण वहां की जनता के विश्वास का राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से उठ जाना है । यदि सरकार ने 1952-53 में स्थिति को समझ कर वही कार्यवाही की होती जो वह अब कर रही है तो यह

सब न होता। यदि 1962 में पहाड़ी लोगों की पृथक राज्य की मांग, जिसे 78 प्रतिशत का बहुमत प्राप्त था, स्वीकार करली जाती तो आज मिजो प्रदेश में जो स्थिति है वह नहीं होती। इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भारत सरकार पर है। हमें पता है कि सरकार कोई चमत्कार नहीं कर सकती परन्तु हम केवल यही चाहते हैं कि सरकार अपने वचन का पालन करे। जनता के प्रति विश्वास उत्पन्न करने का केवल यही एक मात्र उपाय है। आपने जो वचन दिया है उसके पालन की प्रतीक्षा न केवल नेफा में नागा लोगों को है बल्कि सम्पूर्ण पहाड़ी प्रदेश के लोगों को मैं जिनमें असम के लोगों, विद्रोही नागा, तथा मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के लोग भी शामिल हैं। आज यदि सरकार अपना वचन निभाती है तो जो लोग उनके साथ हैं उनके मन में विश्वास उत्पन्न होगा, और विद्रोहियों के मन में अपने व्यवहार के प्रति शंका उत्पन्न होगी परन्तु यदि वह अपने वचन से फिर जाते हैं, तो विद्रोहि तत्वों को वह कभी अपने नहीं मिला पायेंगे। न केवल यही परन्तु जो लोग आज सरकार के साथ है उनके मन से भी आस्था जाती रहेगी और सरकार द्वारा कही गई किसी बात का वे भविष्य में विश्वास नहीं करेंगे।

जनता में सरकार के प्रति विश्वास उठ जाने से देश के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे। मैं श्री राममूर्ति का आभारी हूं जिन्होंने आदिवासियों की दशा का भलीभांति उल्लेख किया है। यह विश्वास बनाये रखने में श्री मेहता की विशेष जिम्मेदारी हैं।

Shri R. S. Vidyarthi (Karolbagh) : I am sorry to point out that no actions every taken after such reports are presented, considered and replies given by the Minister concerned in the House. Even the Congress members have criticised the failure of Government in honouring the promises given by them fromtime to time. The report refers to the non--implementation of recommendations sent to them in regard to tribal welfare. I would suggest the formation of a parliamentary Committee to act as a watchdog in this matter. It has been said that State Governments do not taken any action on the recommendation but I find that the attitude of the Central Government is equally indifferent in this regard. Therefore the setting up of a parliamentary Committee is absolutely essential to watch the action taken by Government on the recommendations of the Board regarding the welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes. The Advisory Committee set up by Government on this purpose cannot discuss the Commission's recommendations nor they can sit ovar judgement thereon. Such a Committee can look to the problem of non-fulfilment of vacancies fromthese castes/Tribes, opening of preparatory schools for examinations and other aspects of welfare.

श्री मालजी भाई परमार (दोहद) : श्रीमान् मैं सदन में प्रथम बार बोल रहा हूं। 1961, 1962 तथा 1963 की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातिय में आयुक्त की रिपोर्टों से स्पष्ट है कि गुजरात राज्य में अस्पृश्यता संबंधी अपराधों की संख्या देश भर में सब से अधिक है। परन्तु दण्ड पाने वालों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। इसका कारण अनुसूचित जातियों का सामाजिक पिछड़ापन और भयभीत होना है। इसका कारण आर्थिक रूप से उनका समाज के अन्य वर्गों पर आश्रित होना है।

अधिक प्रोत्साहन तथा सुविधायें देकर ही उन्हें समाज का पुष्ट अथवा स्वस्थ अंग बनाया जा सकता है। प्रत्येक जिले के प्रत्येक तालुके में कम से कम पांच गांव में अस्पृश्यता दूर करने के लिये गहन कार्य किया जाना चाहिये ताकि वह अन्य जिलों के लिये उदाहरण बन

सकें। प्रत्येक विभाग के छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक के सहयोग से ही सफलता मिल सकती है।

मुझे यह देख कर दुख हुआ कि गुजरात में हरिजनों में आपसी अस्पृश्यता की भावना है और वहां के भंगी अन्य हरिजन वर्गों से अलग हैं। यह प्रवृति बहुत खतरनाक है और इसका उन्मूलन होना चाहिये।

मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वह केन्द्रीय तथा राज्य विधान मंण्डलों में आरक्षण की अवधि दस वर्ष के लिये और बढ़ा दें। संसद्-सदस्य और राज्य विधान मंण्डलों के सदस्यों तथा सरकारी अफसरों को हरिजनों, विशेषकर भंगियों के बच्चों को अपने घरों में रख कर उनका पालन पोषण करना चाहिये ताकि वह अन्य लोगों के लिये आदर्श बन सकें। होटलों आदि को भी लाइसेंस तभी दिया जाये जब वह भंगियों और दूसरे हरिजनों को अपने यहां भोजन आदि बनाने और परोसने की नौकरियां दें ताकि महात्मा गांधी और ठक्कर बापा का स्वप्न साकार हो सके।

अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये प्रत्येक आदिमजाति खण्ड में कम से कम एक ऐसा आश्रम स्कूल अवश्य होना चाहिये जो कृषि–प्रधान हो। इसी प्रकार उनके लिये ऐसा एक माध्यमिक स्कूल भी होना चाहिये। ऐसे स्कूल चलाने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को अगले 10-20 वर्षों के लिये पूरी पूरी आर्थिक सहायता दी जाती रहनी चाहिये। आदिवासियों में उन जिलों में जहां घनी आबादी हो, वहां कम से कम एक अथवा दो ऐसे स्कूल होने चाहिये जो तकनीकी ज्ञान अथवा उद्योग प्रधान हों। इसी प्रकार आदिवासी किसानों को पानी खींचने के पम्प आधी कीमत पर दिये जायें।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हरिजनों और आदिवासियों को मिलने वाली सुविधाओं को बनाये रखा जाये जब तक वह उचित सीमा तक विकसित नहीं हो जाता मैं बोलने का अवसर दिये जाने के लिये आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

श्री कार्तिक ओराओ (लोहारडगा) : मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि ...... **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Sadhu Ram : Sir, I have not been given a chance.

Shri Vidyadhar Bajpai : I should also be given a chance.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I beg to move that the time for consideration of this important Report be extended by two hours more.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के समक्ष रखता हूं और मंत्री महोदय अपना उत्तर कल दे सकते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : एक घंटे का समय और बढाया जा सकता है और इसके पश्चात मंत्री महोदय अपना उत्तर आधे घंटे में दे सकते हैं। ....**(अन्तर्बाधायें)**

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : क्या खाद्य समस्या पर चर्चा पांच बजे होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां। मंत्री महोदय अपना उत्तर कल दे सकते हैं। क्योंकि श्री उराव यहां नहीं हैं। इसलिये अब श्री शंकरानन्द भाषण देंगे।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : जिस प्रकार अनुसूचित जातियों से स्वतंत्रता प्राप्त के 20 वर्ष पश्चात भी व्यवहार किया जाता है उससे मुझे बहुत दुख है। मुझे इस बात का भी खेद है कि राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में भी उन लोगों की दशा का कोई उल्लेख नहीं किया जबकि वे देश की कुल जनसंख्या का पांचवां भाग है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि यहां किसी भी सदस्य ने इस समस्या की ओर उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया क्योंकि हरिजनों की समस्या केवल आर्थिक ही नहीं है। समस्या जातियों के कारण है। जब तक जातियां समाप्त नहीं की जायेंगी यह समस्या बनी रहेगी। खेद है कि विपक्षी दलों के नेता जो मूल अधिकारों तथा अन्य अधिकारों के रक्षक हैं, इस प्रकार की चर्चाओं के समय कभी सभा में उपस्थित नहीं रहते। रिपोर्ट पढ़ने से पता चलता है कि अस्पृश्यता अब भी गम्भीर रूप से चल रही है। आंध्र प्रदेश में स्कूलों में हरिजन बच्चों पृथक बैठाया जाता है। हरिजन जूते पहन कर गांवों में घूम नहीं सकते। इसी प्रकार काश्मीर में विद्यार्थियों में भेद–भाव बर्ता जाता है। मद्रास में हरिजन मृतकों की अर्थी उच्च–जाति हिन्दुओं की गली से नहीं ले जाई जा सकती।

संविधान में हरिजन उत्थान की समय सीमा 26–1–1970 तक रखी गई है। आज जब स्थिति यह है तो, 1970 तक यह कार्य कैसे पूरा होगा। विपक्षी दलों के नेता सरकार की आलोचना तो खूब करते हैं परन्तु इस पूरी चर्चा के दौरान वे अनुपस्थित हैं। उन्होंने और अनेक दलों ने हरिजन–उत्थान के लिए अब तक कुछ नहीं किया है। हरिजनों को गांधीजी और बाबासाहब के वचन अब भी याद है, परन्तु इसके बाद उनकी किसी ने सुध नहीं ली।

श्रीमान्, यह प्रश्न केवल सरकार और कुछ लोगों के प्रयत्नों से हल नहीं होगा इसके लिये तो पूरे देश को मिल कर प्रयत्न करना होगा।

श्री कार्तिक ओराओं : यदि हम आदिम जातियों की समस्या हल करना चाहते हैं तो हमें पहले उनकी समस्याओं को समझना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि उनका अपना एक धर्म है जिसे 1911 की जनगणना रिपोर्ट में स्वीकार कर लिया गया था। इसके पश्चात् जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया उन्हें भारतीय ईसाई कहा जाने लगा और उन्हें केन्द्रीय विधान मण्डल में प्रतिनिधित्व भी दिया गया परन्तु आदिवासियों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया खेद है कि इन ईसाईयों को 1952 के बाद भी रियायतें दी जा रही है। कुछ राज्य सरकारों ने उचित नीति अपनाई है। बड़ी अजीब बात है कि यदि अनुसूचित आदिम जातियों का कोई सदस्य ईसाई बन जाये तो उसे यह रियायतें मिलती रहती है परन्तु यदि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य ईसाई बन जाये तो उसे इन रियायतों से वंचित रखा जाता है। यह भेयभाव समझ में नहीं आता।

और भी कई कठिनाइयां हैं जैसे आदिवासी ईसाईयों में 150 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति शिक्षित है। जबकि अन्य आदिवासियों में यह अनुपात 30,000 है। ईसाई कुल आदिवासियों का केवल 10 प्रतिशत है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का 90 प्रतिशत भाग इन 10 प्रतिशत लोगों पर खर्च किया जा रहा है।

इस प्रकार आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है।

{ श्री अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair.* }

यह उचित नहीं है जो रियायतें तथा सुविधायें उन्हें दी जानी है, उन्हें ही मिलनी चाहिये न कि अन्य लोगों को जैसे ईसाई आदिवासियों को दी जा रही हैं।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 46 का उल्लंघन किया है। मैं यह जानना चाहत्ता हूं कि सरकार ने यह किस प्रकार किया है ?

एक स्थायी संसदीय आयोग अथवा समिति की स्थापना की जानी चाहिए जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सम्बन्धित विभिन्न समितियों अथवा आयोगों की सिफारिशों अथवा सुझावों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और उन पर प्रस्तावित कार्यवाही तथा उस सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों अथवा स्पष्टीकरणों की जांच करे तथा संसद को अपनी रिपोर्ट पेश करे।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आयुक्त को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जाये, उसका अपना संगठन हो और सभी राज्यों में उसके अपने प्रतिनिधि हों और वह सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे। प्रत्येक सरकारी विभाग में एक नीति तथा प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त किया जाये जो सीधे आयुक्त के निमंजन में हो। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय होना चाहिए। अनुसूचित जातियों एवं आदिमजातियों के सम्बन्ध में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है अतः सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और पदों को आरक्षित करने की अकर्फ 20 वर्ष और बढ़ा दी जानी चाहिए। संसदीय समिति/ससदीय आयोग तुरन्त गठित किया जाये जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में हुई ठीक प्रगति का अध्ययन करे और जुलाई, 1968 तक अपनी रिपोर्ट दे दे जिससे कि सरकार को पता चले कि उसने क्या किया है।

देश की खाद्य स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION RE : FOOD SITUATION IN THE COUNTRY

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि देश में खाद्य की स्थिति पर विचार किया जाये।" गत वर्ष सभा-पटल पर रखी गई पुस्तक "रिव्यू आफ दी फुड एन्ड स्केअरसिटी सिचुएशन" में उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जिनके परिणामस्वरूप इस वर्ष कठिन खाद्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। खाद्यान्न के सीमित आयात और सूखे के दूसरे वर्ष देश में अन्न के सीमित समाहार के कारण अन्न के केन्द्रीय मूल में कम अनाज जमा हुआ है। राज्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए हमको उन्हें देने के लिए लगभग 10 लाख टन अन्न प्रति महीने चाहिए जब कि वास्तव में केन्द्र के पास हर महीने 7 से 8 लाख टन के बीच ही उपलब्ध रहा है। इन हालात में उपभोक्ता के लिए कुछ कठिनाई होना तो अनिवार्य थी।

सामान्यतया जून से आगे की अवधि में बाजार में अन्न की उपलब्धि कम होती जाती है और मूल्य ऊंचे होते जाते हैं। इस वर्ष की कठिन खाद्य स्थिति कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के वजह से और भी खराब हो गई। स्वेज नहर के बन्द होने से जून और जुलाई में अनाज की सप्लाई पर असर पड़ा। जहाजों को आशा उत्तरीय का चक्कर लगाकर तो आना ही पड़ा, जहाज भाड़े पर लेने में भी बड़ी कठिनाई सामने आई। परिणाम यह हुआ कि जुलाई और अगस्त में लगातार सप्लाई न हो सकी। गत चार-पांच सप्ताहों से बम्बई और कांडला जैसे बन्दरगाहों में लगातार वर्षा होते रहने के कारण अनाज उतारने आदि के काम में भी रूकावट पड़ गई। केन्द्रीय रक्षित भण्डार न होने के कारण वितरण का सारा कार्य अनाज के बन्दरगाहों पर पहुंचने और उसके विभिन्न स्थानों पर भेजे जाने पर ही निर्भर रहा। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार ने जुलाई के महीने में विभिन्न राज्यों को अनाज का पर्याप्त कोटा दिया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को कम कोटा मिला है। इस कमी को अगस्त के पहले पखवाड़े में उन्हें प्राथमिकता देकर पूरा किया जायेगा। कुछ राज्यों में अस्थायी रूप से कमी की स्थिति पैदा हो गई होगी पर वह अपरिहार्य थी। किसी भी राज्य में एक या दो सप्ताह की आवश्यकता से अधिक अन्न जमा नहीं किया जा सका, जिससे कि बन्दरगाहों पर वर्षा आदि के कारण काम रूक जाने के परिणामस्वरूप वहां से अनाज देरी से भेजने आदि जैसे कारणों से स्थिति और खराब न हो। हाल ही में दिल्ली में स्थिति खराब हो गयी थी परन्तु तुरन्त उपयुक्त उपाय करके वितरण व्यवस्था को भंग होने से बचा लिया गया।

जून के बाद बर्मा से चावल का आयात कम हुआ है और संसार की अन्य मंडियों से भी जून अगस्त के महीनों में कम चावल मिलता है और हमें भी कम ही मिला है। पहले खरीदा गया कुछ चावल जो जुलाई और अगस्त में आ जाना था यहां सितम्बर तक आयेगा। सारे संसार में ही चावल की कमी है। फिर भी सरकार बहुत ऊंचे मूल्यों पर चावल खरीदती रही है। जुलाई में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जितना चावल मिलने की आशा थी उतना न मिला क्योंकि इन राज्यों में अपेक्षित मात्रा में चावल का समाहार सम्भव न हुआ। अतः चावल की कमी केरल और पश्चिम बंगाल में ही नहीं अपितु सभी राज्यों में रही है। अगस्त में भी यह कठिनाई रहेगी। केरल को हमने अगस्त में 33000 टन चावल देने का वचन दिया है जिसे हम अतिरिक्त सप्लाई प्राप्त करके पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को भी चावल की सप्लाई करने में शीघ्रता की जा रही है। केरल, जम्मू तथा काश्मीर जैसे कमी वाले राज्यों, कलकत्ता, बम्बई, नेफा, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात जैसे कानूनी राशन

वाले क्षेत्रों और प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार सामान्य तया 1,00,000 से 1,25,000 टन चावल हर महीने देती है। उपरोक्त कारणों से जुलाई और अगस्त में चावल कम दिया जा सका, उस कमी को अतिरिक्त मात्रा में गेहूँ देकर पूरा करने का प्रयत्न किया गया है।

रेल से इधर उधर भेजने में जो अनाज खराब हुआ है उसके लिए मुझे भी दुख है। विभिन्न बन्दरगाहों से और केन्द्रीय भण्डागारों से देश के विभिन्न भागों को हर महीने 7,50,000 से 8,00,000 टन अनाज भेजा जाता है। मानसून के महीनों में भी देश के विभिन्न भागों में अनाज कम मिलता है अतः अनाज को यहां वहां भेजने का कार्य सारे वर्ष करना पड़ता है। हर महीने लगभग 5,50,000 से 6,00,000 टन के बीच अनाज अवश्य ही रेल से भेजना पड़ता है। भरसक प्रयत्न के बावजूद भी रेलवे विभाग पूरी आवश्यकता के अनुसार बन्द डिब्बे नहीं दे सका। यदि बन्द डिब्बों में ही अनाज भेजा जाये तो केवल 3,50,-000 से 4,00,000 टन के बीच ही हर महीने भेजा जा सके। जितना अनाज हम हर महीने इधर उधर भेजते हैं उसी से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो उसमें और कमी करने से तो संकट और भी बढ़ जायेगा। इसलिए पूरी मात्रा में अनाज का परिवहन अत्यावश्यक समझ कर वह खुले डिब्बों में ही भेजा गया। खुले डिब्बों में अनाज भेजते समय उसे तिरपालों से ढकने आदि जैसी पूरी सावधानी बरती जाती है। तिस पर भी कुछ न कुछ अनाज तो खराब हो ही जाता है जो कि इतनी बड़ी मात्रा भेजने की तुलना में कुछ भी नहीं है। खराब हुए अनाज का अधिकांश भाग भी चारे आदि के रूप में बेच दिया जाता है।

कलकत्ता, दिल्ली या अन्य स्थानों पर बने आधुनिक ढंग के सरकारी गोदामों में अनाज खराब हो जाने का कोई भय नहीं है। तिस पर अनाज की सप्लाई की कमी के कारण इन गोदामों में अनाज अधिक देर तक बन्द रहता भी नहीं। इस समय उपलब्ध गेहूं और मिलों की सप्लाई से अक्तूबर तक की आवश्यकता पूरी हो जाने की आशा है। शेष तीन महीने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे मित्र देशों से हमें बहुत सहायता मिली है। अतिरिक्त अनाज देने का प्रस्ताव अमेरिका सरकार के विचाराधीन है। दो-तीन महीने और कठिनाई के हैं। मानसून की वर्षा संतोषजनक हुई है और सितम्बर का महीना भी इस दृष्टि से अच्छा रहा तो खाद्य स्थिति सुधर जायेगी।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : समस्त देश में और विशेषतया केरल में खाद्य स्थिति बहुत ही खराब है। यह स्थिति काफी समय से सरकार के सामने थी और समय पर विभिन्न क्षेत्रों को अन्न भेजने के उपाय किये जा सकते थे परन्तु उचित कार्यवाही नहीं की गई।

सरकार की कभी कोई राष्ट्रीय खाद्य नीति नहीं रही। आज भी आंध्र प्रदेश के किसानों और मिल मालिकों के पास चावल हैं पर आंध्र सरकार के पास उसे खरीदने के लिए धन नहीं है, फलतः चावल उन लोगों के पास सड़ रहा हैं। यदि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर आंध्र प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार को सीधे ही अथवा खाद्य निगम के द्वारा आंध्र के किसानों

और मिल मालिकों से चावल खरीद लेने देती तो आज इतनी कठिनाई सामने न आई होती। दुर्भाग्य यह है कि केन्द्रीय सरकार भी इसके लिए आंध्र सरकार पर जोर नहीं डाल रही है।

पिछले दो तीन सप्ताहों में केरल में राशन की वितरण व्यवस्था बुरी तरह फेल हुई है। इस सप्ताह त्रिवेन्द्रम नगर में राशन नहीं मिला क्योंकि अन्न उन स्थानों पर भेज दिया गया था जहां दो-तीन सप्ताह से राशन नहीं मिला था। 6 औंस की तो बात ही छोड़िये, चावल का राशन घटकर 2-3 औंस कर दिया गया है और वह भी दो तीन सप्ताह तक नहीं मिलता।

हमारे देश में ऐसे राज्य भी हैं, जहां अनाज उनकी आवश्यकता से अधिक पैदा होता है। आज सुबह प्रधान मंत्री मुझे बता रही थीं कि आंध्र प्रदेश ने मद्रास को 14,000 टन चावल दिया है, आप मद्रास सरकार से चावल क्यों नहीं ले लेते ? हम केरल के लोग तो बुरी किस्म का भी चावल लेने को तैयार हैं क्योंकि कोई भी चावल हमें जीवित रखने के लिए ठीक है। यदि मद्रास वाले बढ़िया किस्म का चावल चाहते हैं तो वे आंध्र से ले लें और घटिया किस्म का चावल केरल को दे दें। परन्तु यह बात भी नहीं मानी गई क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि जिसके साथ सौदा करना वह ठीक समझे, उसके साथ करने का उसे पूर्ण अधिकार है। जिस राज्य के पास पहले ही 1 लाख टन चावल का राशन भण्डार है। उसे और चावल देना और भूख से तड़पते लोगों के राज्य को न देना कहां तक उचित है ?

हम जो विदेशी मुद्रा अर्जित करके देते हैं उसका ही उपयोग करने की हमें छूट हो, तो हमें अपनी आवश्यकता के बराबर के चावल मिल जाये। अमरीका के एक व्यापारी विलियम जे. जैटू का एक पत्र मैंने राज्य मंत्री को भेजा था जिसका उत्तर मुझे खाद्य विभाग से मिला है कि चावल का प्रस्तावित मूल्य अधिक हैं हम उतने मूल्य पर नहीं खरीद सकते। हमारी मांग यह है कि देश के अन्दर ही अन्न का समाहार करके अथवा फालतू उपज वाले राज्यों से अनाज प्राप्त करके अथवा आयात करके हमें चावल या धान दिया जाये अथवा जो विदेशी मुद्रा हम अर्जित करते हैं उसका उपयोग हमारे राज्य के लिए अन्न खरीदने के लिए करने की अनुमति दी जाये। हम किसी भी मूल्य पर चावल या धान खरीदने के लिए तैयार हैं चाहे वह हमें आंध्र प्रदेश से मिले या मद्रास से या अमेरिका से। हम खाद्य निगम द्वारा भी आंध्र प्रदेश से चावल की खरीद करवाने को तैयार हैं। अमेरिका से गेहूं या चावल खरीद कर उसका रक्षित भण्डार बनाया जाये जिससे कि अगले दो महीनों में हमारे राज्य के लोग भूखे न मरें। यदि अन्न की यह मांग पूरी न की गयी तो मुझे आशंका है कि केरल में कहीं उपद्रव न हो जायें। उन उपद्रवों से हमारे राज्य का ही नुकसान होगा। पर अन्त में तो लोग यह बात जान जायेंगे कि केन्द्रीय सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही और उससे भविष्य में सम्बन्ध बिगड़ेंगे। अत: खाद्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह वहां के खाद्य संकट को दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही करें।

Shri Sita Ram Kesri (Katihar) : There is difficult food situation in the country. Every countryman should feel concerned over it. All parties should cooperate with the Government in dealing with the situation. Nobody should make a political capital out of the difficult food situation. The surplus states should supply food to deficit States and the problem should be confronted on a national basis. The distribution machinery is not functioning well. Recently 1500 maunds of rice in West Bengal and some quantity of

foodgrain in Delhi was spoilt due to negligence. Strict check should be exercised and no grain should be allowed to go waste like this. The apposition parties should not exploit this situation to achieve their own political ends. All possible help should be provided to the draught affected and deficit areas. Rice should be supplied to West Bengal and Kerala. Attention should also be paid to the difficulties of Bihar. Central Government have not been supplying promised quota of foodgrains to the coalition Government of Bihar. Adequate help has also not been provided for relief measures in Bihar.

The situation in Middle East has adversely affected the supply of foodgrains to our country. It has also added to our difficulty.

Surplus States should be impressed upon to look upon the food situation from human point of view and they should make supplies to the deficit States. Food Zones are also reponsible for increasing further our difficulties. Zonal system in the country should be done away with and the food problem should be solved on a national basis.

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : अन्न का समाहार के लिए सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति ठीक नहीं है और उससे उपभोक्ता और उत्पादन दोनों को हानि हो रही है। सरकार और किसान के बीच की संस्थाएं औसतन लगभग 15.40 रुपये हर धान के बोरे पर ले जाती है। सहकारी समितियों का बड़ा प्रचार किया जाता है और सरकार यह समझती है कि यह देश के हर रोग के लिए रामबाण औषधि है। पर देखा जाये तो इनकी वजह से ही उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान को सहकारी समितियों से 89.05 रुपये प्रति बोरे चावल के लिए मिलते हैं। सरकार इन समितियों से 98.10 रुपये प्रति बोरा खरीदती है जिस पर 5.50 रुपये प्रति बोरे ऊपरी खर्च लगाकर 104.40 प्रति बोरे के हिसाब से बेचती है। इस तरह सहकारी समिति और ऊपरी खर्च के नाम पर 15 रुपये चले जाते हैं। यदि कोई गलत व्यापारी ऐसा करता तो इसे चोर बाजारी कहा जाता।

सहकारी समिति किसानों से धान खरीदती है और बोरों में भर देती है। दूसरे ही दिन वह बोरा मिल को चावल निकालने के लिए भेज दिया जाता है। इसके लिए सहकारी समिति को हर बार प्रति बोरा 42 पैसे अवक्षयण के दिये जाते हैं। कलेक्टरेट ने मुझे बताया कि एक बोरा 50 या 60 बार काम आता है और एक बार बोरा भरने पर 42 पैसे दिये जाते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि एक बोरे के लिए अवक्षयण के रूप में सरकार 25 से 30 रुपये तक देती है जब कि बोरे का मूल्य दो रुपया ही होता है। और यह सारा खर्चा उपभोक्ता के ऊपर ही पड़ता है। यदि ऐसी बातें दूर कर दी जाये तो उपभोक्ता को लाभ हो सकता है।

जिन स्थानों पर चावल का समाहार किया जाना है उनमें से 80 प्रतिशत में बाजार आकर लेने के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है। फिर भी प्रत्येक समाहार केन्द्र पर 15 पैसे प्रति बोरे के हिसाब से बाजार उपकर लिया जाता है जो कि सहकारी समिति के पास चला जाता है। समझ में नहीं आता है कि सब जगह कानून क्यों नहीं बना है। और फिर इससे उपभोक्ता के लिए मूल्य बढ़ जाता है और उत्पादक को कोई लाभ नहीं होता।

कुछ समाहार केन्द्रों पर धान से चावल निकालने की सहकारी मिलें नहीं है, निजी मिलें तो हैं। वहां निजी मिलों से चावल निकलवाने का काम नहीं कराया जाता। धान के बोरों 40-50 मील दूर स्थित सहकारी मिल में ही भेजा जाता है और फिर चावल के बोरे उस

समाहार केन्द्र में वहां से वापस मंगाये जाते हैं। इसके लिए 10 पैसे प्रति बोरा खर्चा किया जाता है। समझ में नहीं आता कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की सरकार की इस सनक के पीछे उपभोक्ता क्यों नुकसान उठाता रहे।

चावल निकाले जाने के बाद जो चूर्ण सा बच रहता है उसे कोंडा कहते हैं और वह जानवरों के खाने के काम आता है। सरकार इस कोंडा के प्रत्येक बोरे को रखने के लिए सहकारी समिति को 1 पैसे प्रति बोरा देती है। मैंने कलेक्टोरेट से पूछा कि यह किसके लिए रखा जा रहा है और क्या यह उनकी सम्पत्ति है। उन्होंने बताया, नहीं। इस प्रश्न का कि इसे रखने के लिए 1 पैसे प्रति बोरा क्यों दिये जाते हैं, वे कोई उत्तर न दे सके। इस प्रकार सहकारी समितियों को लाभ दिया जाता है और उपभोक्ता को हानि उठानी पड़ती है।

धान से चावल निकालने के लिए सहकारी मिलों को 2 रुपया प्रति बोरा दिया जाता है। निजी मिलें 1.50 रुपया प्रति बोरा के हिसाब से धान से चावल निकालती हैं। इन निजी मिलों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता ?

इस प्रकार की 18 या 19 मदे हैं जिनके द्वारा सहकारी समितियों को नाजायज सहायता दी जा रही है। यदि इन सब की जांच करके उपयुक्त कार्यवाही की जाये तो उपभोक्ता को 20 पैसे प्रति किलो कम मूल्य पर मिल सकता है।

यदि बीच की संस्था सहकारी समितियों द्वारा चावल न खरीद कर सरकार किसान से सीधे 89 रुपये प्रति बोरे के स्थान पर 95 रुपया प्रति बोरा भी खरीदे तो इससे किसान को 6 रुपये प्रति बोरा ज्यादा मिल सकते हैं और सरकार को भी 4 रुपये प्रति बोरा कम देना पड़ेगा।

इस सारे मामले की छानबीन की जाये और इसमें सुधार किया जाये। यदि अधिक मूल्य के रूप में किसान को प्रोत्साहन मिलेगा तो वह और अधिक पैदावार करने के लिए प्रेरित होगा।

ये खाद्य क्षेत्र भी स्थिति को कठिन बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। किसी स्थान पर मक्का की बहुत पैदावार होती है, वहां उसके इतने खाने वाले नहीं, वह पड़ी रहती है। दूसरे स्थान पर जहां खाने वाले हैं वहां इतनी पैदावार नहीं, वे लोग भूखे मरते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए खाद्य क्षेत्रों को तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए और फिर इसकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए।

गोवा में राशन से चावल की मात्रा में कमी कर दी गई है। और जून महीने से तो चावल बिल्कुल ही नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय इस बारे में आवश्यक सहायता करें।

Shrimati Jayabeen Shah (Amreli) : The food situation in the country is very difficult. Bihar, West Bengal and Kerala are facing great difficulties. The Government should pay special attention to their needs.

Food situation of Gajarat is grave. One-third of Gujarat is feeling drought situation for the last two years. People have no purchasing power. The prices of foodgrains

are so high that they are not in a position to purchase foodgrains for themselves. Fair price shops are not in a position to cope up with their requirements.

Cooperative sector has done a great job. It should be encouraged otherwise situation would further deteriorate.

Stocks of foodgrains available in the country should be equitably distributed. The country will have to face special difiiculties in the coming two months. The whole country should face the situation in a spirit of cooperation.

It has been said that wagons are not available for movement of foodgrains. But it is felt that much of our wagon capacity is lying idle. This work cannot be undertaken by road transportation. Foodgrains should be transported expeditiously. To this end the railways should work more effectively to ensure speedy movement of foodgrains.

Shri Yajna Datt Shrama (Amritsar) There is hue and cry in every part of the country about the shortage of foodgrains. But the Central Government could not deliver the goods in this regard. The Central Government has failed to distribute the available stocks of goodgrains properly. The food situation in Delhi, Bihar, Kerala, West Bengal and Himachal Pradesh is particularly difficult.

It is regrettable that the Government is unable to ensure movement of foodgrains properly. About five lakh tons of foodgrains had been damaged because some railway wagons were affected by rains. The rains are a recurring feature. Why can't the Government take steps in advance to protect foodgrains. Then the atta prepared from the rotten foodgrains has been given to the people. This atta gave out a bad small and was unfit for human Consumption. Such was the sorry state of affairs.

It is wrong to say that the opposition parties are taking political dvantage of the difficult food situation. It is difficult to under stand why the Central Government could not put pressure on the Andhra Government to give surplus stocks of foodgrains with them, especially when there is a Congress Government in that State.

The Punjab Government had made available 10,000 tons of foodgrains to Himachal Pradesh. But Himachal Pradesh had not been able to lift that stock. They might be faced with some financial difficulties which the Central Government should attend.

The country would have to face a very difficult situation in the country in the coming three months. The Food Minister has failed to discharge his duties. The food situation in the last three months have ample testimony to that effect. He should tender resignation from the cabinet. I hope the food situation shall be attended urgently and active steps shall be taken to solve this problem.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : केरल की तरह महाराष्ट्र भी एक कमी वाला राज्य है। राज्य में कुल मिला कर लगभग 30 लाख टन प्रति वर्ष अनाज की कमी रहती है। परन्तु केन्द्र में वास्तविक सप्लाई 60,000 टन प्रति मास से अधिक नहीं होती है। एतएव हमारी भी वही शिकायतें हैं जो केरल वालों की है। अन्तर केवल इतना ही है कि हम चीखते-चिल्लाते कम हैं और हमने धरना नहीं दिया है।

दूसरे देशों से अनाज देने के लिए कहने की बजाय हमें अपने किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने चाहिये जिससे वे अधिक अनाज पैदा कर सकें परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

हम किसानों को पर्याप्त और लाभकारी मूल्य नहीं देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन कम होता है और हम इसका दोष वर्षा पर लगाते हैं और या तो यह कहते हैं कि सूखा पड़ गया है या बाढ़ आई है। इस बात को महसूस किया जाना चाहिये कि भूमि से फसल लेने के लिए वर्षा के देवता इन्द्र की अपेक्षा किसानों के कठिन परिश्रम का अधिक महत्व है। यदि हमारे किसानों को सभी सुविधायें प्रदान की जायें तो फिर कोई कारण नहीं कि वे अधिक अनाज पैदा न कर सकें।

यह कहना गलत है कि स्वेज़ नहर बन्द हो जाने के कारण अनाज के आने में देरी हो गई है। सरकार को भली-भांति ज्ञात है कि अमेरिका से अनाज 'टैंकरों' द्वारा आशा अन्तरीय के रास्ते से लाया जाता है और वह बहुत अधिक गति से चलते हैं जिससे कोई अन्तर नहीं पड़ता चाहे कोई छोटा जहाज़ स्वेज नहर होकर आये या एक बड़ा टैंकर आशा अन्तरीप होकर आये। इसलिए इस स्थिति का सुधार किया जाना चाहिये जिसके लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है। देश में खाद्य क्षेत्र बनाने से हमने देश का विभाजन कर दिया है हम यह दावा करते हैं कि अनाज के लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है फिर भी फालतू उपज वाले राज्य रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों तथा अपने स्थानीय पुलिस के अधिकारियों की सहायता लेते हैं और लोगों को अनाज नहीं भेजने देते फालतू उपज वाले राज्यों के किसानों को जानबूझ कर कम कीमतें दी जाती हैं। कमी वाले राज्यों और उपभोक्ताओं को और ज्यादा देना चाहिये लेकिन ज्यादा देने पर भी अनाज उपलब्ध नहीं किया जाता हांलाकि ज्यादा देने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि खाद्य क्षेत्रों को सदा के लिए खत्म करने के लिए साहसपूर्ण कदम उठाये जाये। इसके साथ किसानों को यह आश्वासन भी दिया जाये कि उन्हें लाभप्रद मूल्य मिलेंगे और कृषि के साथ वैसा व्यवहार किया जायेगा जैसा उद्योगों से किया जाता है। इसी से अकाल और भुखमरी देश से समाप्त होंगे।

श्री एस० के सम्बन्धन (तिरुत्तारिण) : कुछ माननीय सदस्यों और सरकार के मन में यह गलतफहमी है कि मद्रास अतिरिक्त अनाज उगाने वाला राज्य है। वास्तव में सामान्य मौसम में भी मद्रास थोड़ा सा अतिरिक्त अनाज पैदा करती है, दुर्भाग्यवश, पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा अपनायी गई गलत नीतियों के कारण मद्रास अब थोड़ा कमी वाला राज्य बन गया है। अन्यथा हम बहुत ज्यादा अनाज दे सकते थे। प्रस्तुत कठिनाइयों में भी हमने केरल को हाल ही में 5000 टन अनाज दिया है। यदि केन्द्रीय सरकार सहयोग दे तो हम और ज्यादा अनाज देने के लिए तैयार हैं।

देश में वर्तमान खाद्य स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। हमने न केवल आज की खाद्य स्थिति बल्कि भविष्य की खाद्य स्थिति पर भी विचार करना है। इसलिए सरकार को अपनी विगत त्रुटियों से सबक सीखना चाहिये जिसके कारण आज इतनी गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन सरकार कोई सबक नहीं सीखना चाहती। केवल दो चार दिन पहले हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय गोदाम में काफी अनाज सड़ गया है और यह माननीय उपभोग के उपयुक्त नहीं रहा लेकिन मन्त्री महोदय ने इससे इन्कार कर दिया यदि ऐसा रहा तो स्थिति नहीं सुधरेगी सरकार की गलत नीति के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है। सरकार को ऐसा रवैया छोड़ देना चाहिये और स्थिति का मुकाबला करने के लिए अधिक व्यवहारिक होना चाहिये।

मद्रास की वर्तमान डी० एम० के० सरकार ने अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई है परन्तु इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उसे केन्द्रीय सरकार की सहायता की आवश्यकता है जिसके पास सभी साधन हैं। इसी प्रकार तन्जोर जिले में लघु सिंचाई के लिए एक अभियान आरम्भ करने की योजना है जिससे राज्य के कुल उत्पादन में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके लिए उन्हें केवल 15 करोड़ रुपये की जरूरत है। यदि केन्द्रीय सरकार यह राशि दे दे तो मद्रास राज्य अतिरिक्त अनाज पैदा कर सकता है। हमारे मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि पिछली सरकारों ने जो ऋण लिये थे और मद्रास राज्य में फिजूल खर्च किये थे, उनके ब्याज का भुगतान स्थगित कर दिया जाये। इससे राज्य में अनाज का उत्पादन अधिकाधिक होगा और इससे केन्द्रीय सरकार पर कम बोझा पड़ेगा। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए और और अधिक वास्तविकतावादी होना चाहिये। लेकिन इसके बावजूद, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उप-प्रधान मन्त्री जैसे उत्तरदायी व्यक्ति राज्य में गरीब लोगों को एक रुपया प्रति माप के हिसाब से खाद्य की राजसहायता सम्बन्धी डी० एम० के० सरकार के निर्णय की आलोचना करते हैं। हम लोगों को दिये गये वचनों का पालन करा रहे हैं। आलोचना करने की बजाय केन्द्रीय सरकार को शेष सभी स्थानों में खास तौर पर शहरी इलाकों में खाद्य सहायता देने में राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिये। केन्द्र को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए भी राज्य सरकार को सहयोग देना चाहिये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : The Government have faced the difficult food situation courageously. It is difficult to imagine the condition which would have prevailed in the country had the Government not taken adequate steps to tackle the situation. It is not, therefore, proper to demand the resignation of the Minister.

It has been stated by an hon. Member that Punjab has given 10,000 maunds of foadgrains to Himachal Pradesh. This is absolutely wrong. Punjab has given only 2 thousand maunds to Himachal Pradesh while the latter had deposited the money with the former for 10 thousand maunds.

It is really a matter of great distress for us that the Punjab Government had done great injustice to the people of Himachal Pradesh. The Punjab Police was harassing and maltreating the people who wanted to take small quantities of wheat and atta from Punjab to Himachal Pradesh.

There is wide disparity in price of foodgrains in Punjab and Himachal Pradesh. Whereas in Punjab the price of ne kilogram of foodgrains was 80 paisa, it was Rs. 1.60 per kilogram in Himachal Pradesh.

Himachal Pradesh was facing a difficult situation. If aid was not given to that border area there would be many Naxalbaris in Himachal pradesh.

Punjab, Haryana and Himachal Pradesh should constitute one food zone. If it was not possible to do so 15 thousand tons of foodgrains per month should be supplied to Himachal Pradesh.

The Central Government is giving 30 thousand tons of foodgrains to Delhi with a population of 30 lakhs and whereas 6 thousand tons of foodgrains is being given to Himachal

Pradesh with the same population. The quota of Delhi should be reduced and 12 thousand tons out of Delhis' quota should be given to Himachal Pradesh.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (अलीपुर) : देश की खाद्य स्थिति का पूरा चित्र यह है कि प्रत्येक कमी वाले राज्य की यह दशा बना दी गई है कि उसे खाद्य मन्त्री से भीख मांगनी पड़ती है कि उसे न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न देने के स्थान पर कम से कम इतना अन्न तो दिया जाये जितना देने का वचन दिया गया था। वास्तव में यह स्थिति बहुत दुखःद है। केन्द्रीय सरकार को कम से कम अपना वचन तो पूरा करना चाहिये।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि खाद्य की भीख मांगना एक ग्लानि की बात है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने हमारी दशा इतनी दयनीय बना दी है कि हमें कम से कम अगले दो महीने में भीख मांगनी पड़ेगी और न्यूनतम मांगें केन्द्रीय सरकार को पूरी करनी होंगी।

केरल में राशन की दुकानें बन्द हो गई हैं। बिहार में दो लाख मीट्रिक टन अन्न का वचन दिये जाने पर भी उसे नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में किसी मास में भी वचन के अनुसार सप्लाई नहीं की गई है। असम में भी यही स्थिति है। मनीपुर में, संशोधित राशन वाले क्षेत्रों और गांवों में लोगों को एक किलो चावल और एक किलो गेहूँ भी प्रतिमास नहीं मिल रहा है।

आसाम के लिए जो कोटा निर्धारित था, उसमें कमी करके अन्य राज्यों को दे दिया गया है। बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति है। केन्द्रीय मन्त्री लोगों से कह रहे हैं कि दो महीने और वे किसी तरह से काटें फिर फसल अपने पर अनाज एकत्र करके उन्हें दिया जायेगा। सब जगह यही हालत है। कलकत्ता में आज सायंकाल गृहिणियां एक विशाल जलूस लेकर केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय खाद्य निदेशालय तक जायेंगी। इसके विपरीत कलकत्ता के ही किंग-जार्ज डाक शेडो में अनाज के सड़जाने की बात कही जा रही है। पांच महीनों तक अनाज वहां से नहीं उठाया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है क्या इसकी कोई जांच की जायेगी ?

मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि देश में बन्द माल-डिब्बों की कमी होने के कारण कभी कभी अनाज खुले मालडिब्बों में ले जाना पड़ता है जिससे कुछ अनाज खराब हो जाता है। उनका यह कहना ठीक नहीं है। देश में बन्द माल-डिब्बों की कोई कमी नहीं है। कारखानों में बन्द मालडिब्बों का निर्माण इस कारण कम या बन्द किया गया है कि रेलवे बोर्ड ने कहा है कि उन्हें अब और माल-डिब्बों की जरुरत नहीं है। मुझे पता चला है कि रेल मंत्रालय इस बात पर जोर देता रहा है कि जिन खुले माल-डिब्बों में बम्बई, कलकत्ता, गोआ आदि पत्तनों तक खनिज लोहा भेजा जाता है वे खाली वापस न आयें, उनमें वापसी में अनाज लाया जाये, नहीं तो रेलवे को आर्थिक हानि होगी। इसलिए असल बात यह है कि देश की जनता के आवश्यक अनाज की बजाय जापान भेजे जाने लौह, आयस्क को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। शुष्क मौसम में तो हम खुले माल-डिब्बों में अनाज ला सकते हैं, परन्तु मानसून के मौसम में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। एक टन भी अनाज को नष्ट होने देना ठीक नहीं है।

उड़ीसा सरकार ने यह वचन दिया था कि यदि केन्द्र उन्हें 7,000 टन गेहूं दे देता है तो वह बदले में बंगाल को 7,000 टन चावल दे देगी। वह चावल नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र ने अभी तक आसाम को गेहूं नहीं भेजा है और यदि नहीं तो क्यों ?

हम यह नहीं जानते कि अगला वर्ष भी वर्षा आदि की दृष्टि से अच्छा वर्ष रहेगा अथवा नहीं, हमको अमरीकी गेहूं मिलता रहेगा अथवा नहीं। इसलिए हमें एक दीर्घावधि योजना बननी चाहिए और उस योजना का आरम्भ उन्हें आने वाले कटाई के मौसम में अधिक से अधिक अनाज का अधिग्रहण करके करना चाहिए।

खाद्य निगम केवल समाहार का कार्य करता है, न तो वह कोई योजनाएं बना सकता है और न ही नीति निर्धारित कर सकता है। निगम को इसके लिए पर्याप्त अधिकार और धन नहीं दिया जा रहा है कि आने वाले कटाई के मौसम में भारी मात्रा में अनाज का समाहार भी कर सके जिससे कि देश में पर्याप्त रक्षित भण्डार बन जाये। जब तक यह कार्य ठीक से नहीं किया जाता तब तक राष्ट्रीय खाद्य बजट आदि की बातें करने से कोई लाभ नहीं निकलेगा। जो रक्षित भण्डार बनाया जाये उसका एक हिस्सा केन्द्रीय सरकार के लिए और शेष विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित कर दिया जाये।

अनाज की फालतू उपज वाले राज्यों को कुछ लाभ दिये जाते हैं और इस क्षेत्रीय पद्धति के कारण भी वे मुनाफा कमा रहे हैं। क्षेत्रिय पद्धति समाप्त कर दी जाये, इससे कमी वाले राज्यों को नुकसान हो रहा है। फालतू उपज वाले राज्यों से अनाज की तस्करी नहीं रोकी जा सकती। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने स्वयं स्वीकार किया है आंध्र से चावल चोरी छिपे बाहर जा रहा है। कितनी उपहासास्पद स्थिति है एक राज्य से अनाज की तस्करी और दूसरे पड़ोसी राज्य केरल में भुखमरी की स्थिति। फालतू उपज वाले राज्यों को लाभ दिये जा रहे हैं। उन्हें अनाज के समाहार पर बोनस मिलता है। पंजाब सरकार को कुछ अधिकार मिल रहा है। इस रुप में ये राज्य जो धन उपार्जित कर रहे हैं क्या वह राज्य की समेकित निधि में डाला जाता है ? क्या उसका उपयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है ?

अगले दो महिनों में सरकार को चाहे कुछ भी करना पड़े पर उसे लोगों को भूखा नहीं मरने देना चाहिए। आगे के लिए दीर्घावधि योजना का आरम्भ अभी से कर देना चाहिए। सरकार यह बताये कि क्या वह अनाज के गैर-सरकारी व्यापार को बन्द करके अनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है ? क्या वह राष्ट्रीय खाद्य बजट आयोजना पर गम्भीरता से विचार कर रही हैं ?

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : आंध्र प्रदेश के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि वह केरल अथवा महाराष्ट्र अथवा अन्य राज्यों को चावल नहीं दे रहा है। लोगों की यह धारना गलत है। भारत में चावल की उपज में बंगाल और बिहार के बाद आंध्र प्रदेश का स्थान तीसरा है। फिर भी यदि इस वर्ष मानसून ने हमें धोखा न दिया होता तो हम लगभग 6 लाख टन चावल अन्य राज्यों को दे सकते। दुर्भाग्यवश दो वर्षों से मानसून की वर्षा राज्यों में नहीं हुई है, वहां सूखे की सी स्थिति है और इसीलिए हम चावल देने का अपना वचन पूरा

नहीं कर पाये हैं । आंध्र प्रदेश में रायलसीमा कमी वाला क्षेत्र है और वहां दो वर्षों से सूखा है । केरल में लोगों को एक पखवाड़े के लिए 3 या 6 किलो चावल तो मिल जाता है पर रायलसीमा में तो लोगों को एक पखवाड़े के लिए 1½ किलो ही चावल दिया जा रहा है । इतने पर भी हम अन्य राज्यों को चावल दे रहे हैं । हमें दीर्घावधि योजना की बात सोचनी चाहिए । यदि तीसरा महायुद्ध छिड़ गया तो हमें आशा अन्तरीय के रास्ते भी चावल नहीं मिल सकता । इस साल सरकार ने 1200 रुपये प्रति टन के हिसाब से 3.5 लाख टन चावल खरीदने के लिए 12 देशों के साथ करार किए हैं । इस पर लगभग 300 रुपये प्रति टन परिवहन लागत आयेगी । आंध्र 600 रुपये प्रति टन पर चावल दे रहा है । इस पर भी हालत यह है कि नागार्जुन सागर जैसी परियोजना के लिए केन्द्र ने जो इस वर्ष 17.5 करोड़ रुपया देने का वचन दिया था उसमें से वित्त मन्त्री हमें 10 करोड़ रुपया ही दे रहे हैं । यदि सरकार 1971 तक अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहती है तो उसे हमें पर्याप्त सहायता देनी चाहिए । परियोजना के पूरा होने पर 20 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है और यदि वित्त मन्त्री हमें अपेक्षित धनराशि दे दें तो वे जो 3½ लाख टन चावल बाहर से मंगा रहे हैं 3 वर्ष बाद वह 3½ लाख टन चावल हम दे सकते हैं । परन्तु वित्त मंत्री अपनी बात पर अड़े हैं । यदि हम आंध्र प्रदेश में अधिक उत्पादन कर पायेंगे तो निश्चय ही उसे केरल आदि कमी वाले राज्यों को देंगे ।

प्रधान मन्त्री हमसे केरल और अन्य राज्यों को अधिक चावल देने की बात कहती हैं । हम कष्ट उठाकर भी केरल को अधिक चावल देने को तैयार हैं । पर उसके बदले हमें तो परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक रकम भी नहीं दी जा रही । यदि रायलसीमा आदि क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था कर दी जाये तो सूखे वाले वर्षों में हम पम्पों से जमीन के नीचे से पानी निकालकर उसका प्रयोग करके अधिक पैदावार कर सकते हैं । एक बार मैं फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह परियोजना को पूरा करने के लिए हमें अपेक्षित रकम दे ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : श्रीमन् आपके द्वारा हम वित्त मन्त्री से यह निवेदन करते हैं कि वे नागार्जुन सागर परियोजना को पूरा करने के लिए 17 करोड़ रुपया दें ।

श्री विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : यह तो सही है कि सम्पूर्ण देश में खाद्य संकट है परन्तु क्या उपलब्ध अनाज को ठीक तरह से बांटा जा रहा है ? पिछले लगभग 10 सप्ताह से केरल की राशन की दुकानों में लोगों को प्रति वयस्क दो या तीन औंस प्रति दिन के हिसाब से चावल दिया जा रहा है । पिछले सप्ताह तो लगभग 15 प्रतिशत क्षेत्र में राशन दिया ही नहीं गया । इस सप्ताह केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम तक में अनाज नहीं है । जब दक्षिणी खाद्य क्षेत्र समाप्त किया गया तो केन्द्रीय सरकार ने 75,000 टन चावल प्रति मास देने का वचन दिया था जिससे कि 6 औंस के हिसाब में राशन मिलता रहे । पिछले 8 महीनों में हमें 6 लाख टन अनाज मिलता था पर केवल 4.15 लाख टन ही दिया गया है । केरल में जून, जुलाई और अगस्त में अनाज की बहुत कमी रहती है । इन महीनों में केन्द्रीय सरकार ने 1965 में 2.42 लाख टन और 1966 में 2.29 लाख टन चावल दिया था जब कि इस साल केवल 1.32 लाख टन ही दिया गया है । आज राज्य मन्त्री ने बताया है कि अगस्त में

हमें 33,000 टन चावल दिया जायेगा, यदि इतना भी मिल जाये तो हम दो से तीन औंस तक राशन प्रति दिन दे सकते हैं।

यह कहना ठीक नहीं है कि केरल के लोग चावल ही लेने के लिए अड़ रहे हैं और अपनी खाने की आदतें नहीं बदलना चाहते। पिछले महीने उन्होंने चावल की अपेक्षा गेहूं अधिक खाया है। खाने की आदत को एकदम छोड़ देना सम्भव नहीं है। खाने की आदत में अचानक परिवर्तन करने से लोगों में महामारी फैल रही है और एक ही जिले में 60 व्यक्ति मर चुके हैं।

यह कहना भी ठीक नहीं कि हम चावल का उत्पादन नहीं कर रहे। केरल की जनसंख्या की सघनता अखिल भारतीय औसत से तीन गुनी है, तिस पर भी हम अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकता के लिए चावल पैदा कर रहे हैं। यदि वहां जनसंख्या इतनी न होती तो केरल भी फालतू उपज वाला राज्य होता। केन्द्रीय सरकार जानबूझकर पिछले 20 वर्षों से हमारी उपेक्षा करती चली आ रही है।

हर वर्ष मंत्री महोदय यह कह देते हैं कि देश के इस या उस भाग में सूखा या बाढ़ की स्थिति है और इसलिए देश में खाद्य संकट है। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था तो कहा गया कि अनाज की 10 प्रतिशत कमी है। आज 20 वर्ष बाद भी 10 प्रतिशत ही या उससे भी अधिक कमी बताई जा रही है। यह स्थिति उचित खाद्य नीति और आयोजना के न होने से और सिंचाई की ठीक व्यवस्था न होने के कारण ही है। देश के इस या उस भाग में सूखे या बाढ़ के बहाने को अब अधिक नहीं सहा जा सकता।

केरल में कांग्रेसी लोग राज्य सचिवालय के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य में खाद्य संकट के लिए केरल सरकार जिम्मेवार है। मैं श्री चह्वाण और श्री जगजीवन राम से कहूंगा कि वे अपने अनुयायियों से कहें कि वे खाद्य समस्या के बीच राजनीति न लाये।

यह कहा गया है कि आवश्यकता का 75 से 80 प्रतिशत तक अनाज उपलब्ध है। यदि ऐसा है तो हम भी कमी में शामिल होने को तैयार हैं। परन्तु एक राज्य को तो भरपेट खाने को मिले और बंगाल, बिहार, केरल जैसे राज्य के लोगों को दो या तीन औंस चावल प्रतिदिन खाने को कहा जाये, यह बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस नीति से देश की एकता भंग होगी। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि कमी वाले क्षेत्रों में शीघ्र अनाज भेजने की व्यवस्था की जाये।

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar) : In the desert area of Rajasthan there have been no rains this year. The fertile areas of Ganganagar etc. have been under floods. Large tracts of land are lying idle there. If necessary facilities of irrigation etc. are provided and that land is brought under cultivation, the food production would increase. The work on Rajasthan Canal should be expedited and it should rather be taken up at national level.

Hundreds of areas of land is lying idle near Suratgarh farm. All required facilities have been provided to Suratgarh farm, yet that land is not giving any good yield. One

land lying utilised there could be given to the agriculturists on the basis of some suitable agreement and the food production could be increased.

Land has not yet been provided to the landless through this question has been raised here time and again. Nothing concrete has been done in this direction. The instructions by the Centre have not been followed by the State. Land reforms have not been implemented so far. Immediate arrangements should be made to provide land to the landless.

The system of distribution of foodgrains is also not satisfactory. Zonal system is of no benefit to us. System of distribution should be revised so that wide disparity in prices in different parts of the country is done away with.

It is told that sugar is in short supply but it is seen that one can have any quantity of sugar in black market. It is a apparent from it that boarding of sugar and foodgrins could not be checked.

Canals is Ganganagar are not getting full supply of water, probably due to dispute with Pakistan. Arrangements for supply of canal water and other facilities to the farmers should be made so that they could produce more.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति बहुत ही खराब है। वहां चावल 4.50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और वह भी तब जब कि 40,000 लोग विभिन्न इंजीनियरी उद्योगों से निकाल दिये गये हैं। यदि कोई ठोस कार्यवाही न की गई तो वहां 1943 के दुर्भिक्ष की सी स्थिति पैदा हो सकती है।

1966 में पश्चिम बंगाल में जब कांग्रेस सरकार थी तो जनवरी से मई तक 9,64,900 टन अनाज दिया गया था और इस वर्ष जब वहां संयुक्त मोर्चा सरकार है तो इसी अवधि में केवल 6,12,800 टन अनाज दिया गया है। हमें राशन कार्डों के लिए 43000 टन और बेकरियों के लिए 22000 टन और दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाके के लिए 5000 टन गेहूं हर महीने चाहिए। यदि हम प्रति व्यक्ति प्रति मास 1 किलो गेहूं भी दें तो हमें 58000 टन गेहूं हर महीने चाहिए। इसमें से कितना केन्द्रीय सरकार दे रही है यह वह जानती है।

जून और जुलाई के लिए 30,000 टन चावल देने का केन्द्र ने वायदा किया था परन्तु उन्होंने जून के अन्तिम सप्ताह में केवल 15,000 टन चावल दिया है।

पश्चिम बंगाल में जूट और चाय बहुतायत से पैदा होती है और सरकार को उससे देश में काफी आमदनी होती है और विदेशी मुद्रा भी बहुत अर्जित की जाती है। अनाज देने का केन्द्रीय सरकार का यही रवैया रहा तो हम लोगों से कहेंगे कि वे जूट और चाय के स्थान पर धान की खेती करना शुरु कर दें।

केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय खाद्य बजट या नीति बनाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उससे उसे फालतू उपज वाले कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों से अनाज लेकर दूसरे राज्यों को देना होगा। पश्चिम बंगाल की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है।

केन्द्रीय सरकार खाद्य स्थिति से राजनैतिक लाभ उठा रही है। गैर-कांग्रेसी सरकारों को असफल करने के लिए एक गहरा षड्यन्त्र किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार इन राज्यों को उपेक्षित मात्रा में अनाज नहीं दे रही है ताकि लोग उन राज्य सरकारों के खिलाफ हो जाये। शांति और व्यवस्था के नाम में सब प्रकार के सम्भव हथकन्डे अपनाये जा रहे हैं। ऐसी कार्यवाहियां की जा रही हैं जिससे कि लोग भूखे मरते रहें और राज्य सरकारों के लिए कार्य करना कठिन हो जाये। कांग्रेस हाई कमान ने पश्चिम बंगाल में अपने सगठन को हिदायतें दी हैं कि वे वहां आन्दोलन करायें। परसों उन्होंने हावड़ा और कलकत्ता के बीच मेन लाइन पर चलने वाली सभी गाड़ियों को रोका। इसके दूसरी ओर कांग्रेस को बनाये रखने के लिए उन्होंने 35 लाख की आबादी वाले जम्मू और काश्मीर राज्य को 1961 से 27,000 टन, 1962 में 44,000 टन, 1963 में 62,000 टन, 1964 में 61,000 टन और 1965 में 1,51,000 टन, और 1966 में 200,000 टन अनाज दिया। तो क्या 1964 से 1966 तक वहां की आबादी 250 प्रतिशत बढ़ गई थी? हमारी जानकारी यह है कि वहां पर अनाज फालतू ही जाता है और फिर वहां से वह सीमा पर भेजा जाता है, वहां की सरकार भी अनाज की चोर बाजारी में शामिल है।

आंध्र से जो चावल केरल को भेजा जाता है उसके बारे में खाद्य निगम ने घोषणा की कि है कि कुछ स्थानों पर कुछ किस्म का चावल स्थानीय व्यापारियों को 45 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है जब कि उपभोक्ता को वह इससे तिगुनी कीमत पर मिल रहा है। इस बात को जानते हुए भी खाद्य मन्त्री ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

Shri Sheo Narain (Basti) : The Government authorities and the Food Corporation of India have not been able to supply requisite quantity of foodgrains to Uttar Pradesh and on the other hand lakh of tonnes of foodgrains is rottening in stores. The people of Eastern U. P. are mainly rice eaters and Government should arrange for supply of adequate quantity of rice to that area also. I agree with Shri Basu that rice is being smuggled to other counters across the border and that Government have not been able to check it. A large quantity of foodgrains are being damaged due to the fact that Food Corporation does not handle it very carefully. In order to check the damage the administrative machinery should be geared up.

The Centre has not given the promised quantity of foodgrains to Uttar Pradesh. The Centre should supply foodgrains to all the 15 states without any discrimination and fully cooperate them.

The work on community development has not shown any appreciable progress. Required irrigational facilities have not been provided to the farmers. If Government wants them to increase the production, adequate irrigational facilities should be provided to the cultivators at the earliest. Unless it is done, other facilities such as fertilizers etc. would not be of much use. The Zonal system has been responsible to a great extent for the present difficulty. It should be abolished. People from all corners of the country are demanding its abolition

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह। वे कृपया संक्षेप में अपनी बात कह दें क्योंकि मुझे अन्य सदस्यों को भी अवसर देना है। उन्होंने मुझे लिखा है कि उन्हें जल्दी जाना है इसलिए मैं उन्हें पहले अवसर दे रहा हूँ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल में भुखमरी की स्थिति लगभग विस्फोटक बिन्दु पर पहुंच गई है । यदि स्थिति को और बिगड़ने दिया गया तो यह केवल पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं, अपितु समस्त भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। मुझे ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल से मुझे सैकड़ों पत्र मिले हैं जिनमें बताया गया है वहां चावल 4 से 5 रुपये प्रति किलो के बीच बिक रहा है । अति बुद्धिमान व्यक्ति को भी भूख से पीड़ित होने पर बुद्धिमत्ता लुप्त होने लगती है । पश्चिम बंगाल में आज भूख से पीड़ित गैर-कांग्रेसी और कांग्रेसी मिलकर एक हो गये हैं और प्रदर्शन आदि कर रहे हैं । पश्चिम बगाल अनाज की कमी वाला राज्य नहीं है, वहां तो कमी की स्थिति पैदा की गई है । विभाजन के परिणामस्वरूप जो 40 लाख शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आये वे वहां की जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत हैं । लगभग 70 लाख अथवा वहां की जनसंख्या के लगभग 18 प्रतिशत के बराबर व्यक्ति वहां पर व्यापार अथवा रोजगार की तलाश में पहुंचे हैं । इन सबके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है ।

विभाजन से पहले जूट की खेती अधिकांश उस क्षेत्र में की गयी थी जो आज पूर्वी बंगाल में है । विभाजन के बाद लगभग 14 लाख एकड़ भूमि में जूट की खेती और लगभग 2 लाख एकड़ में चाय की खेती की जाने लगी जिससे क्रमशः 200 करोड़ रुपये और 130 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होती है ।

पश्चिम बंगाल में केवल 15.17 प्रतिशत की कमी है । इसके साथ-साथ बंगाल को 10 प्रतिशत शरणार्थियों तथा 18 प्रतिशत बाहर के लोगों के लिये भी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है । जब बंगाल में कांग्रेस का राज्य था तो केन्द्र ने पश्चिम बंगाल को 16 लाख मीटरी टन अनाज सप्लाई किया था । परन्तु 1967 में पश्चिम बंगाल ने 15 लाख मीटरी टन की मांग की थी और केन्द्र उसे भी सप्लाई करने में असफल रहा है । केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि इस कमी को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करे । जब उत्पादन अच्छा हुआ तो 16 लाख मीटरी टन अनाज सप्लाई किया गया परन्तु जिस वर्ष सूखा पड़ा और उत्पादन कम हुआ तो इस वर्ष केन्द्रीय सरकार 15 लाख मीटरी टन अनाज भी सप्लाई नहीं कर रही है । कांग्रेस सरकार सम्पूर्ण देश पर 20 वर्षों से राज्य कर रही है और उसने ही तीन पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं; और यदि वह ही स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकती तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है ? पश्चिम बंगाल में समाज-विरोधी तत्व खाद्य स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं । आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिये प्रयास करना चाहिए । यदि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल को भुखमरी से न बचाया तो देश का सर्वनाश हो जायेगा और केन्द्रीय सरकार भी उससे नहीं बच पायेगी ।

Shri Nitiraj Singh Chaudhury (Hoshangabad) : If the Government looks to the welfare of farmers who constitute 85 per cent of the population and abolishes the zones it can solve the food problem of the country. With the exception of one Food Minister all the Food Ministers were defeated in the last General Elections because of the faulty food policy pursued by Government. According to the existing food plan it is estimated that Government would become self sufficient by 1970-71. But no details of the plan have been brought before the Government. In this connection I would like to say something about Madhya Pradesh. About 25.7 millon hectacres of land is under cultivation in Madhya Pradesh and water in Narmada Valley is sufficient to irrigate the whole of land.

The farmers who were provided with fertilisers and tube-wells produced 30-35 quintals in place of 3-4 quintals last year. If these facilities are extended to 10 lakhs acres of land then you can imagine the increase in production of foodgrains. One attention has not been paid to Madhya Pradesh by the Central Government. I would request Shri Shinde and Jagjivan Ram to pay attention to the needs of Madhya Pradesh.

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : हर कोई जानता है कि देश में अनाज के संकट के लिये कांग्रेस का 20 वर्ष का शासन उत्तरदायी है और इसके परिणाम गैर-कांग्रेसी सरकारों को भुगतने पड़ रहे हैं। केरल में खाद्य संकट का प्रभाव सबसे अधिक है और इसे दूर करने के लिये तत्कालीन कदम उठाये जाने चाहिए अन्यथा इस रा य पर घोर संकट आने वाला है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह आन्ध्र प्रदेश चावल, चाहे वह किसी भी मूल्य पर हो खरीदे और आन्ध्र सरकार भी केन्द्र सरकार का कहना मान लेगी। सरकार को अभी से इसे खरीदना आरम्भ कर देना चाहिए क्योंकि आज भी स्थिति बहुत गम्भीर है। आज सुबह के समाचारों में आपने पढ़ा होगा कि केरल में 30 ताल्लुकों को पिछले दो सप्ताह से कोई चावल नहीं मिला और अब उन्हें चावल देने के लिये कुछ अन्य स्थानों को चावल से वंचित किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि 50,000 मीटरी टन गेहूं में से, जिसको सप्लाई करने का उसने वचन दिया है, 20,000 मीटरी टन गेहूँ तो उनको दे दे जिन्होंने उसकी मांग की है और बाकी गेहूँ की डबल रोटी बना कर चावल के राशन के साथ देनी चाहिए। इससे कमी के अगले दो महीनों में बहुत सहारा हो जायेगा। इस राज्य से अनाज तथा चावल का समाहार करना बहुत कठिन है चूंकि एक तिहाई लोगों के पास प्रति परिवार 2 एकड़ से कम भूमि है। तथापि वर्तमान सरकार ने 56,000 टन अनाज का समाहार किया है जबकि पिछले दो वर्षों में क्रमशः 43,000 टन तथा 44,000 टन अनाज का समाहार किया गया था। अतः इस राज्य को संकट से उबारने का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है।

Shri Ram Kishen (Hoshiarpur) : To-day non-congress Governments are ruling over 28 crores of population and most of the sowing area and maximum number of farmers are under those Governments. Therefore with the cooperation of all that the food problem can be solved. Some persons have criticized the supply of foodgrains to J & K., but they forget that Centre bears responsibility to that area also and I don't feel that any discrimination has been exercised. Food problem cannot be solved by criticising or by toppling any Government. I would like the Food Minister to inform the House the target of procurement of each and how for that target has been achieved. As far as Punjab Government is concerned, I hope it would achieve the target. In the end I would say that we must top all the resources to raise the food production. I would also suggest that the farmer must get appropriate price for his produce. The Ministry of Agriculture fixed certain prices and after one week raised the prices of fertilisers. Therefore while fixing the prices the Government should keep inview all the factors and pay appropriate price to the farmer. The Government should open one tractor factory in Punjab and supply tractors to farmers at controlled price. The food zone at Himachal Pradesh should be abolished otherwise there is likelihood of trouble lirewing.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj : The food situation in Bihar is very acute because of drought and excess rains which that State had to face for two successive years. 11 lakhs and six thousand tons of foodgrains have been supplied to that State during six months. Where as the need of that State is 4 lakhs tons per month. I would like to know why the Government has not fulfilled its commitments About 10 lakh 91 thousand 671

tonnes of foodgrains were despatched to Bihar but according to the Food Minister of Bihar on y 9,25,816 tonnes of foodgrains were received by Bihar. I would like to know what happened to 1,29,855 tonnes of foodgrains. The Government of India should conduct an enquiry in regard there to inview of the fact that the people there are living on tree bark, shrubs and many persons have died of starvation. The prices of foodgrains in Bihar are rising steeply, The Buffer stock of Bihar has been depleted very much The fair price shops are not receiving the foodgrains and situation is becoming critical day by day. The Government of India is responsible therefor. The months of August and September are leave months for us. We, therefore, want that atleast 2,50,000 tons per month, if not 4 lakh tons, of foodgrains should be supplied to us during these months. In the end I would appeal to the Government to supply 20 thousand tons of rice to us for these two months as Bihar is a rice eating area and the crop of rice has been destroyed this year.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा विचार यह है कि मंत्री महोदय को वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये एक और दिन का समय दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह सम्भव नहीं है । वाद-विवाद का कोई फायदा नहीं जब तक कि मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं देते ।

Shri Shinkre (Panjim) : The food situation in Goa has forced me to speak. We have not received the rice quota for June and July. Despite this I would say that Government is faced with difficulties and is not doing so want only. Closure of Suez Canal, Dock workers strike in Bombay are some of the few reasons. In this connection I would like to make a suggestion to the Government. The iron ore, Manganese and Black Dust available with us are in great demand and the businessmen of Japan have assured to supply rice to us in lieu thereof. But the sanction of Central Government is essential therefor. I thank you for the 500 tons of rice being supplied to us from Vishakhapatnam.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I concede that the food situation is very critical but I would request the Members to have patience for two months and the prospects of crops are very bright. But we should not curse the congress for the calamity.

The Government has not let even a single person die of hunger, although they had to spend crores of rupees for it. Secondly I want that Chief Ministers of States should cooperate with the Union Food Minister and work under his direction.

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 8 अगस्त, 1967/17 श्रावण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित की गई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 8th August, 1967/Sravana 17, 1889 (Saka).